Par. S. 17. I. 21 52
285

अंक १

संख्या २१

सोमवार,

१६ जून, १९५२

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग १३०७]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १३०७—१३४६]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १३४६—१३५६]

(मूल्य ४ आने)

333 PSD

लोक सभा

सोमवार, १६ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर)

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

बर्मा-शैल आयल कम्पनी द्वारा छात्रवृत्तियों का दिया जाना

*८५३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को कोई ऐसी योजना प्राप्त हुई है तथा उसने उस पर विचार किया है, जिसमें बर्मा-शैल ऑयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा भारती विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया गया हो; तथा

(ख) यदि प्राप्त हुई है, तो वह योजना क्या है तथा क्या वह सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) जी हां । बर्मा-शैल ऑयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ने भारतीयों को छात्रवृत्तियां दिये जाने के लिए एक लाख रुपये प्रति वर्ष देना स्वीकार कर लिया है, जो इस प्रकार वितरित किया जायेगा :—

(१) ५०,००० रुपये की दो छात्रवृत्तियां लौबौरो कालिज, लिसैस्टरशायर, इंगलैण्ड में यात्रिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए;

(२) ५०,००० रुपये की खुली छात्रवृत्तियां—स्वीकृत राष्ट्रमण्डलीय देशों में वैज्ञानिक तथा टैकनीकल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां दिये जाने के लिए इस प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को अनुसन्धान तथा उद्योग, विशेष कर तैल उद्योग के योग्य बनाना है ।

(१) तथा (२) योजनाओं की एक एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । [**प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं । देखिये संख्या पी० ३५/५२ तथा पी० ३६/५२**]

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि यह जो स्कीम है क्या वह इस साल चालू हो जायगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस साल के लिए उम्मीदवारों की दरखास्तें जा चुकी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । दरखास्तें जून तक मांगी गई हैं ।

भाषा प्रचार संस्थायें

*८५४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि किन-किन अखिल भारतीय भाषा प्रचार संस्थाओं को भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिल रही है;

(ख) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में प्रत्येक संस्था को कितनी धनराशि दी गई; तथा

(ग) भारत सरकार का उन पर क्या नियंत्रण है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]**

(ग) शिक्षा, संस्कृति तथा ऐसे ही अन्य विषयों में अखिल भारतीय संस्थाओं अथवा समितियों को सहायक अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार की कुछ निर्धारित शर्तें हैं । उन कीएक सूची सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]**

संस्थाओं को सहायक अनुदान केवल तभी दिये जाते हैं जब वह इन शर्तों को स्वीकार कर लेती हैं तथा पूरा करती हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार सरकार ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद तथा अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू (भारत), अलीगढ़ की प्रबन्ध निकायों तथा अन्य समितियों में अपने प्रतिनिधि नामनिर्देशित कर दिये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या में माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि स्टेटमेंट (विवरण) में जिन इंस्टीट्यूशन्स (संस्थाओं) के नाम दिये गये हैं उनके अलावा किसी इंस्टीट्यूशन ने भी दरखास्त भेजी है, और अगर भेजी है, तो उसका नाम क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं । और तो ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं हैं जिनकी दरखास्तें हमारे पास आई हों।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह इंस्टीट्यूशन्स रिपोर्ट भेजते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, उनकी रिपोर्ट तो आती हैं ।

श्री दामोदर मेनन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा सम्बन्धी संस्था को अनुदान दे रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : विवरण में उल्लिखित संस्थाओं को सरकार से अनुदान मिल रहा है । इनके अतिरिक्त भी एक दो संस्थायें हैं जो विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान प्राप्त कर रही हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : विवरण में उल्लिखित संस्थाओं के अतिरिक्त कितनी और संस्थाओं को अनुदान मिल रहा है, तथा अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसी केवल एक संस्था है—तामिल एनसाइक्लोपीडिया कमेटी—तथा उसको २५,००० रुपये दिये गये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : स्टेटमेंट में दिया गया है कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को सन् १९५२-५३ में कोई ग्रांट (अनुदान) नहीं दी गई है लेकिन सन् १९५१-५२ में दी गई थी। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : सन् १९५२-५३ में भी दी गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : स्टेटमेंट में तो कोई रुपया लिखा नहीं है।

श्री के० डी० मालवीय : मैंने अर्ज़ किया कि सन् १९५२-५३ में दी गई है, सन् १९५१-५२ में नहीं दी गई थी।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की संस्थाओं को जैसे, अन्य प्रादेशिक भाषाओं की संस्थाओं को, कोई सहायता दे रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : एक संस्था के बारे में मैं अभी बतला चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक और है।

श्री सारंगधर दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जबकि हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा मान लिया गया है, क्या उस दशा में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को कुछ देने की आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं समझता हूं कि यह तो कार्यवाही करने का सुझाव है। अगला प्रश्न।

वैमानिक तथा रीडर इंजीनियरी

*८५५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में वैमानिक तथा रीडर इंजीनियरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा गया ;

(ख) सन् १९५२-५३ में कितने व्यक्तियों के भेजे जाने की प्रस्थापना है;

(ग) उन वर्षों में भारत के कितने व्यक्तियों ने निजी रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया ; तथा

(घ) क्या रक्षा विभाग ने निजी रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इन व्यक्तियों को विदेशों में जाकर इन दो विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां या सहायता या ऋण देने की सिपारिश की थी ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) ८ व्यक्तियों को सन् १९५०-५१ में तथा ६ को सन् १९५१-५२ में।

(ख) १०।

(ग) ज्ञात नहीं है।

(घ) जी हां, एक निजी प्रशिक्षार्थी को राष्ट्रमंडलीय टैक्नीकल सहायता योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन में वैमानिक इंजीनियरो का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहायता देने की सिपारिश की गई थी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा बतलाई गयी आर्थिक सहायताओं और छात्रवृत्तियों में से कितनी कैनेडियन छात्र-वृत्तियां थीं ?

श्री गोपालस्वामी : मैं समझता हूं कि यह सूचना मेरे पास यहां नहीं है। मैं इसका पता लगा सकता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोई अभ्यर्थी देहरादून की टैक्नीकल विकास संस्था से भी भेजा गया था ? यदि भेजा गया था, तो उसका चुनाव कैसे हुआ था ?

श्री गोपालस्वामी : एक पदाधिकारी गनरी स्टाफ़ कोर्स (एन्टी एयर क्राफ्ट) में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया था ; इस विषय में प्रारम्भिक रॉडर इंजीनियरी भी पढ़ाई जाती है । इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक पदाधिकारी सन् १९५२-५३ में भेजा जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या स्थानीय संस्था तथा विभाग की सिपारिशों के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद हो गया था ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे इसका पता नहीं है । यदि कोई मतभेद हुआ भी होगा तो यह पूर्णत: एक विभागीय विषय है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि अन्त में किसे चुना गया था ?

श्री गोपालस्वामी : मैं समझता हूं मेरे पास सम्बन्धित दोनों पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं ।

अलीपुर में टकसाल

*८५६. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ते की पुरानी टकसाल की सब मशीनें अलीपुर की नई टकसाल में लगा दी गई हैं और वहां जो काम होता था वह अब नई टकसाल में होता है ;

(ख) सरकार का टकसाल की पुरानी इमारत का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ; तथा

(ग) नई टकसाल में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं । कलकत्ते की टकसाल अब भी रक्षा सेवाओं के लिए पदक (मैडल) बना रही है तथा इस समय वहां सोना चांदी भी जमा रहता है ।

(ख) सोना-चांदी व सिक्के रखने के लिए कुछ इमारतों की आवश्यकता अभी कुछ दिन और रहेगी । अन्य इमारतें केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों द्वारा काम में लाई जाने के लिये दी जा रही हैं ।

(ग) इस समय अलीपुर टकसाल में कुल १,६६५ कर्मचारी हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन पर २९,८५,१०० रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अलीपुर की नई टकसाल के बनाने तथा उसमें मशीनें आदि लगाने पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री त्यागी : अनुमान किया जाता है कि २२० लाख रुपये व्यय हुए जिसमें १०० लाख रुपये इमारत बनाने तथा १२० लाख रुपये मशीनों आदि में व्यय हुए ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पुरानी टकसाल की तुलना में नई टकसाल का संस्थापन व्यय कितना है ?

श्री त्यागी : इन दोनों की तुलना करना तो मेरे लिए बहुत कठिन है । यदि माननीय सदस्य उक्त सूचना चाहते हैं तो मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास : क्या नई टकसाल में विदेशी सरकारों के आर्डर पर सिक्के बनाने की कोई व्यवस्था है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : कभी कभी ऐसे आर्डर आ जाते हैं।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अब तक किन किन विदेशी सरकारों के आर्डर पर सिक्के बनाये गये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसकी मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि अलीपुर टकसाल भारत की कुल आवश्यकता के कौन से भाग की पूर्ति करती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : नई टकसाल की सिक्के बनाने की समान्य क्षमता १२ लाख सिक्के प्रति दिन की है जबकि बम्बई तथा कलकत्ते की पुरानी टकसाल की सामान्य क्षमता प्रति दिन दस-दस लाख सिक्के बनाने की है।

नागा पहाड़ियों में खनिज सम्पत्ति

*८५७. **डा० एम० एम० दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागा पहाड़ियों में सरकार की खनिज पदार्थों की खोज सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ हो गई है;

(ख) यदि हो गई है, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) खोज सम्बन्धी कार्य किस को सौंपा गया है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया; तथा

(ङ) ऐसी कार्यवाहियों के प्रति वहां के निवासियों का क्या रुख रहा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारत भूतत्वीय परिमाप के संचालक का कहना है कि नागा पहाड़ियों में खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिये बड़े पैमाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हाल ही में भारत भूतत्वीय परिमाप द्वारा शिवसागर और लखीमपुर जिलों से मिले हुए नागा पहाड़ियों के लगभग ४०० वर्ग मील के क्षेत्र में पड़ताल की गई है।

(ख) भारत भूतत्वीय परिमाप के संचालक का कहना है कि इस क्षेत्र में थोड़े से कोयले का पता लगा है। कुछ स्थानों पर तेल का भी पता लगा है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे यह पता लगे कि तेल पर्याप्त मात्रा में हैं। अब तक जितने क्षेत्र की पड़ताल हुई है उसमें आर्थिक महत्व का कोई और खनिज पदार्थ नहीं मिला है।

(ग) (१) भारत भूतत्वीय परिमाप।

(२) नज़ीरा कोल कम्पनी लिमिटेड जिसने नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट में कोयला निकालने के लिये राज्य सरकार से पट्टा लिया है।

(३) बर्मा आयल कम्पनी (इंडिया कन्सेशन्स) लिमिटेड, जिसे पेट्रोलियम कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट के दो क्षेत्रों में पेट्रोलियम की खोज करने की अनुज्ञप्ति दी गई है।

(घ) भारत भूतत्वीय परिमाप के एक पदाधिकारी, जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, के वेतन और भत्ते के अतिरिक्त ६,४०० रुपये।

(ङ) भारत भूतत्वीय परिमाप के संचालक तथा राज्य सरकार का कहना है कि सामान्य रूप से इन कार्यवाहियों के प्रति वहां के रहने वालों का बर्ताव न तो बहुत अधिक सहायक था और न ही ऐसा था जिसे विरोधपूर्ण कहा जा सके।

डा० एम० एम० दास : क्या यह तथ्य है कि पेट्रोलियम ढूंढने का कार्य पहरा बैठा कर किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : इस विषय में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यह असरकारी संस्थायें तेल की खोज करने का कार्य किन शर्तों पर कर रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : वह यह कार्य पेट्रोलियम कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत कर रही हैं । उन को रियायत इन नियमों के अधीन दी गई है ।

भारतीय समुद्र-सीमा शुल्क

*८५८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सन् १९४१ से १९४९ तक फ़्रांसीसी भारतीय पत्तनों में भारतीय समुद्र-सीमा शुल्क की चौकियां स्थापित की गई थीं ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : जी हां । सन् १९४१ से १९४९ तक भारत तथा भारत के फ़्रांसीसी क्षेत्रों का एक समुद्र सीमा शुल्क संघ था ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि फ़्रांसीसी भारतीय पत्तनों में जो भारतीय समुद्र-सीमा शुल्क की चौकियां स्थापित की गई थीं वह बन्द क्यों कर दी गईं और उनके बन्द किये जाने का क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री त्यागी : सीमा शुल्क तय करने की स्थिति का पुनरावलोकन करने की दृष्टि से तथा बदले हुए हालात के कारण, ३० मार्च, १९४८ को भारत सरकार ने १ अप्रल, १९४९ से समुद्र सीमा शुल्क संघ क़रार को समाप्त करने की पूर्वसूचना दे दी थी । परन्तु पूर्वसूचना की अवधि के समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने फ़्रांसीसी सरकार से यह कह दिया था कि यदि फ़्रांसीसी सरकार चाहे तो भारत सरकार उस क़रार को जनमत लिये तक जारी रखने के लिए तैयार है। किन्तु फ़्रांसीसी सरकार ने इस सुझाव का कोई जवाब नहीं दिया, तथा क़रार के समाप्त होने की तिथि से लगभग पन्द्रह दिन पहले फ़्रांसीसी सरकार ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये, सन् १९४१ के क़रार को जारी रखने के नहीं बल्कि इसमें काफ़ी फेरबदल करने के, जिसमें फ़्रांसीसी भारत की सरकार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में वृद्धि करने की मांग भी शामिल थी ।

डा० राम सुभग सिंह: सीमा शुल्क समाप्त करने का क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री त्यागी: प्रभाव यह पड़ा है कि फ़्रांसीसी भारत के लोगों की चौर्यान्यिन सम्बन्धी कार्यवाहियां बढ़ गई हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी वित्तीय तथा आर्थिक नीति को धक्का पहुंचा है तथा फ़्रांसीसी भारत के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या सरकार का विचार फ़्रांसीसी भारत के पत्तनों पर सीमा शुल्क की चौकियां पुनः स्थापित करने का है, ताकि बढ़े हुए चौर्यान्यन को बन्द किया जा सके ?

श्री त्यागी: भारत सरकार तथा फ़्रांसीसी भारत के प्राधिकारियों के बीच कुछ बातचीत हो रही है । इस सम्बन्ध में मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं । मैं नहीं कह सकता कि बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा ।

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्

*८५९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् का निर्माण तथा रचना; तथा

(ख) भारत की प्रविधिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए निर्धारित सिद्धान्त ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) माननीय सदस्य का ध्यान ६ जून, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ के भाग (क) के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ख) परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार की संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है :—

(१) पुरानी असरकारी संस्थायें जो धनाभाव के कारण उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकती हैं तथा उचित स्तर कायम नहीं कर सकती हैं;

(२) किसी प्रदेश विशेष या पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से स्थापित की गई नई संस्थायें ; तथा

(३) राज्य सरकारों की ऐसी संस्थायें जिन के विकास के लिए पहले धन उन अनुदानों में से दिया जाता था जो विकास कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इकट्ठे दिये जाते थे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह तथ्य है कि औद्योगिक प्रशासन और व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना तैयार करने के हेतु अखिल भारतीय प्रविधिक अध्ययन पर्षद् की एक समिति नियुक्त की गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : समिति का कृत्य यह नहीं था जिस का उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह तथ्य नहीं है कि इस समिति द्वारा एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि समिति की सिपारिश क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सरकार प्रविधिक अनुसन्धान के परिणामों को उद्योगों में प्रयुक्त करने में कहां तक सफल हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस के बारे में तो माननीय सदस्य स्वयं ही कुछ जानते होंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं ज्ञात कर सकता हू कि अनुसन्धान के फल-स्वरूप जो आविष्कार हुए हैं उन्हें किन किन उद्योगों में कार्यान्वित किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का उत्तर देना तो अति कठिन है; ऐसे बहुत से उद्योग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह सदन पटल पर रखी जा सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वह तो स्वयं ही रखदी जायेगी।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): ग़ालिबन (कदाचित्) वह पार्लियामेन्ट की लाइब्रेरी में मौजूद होगी।

अध्यक्ष महोदय : वह पुस्तकालय में है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : देख लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इन सब प्रश्नों का जबाब देना कठिन है ; इसलिये मैं ने यह पूछा यदि रिपोर्ट पुस्तकालय में है तो फिर मैं अब किसी प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

मौलाना आज़ाद : बेहतर है।

अध्यक्ष महोदय : तो आप रख देंगे।

मौलाना आज़ाद : जी हां।

"मीथेन" का निकाला जाना

*८६०. **श्री ऐन० पी० सिन्हा :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोयले की खानों में "मीथेन" (एक जलने वाली गैस) निकालने—जैसा कि कुछ विदेशों में किया जाता है—के बारे में कोई प्रयोग किये गये हैं ?

(ख) यदि किये गये हैं, तो किस खान या खानों में, और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार ऐसा कोई अनुसन्धान कार्य करने का विचार रखती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कोयले की खानों में से मीथेन गैस निकालने का कोई प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन एक खनिज अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का विचार है। कोयले की खानों में से मीथेन गैस के निकाले जाने के लिए अनुकूल दशाओं का अन्वेषण करना तथा गैस के निकाले जाने से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य इस खनिज अनसन्धान केन्द्र द्वारा, जब वह स्थापित हो जाये, किया जा सकता है।

श्री ऐन० पी० सिन्हा। मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि यह अनुसन्धान कार्य कब प्रारम्भ किया जाना है ?

श्री के० डी० मालवीय : समय के बारे में तो मैं कोई निश्चित अनुमान नहीं दे सकता ; हां, इस अनुसन्धान केन्द्र के शीघ्र ही स्थापित किये जाने की सम्भावना है और इसके स्थापित कर दिये जाने के बाद हम यह पता लगायेंगे कि अनुसन्धान किया जाना भी है या नहीं।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि क्या इस प्रकार की गैस का ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : उस अवस्था में हम कुछ नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

यूनस्को को सहयोग देने वाली समितियां

*८६२. **श्री राम दास:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा सन् १९५१-५२ में संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संस्था को सहयोग देने के लिए कौन कौन सी समितियां नियुक्त की गई थीं ?

(ख) इन समितियों के निर्देश पद क्या थे ;

(ग) अब तक इन समितियों द्वारा क्या कार्य किया गया है ; तथा

(घ) इन समितियों द्वारा कितनी समयावधि में काम समाप्त किये जाने की आशा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) यूनेस्को सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने सन् १९५१-५२ में एक समिति नियुक्त की थी जिस से इस बात का सुझाव मांगा गया था कि संसार में परस्पर सहभाव बढ़ाने के हेतु शैक्षिक विकास के क्या क्या मार्ग और उपाय अपनाये जायें ।

(ख) समिति आयोग को तथा भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ाने के हेतु यूनेस्को के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के ढंग सुझायेगी।

(ग) तथा (घ) . कोई निश्चित समयावधि तो निश्चित नहीं हुई है, परन्तु उम्मीद की जाती है कि समिति उससे अधिक समय नहीं लेगी जितना कि सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है।

श्री राम दास : क्या पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण समितियों के कृत्यों में से एक है ?

श्री के० डी० मालवीय : पाठ्य-पुस्तकों में सुधार करना, पुरानी समितियों के कृत्यों में से एक था ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व में परस्पर सद्भावना बढ़ाने के हेतु यह समिति संसार के समस्त महान राष्ट्रों से विचार-विमर्श करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए कठिन है ।

श्री वैलायुधन : मैं यह जानना चाहता था कि .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को चाहिये कि प्रश्न पूछने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लें ।

श्री वैलायुधन उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । वह तर्क न करें।

अगला प्रश्न ।

हरिजनों के लिए छात्रवृत्तियां

*८६३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा हरिजन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में लगभग दो सौ रुपये प्रति वर्ष की कमी कर दी गई ह , तथा यदि कर दी गई है तो ऐसा करने के क्या कारण हैं, तथा

(ख) क्या छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाकर पहले जसी करने की कोई प्रस्थापना है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की वर्तमान राशि उन की पाठ्य-पुस्तकों के लिए, उनके शिक्षण शुल्क के लिए और उनके भोजन व्यय आदि के लिए पर्याप्त होती है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम तो ऐसा ही समझते हैं। परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो सरकार वर्तमान राशि में फेर बदल करने के लिए तैयार है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि से बहुत कम है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं।

श्री नामधारी : क्या शिक्षा मंत्री हरिजन छात्रों के शिक्षा स्तर का परीक्षण करने के लिए कोई दूसरी समिति नियुक्त करने की कृपा करेंगे .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्त। प्रश्न बहुत लम्बा है।

श्री नानादास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि हरिजनों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की—प्रत्येक छात्रवृत्ति की—अधिकतम और न्यूनतम राशियां क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह विशिष्ट आंकड़े मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

श्री बर्मन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या छात्रवृत्ति पर्षद् की १६ मई की यह सिपारिश कि १७·५ लाख रुपये की राशि बढ़ाकर २५ लाख रुपये कर दी जाये, सरकार को मिल गई है तथा यदि मिल गई है तो क्या सरकार उसे मानने को तैयार है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस की मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध छात्रवृत्ति पर्षद् ने यह सिपारिश की है कि प्रत्येक छात्र को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाये ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसी कोई सिपारिश नहीं है।

श्री बालकृष्णन् : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह छात्रवृत्तियां केवल मैट्रिक पास विद्यार्थियों को दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां।

श्री बालकृष्णन् : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार हाईस्कूल के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : परन्तु यह तो माननीय सदस्य का सुझाव मात्र है।

सूती कपड़ा मिलों में उत्पाद शुल्क कर्मचारी

*८६४. **श्री एस० जी० पारिख** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा भारत की विभिन्न सूती कपड़ा मिलों में उत्पाद-शुल्क पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के रूप में तथा उत्पाद-शुल्क कर्मचारीवर्ग के स्थापना व्यय के रूप में कुल कितना धन व्यय किया जाता है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : भारत की विभिन्न सूती कपड़ा मिलों में उत्पाद-

शुल्क सम्बन्धी देखभाल के लिए नियुक्त कर्मचारियों के वेतन मंहगाई-भत्ते तथा ऐसी ही अन्य मदों पर सरकार द्वारा कुल लगभग २० लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय किये जाते हैं।

श्री ऐस० जी० पारिख : क्या कुछ अन्य तरीके अपना कर खर्चे में कुछ कमी की जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री त्यागी : कर्मचारीवर्ग सम्बन्धी मूल प्रस्थापना के अनुसार हमसे ८६४ निरीक्षक रखने के लिए कहा गया था। फिर, खर्चे में कमी करने की दृष्टि से इस संख्या में फेरबदल किया गया और केवल ६३३ निरीक्षकों की स्वीकृति मिली। परन्तु वास्तव में इस समय केवल २४९ निरीक्षक ही सेवायुक्त हैं और इस प्रश्न की भी छानबीन की जा रही है कि कर्मचारीवर्ग में और कमी हो सकती है या नहीं। यदि मेरे मित्र इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दे सकें तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभारी होऊंगा।

श्री एस० जी० पारिख : पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा, ३ १/२ प्रतिशत शुल्क लगाया गया था। क्या सरकार के लिए वही तरीका अपनाना सम्भव नहीं होगा ?

श्री त्यागी : जब तक मैं दोनों परिस्थितियों का पूरी तरह से अध्ययन न करलूं तब तक पहले शुल्क के बारे में चर्चा करना बहुत कठिन होगा। परन्तु सदन की सूचनार्थ मैं इतना बतला दूं कि जब कि हमें कपड़ा मिलों से उत्पाद-शुल्क के रूप में १७ करोड़ रुपये मिल रहे हैं, उस पर खर्चा मुश्किल से २० लाख रुपये होता है। इस तरह खर्चे का अनुपात १·२ प्रतिशत हुआ। मेरे विचार में यह काफी कम है। फिर भी इस विषय में और छानबीन की जायेगी और यदि कपड़ा मिलों के मालिक खर्चे में कमी करने के कुछ उपाय सुझायेंगे और उन सुझावों से सरकार की आय पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता होगा तो मैं उन पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता

*८६५. **प्रो० अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत अमरीका प्रविधिक सहयोग करार के अधीन अब तक भारत को अमरीका की सरकार से कितनी सहायता मिल चुकी है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस सहायता का पर्याप्त भाग बनावटी खाद के रूप में होगा ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो क्या सिन्दरी की कृषिसार फ़ैक्टरी के होते हुए, उतने खाद का आयात किया जाना आवश्यक है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हाल ही में हुए भारत-अमरीका प्रविधिक सहयोग करार के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने ३० जून १९५२ को समाप्त होने वाले अमरीकी आर्थिक वर्ष में भारत-अमरीका प्रविधिक सहयोग कोष में ५ करोड़ डालर देना स्वीकार कर लिया है। सामान्य करार की शर्तों के अनुसार ग्यारह कार्य-संचालन करारों पर हस्ताक्षर हो गये हैं जिनके अन्तर्गत ५ करोड़ डालर का सामान भारत आयेगा, परन्तु अभी तक सामान आया नहीं है।

(ख) ५ करोड़ डालरों में से १ करोड़ ६ लाख डालर कृषिसारों के रूप में होंगे।

(ग) कृषिसारों की जो कुल मात्रा आयेगी उसका लगभग २० प्रतिशत भाग उस प्रकार का होगा जो सिन्दरी फ़ैक्टरी में नहीं बनाया जाता है। शेष कृषिसार देश की तुरन्त की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए है क्योंकि सिन्दरी की कृषिसार फ़ैक्टरी ने अभी पूर्ण रूप से उत्पादन कार्य शुरू नहीं किया है।

प्रो० अग्रवाल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार ने इस बात के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं कि इस प्रकार के कृषिसारों का कम्पोस्ट खाद पर कोई प्रभाव न पड़े ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह कृषिसार तो उसके अलावा प्रयोग की जायेगी।

प्रो० अग्रवाल : पांच करोड़ डालर के इस क़रार में भारत सरकार का अपना अंशदान कितना होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक कृषिसारों का सम्बन्ध है सरकार का अंशदान कुछ नहीं होगा ; परन्तु सामूहिक विकास योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार को तीन वर्ष की अवधि में कोई ३५ करोड़ रुपये का अंशदान देना होगा।

प्रो० अग्रवाल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीकी दूतावास द्वारा अपने अंशदान के बारे में काफ़ी प्रचार किया जा रहा है, भारत सरकार अपने अंशदान के बारे में प्रचार करने के हेतु क्या क्या कार्यवाहियां कर रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार से जो काम किया जायगा उसका परिणाम ही पर्याप्त प्रचार होगा।

श्री नामधारी : क्या सरकार अन्य ब्रिटिश सार्थों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वह अपनी पूंजी बेधड़क होकर लगायें, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे देश को हमें लौटा कर सौजन्यता का प्रमाण दिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो अगले प्रश्न के विषय में है, श्रीमान्।

श्री एन० पी० दामोदरन : मैं जान सकता हूं कि अमरीका से आयात किये जाने वाले कृषिसारों का मूल्य सिन्दरी में तैयार किये जाने वाले कृषिसारों के मूल्य की तुलना में कैसा उतरता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझ खेद है कि इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण मेरे पास यहां मौजूद नहीं है।

श्री वैलायुधन : क्या सरकार के ध्यान में भारत में अमरीका के राजदूत द्वारा कल न्यूयार्क में दिये गये यह वक्तव्य आये हैं जिनमें उन्हों ने कहा है कि यह सहायता भारत को मदद देने के लिए नहीं, अपितु लोकतन्त्र का निर्माण करने के हेतु दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! वह तो कृषिसारों के विषय से बहुत आगे जा रहे हैं।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या यह कृषिसार भारतीय भूमि में उपयोगी सिद्ध होंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : १,०८,००० टन में से २०,००० टन खाद तो यूरिया, नाइट्रो-फास्फेट्स, अमोनियम नाइट्रो-फ़ास्फ़ेट्स और ट्रिपिल सुपर-फ़ास्फ़ेट्स के रूप में होंगी जो कि यहां के लिए नई है। विभिन्न दशाओं में इनका परीक्षण किया जायेगा और उनके परिणामों को भावी उपयोग के लिए रखा जायेगा। बाकी का ८८,००० टन खाद अमोनियम सल्फ़ेट होगी, जिस प्रकार की खाद का पहले ही से प्रयोग

किया जा रहा है और जो सिन्दरी फ़ैक्टरी द्वारा भी तैयार की जाने वाली है।

सरदार लाल सिंह: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नांगल में बिजली पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है क्या सरकार ने वहां नाइट्रोजेनस कृषिसार बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख: मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, श्रीमान्। यह तो निर्माण मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्री एम० एल० अग्रवाल: क्या इस प्रकार के कृषिसारों का सिन्दरी फैक्टरी द्वारा ज़ोर-शोर से उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के पूर्व आ पहुंचने की सम्भावना है ?

श्री सी० डी० देशमुख : सिन्दरी फ़ैक्टरी तो पूर्ण रूप से उत्पादन अक्तूबर १९५२ तक प्रारम्भ कर सकेगी, परन्तु इन में से कुछ कृषिकार तो, मैं समझता हूं, उस से पहले ही यहां आ पहुंचेंगे।

विदेशी पूंजी

*८६६. **श्री के० के० बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विदेशी पूंजी की कुल राशि, ब्रिटेन, अमरीका और अन्य देशों की अलग अलग राशियां देते हुए ; तथा

(ख) सन् १९४७ से तथा १९४५ और १९४७ के बीच विभिन्न विदेशों द्वारा वापस ले ली गई पूंजी की कुल राशि ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें स्थिति, जैसी कि ३० जून १९४८ को थी, बतलाई गई है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३**] इस के बाद की अवधि के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जुलाई १९४७ से दिसम्बर १९५१ तक की अवधि में जो विदेशी पूंजी भारत से बिदेशों को वापस चली गई उसका ५२·६० करोड़ होने का अनुमान लगाया जाता है। सन् १९४५ और १९४७ के बीच जितनी पूंजी विभिन्न विदेशों को वापस गई उसके आंकड़े प्राप्य नहीं हैं।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि इस विदेशी पूंजी में से कितनी सन् १९४७ के बाद पुनः विनियोजित हुई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, विदेशी पूंजी के बारे में एक और प्रश्न भी है—दोनों पूंजी के वापस चले जाने से सम्बन्ध रखते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह ज्ञात करना चाहते हैं कि देश में कितनी पूंजी विनियोजित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : दुबारा ?

श्री सी० डी० देशमुख : दुबारा नहीं, किन्तु इसके विपरीत कितनी पूंजी विनियोजित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न कौन सा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : दूसरा प्रश्न संख्या ८६१ है जो छोड़ दिया गया था। १५ अगस्त, १९४७ से ३१ दिसम्बर, १९५१ तक कुल १०·९८ करोड़ रुपये विनियोजित किये गये।

श्री के० के० बसु : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकेंगे कि इस समयावधि में इस विदेशी पूंजी का कुल कितना लाभांश लिया गया ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसके लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि इस पूंजी में से कितनी प्रतिशत भारत के बाहर निगमित समवायों में और कितनी प्रतिशत भारत में निगमित समवायों में विनियोजित है ?

श्री सी० डी० देशमुख : क्या वह नई पूंजी के बारे में पूछ रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : अब तक विनियोजित कुल पूंजी के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : नई पूंजी के बारे में, अर्थात्, इस पूंजी के बारे में जो पूंजी के पुनः अपने देशों को वापस चले जाने के बाद यहां विनियोजित हुई ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस में से अधिकांश भारत में रजिस्टर्ड कम्पनियों में ही है ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या विदेशी विनियोजकों को कोई विशेष आश्वासन दिया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख: विदेशी विनियोजकों की मुख्य चिन्ता यही है कि वह लाभांश को यहां से बाहर भेज सकें । उन के ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है और न ही रही है । दूसरी बात वह यह चाहते हैं कि उनके पूंजी को वापस भेजने पर कोई प्रतिबन्ध न हो । स्टार्लिंग क्षेत्रों द्वारा विनियोजित पूंजी के वापस भेजे जाने पर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा है, और जहां तक गैर-स्टार्लिंग क्षेत्रों द्वारा विनियोजित पूंजी के भेजे जाने का प्रश्न है, हमने मूल पूंजी के वापस भेजे जाने के सम्बन्ध में तो सुविधायें देने का वचन दे दिया है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि मूल पूंजी में जो वृद्धि हुई हो उस के सम्बन्ध में भी यह वचन लागू हो । इस वृद्धि के सम्बन्ध में निर्णय तो इस बात पर निर्भर होगा कि उस समय हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति कैसी है ।

पंडित के० सी० शर्मा : ऐसी मूल सम्पत्ति की राशि कितनी है जिसके वापस भेजे जाने के सम्बन्ध में आश्वासन दे दिया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : वह तो एक छोटी सी धनराशि है । मैंने १०·९८ करोड़ रुपये की जिस धनराशि का उल्लेख किया उसमें से ९·७१ करोड़ रुपय ब्रिटेन के हैं, २८ लाख रुपये स्टार्लिंग क्षेत्र वाले देशों के हैं तथा ७४ लाख रुपये सुलभ मुद्रा वाले देशों के हैं। तो जिस पूंजी के बारे में प्रत्याभूति दी गई है उसकी राशि बहुत कम है ।

पंडित के० सी० शर्मा : इस प्रत्याभूति की आवश्यकता किन विशेष कारणों से पड़ी ?

अध्यक्ष महोदय : इस से तो प्रश्न का विस्तार बढ़ेगा ।

विश्व विज्ञान कोष का सम्पादन

*८६७. **श्री एन० प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार हिन्दी में विश्व विज्ञान कोष का सम्पादन करवा रही है;

(ख) यदि करवा रही है, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; तथा

(ग) इस के सम्पादन में कितना धन व्यय किया जायेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी नहीं । अभी तो इसका सम्पादन नहीं हो रहा है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एन० प्रभाकर : क्या भविष्य में ऐसा कोष सम्पादन किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां; ज़रूर किया जायेगा। उसकी तैयारी तो हो रही है।

श्री एन० प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि उस में किन किन विद्वानों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी तो शब्दों का संकलन हो रहा है ; जब संकलन हो जायेगा तो कोष बनाना भी शुरू हो जायेगा और उसमें तमाम देश के विद्वानों को, जितनी आवश्यकता होगी, सम्मिलित किया जायेगा।

श्री एन० प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : वह यही बात न पूछते रहें।

श्री एन० प्रभाकर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह शब्द कोष सचित्र होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह फिर विस्तार में पड़ रहे हैं। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

अभ्रक जांच समिति की रिपोर्ट

*८६८. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभ्रक जांच समिति की रिपोर्ट में की गई सिपारिशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी; तथा

(ख) यदि हां तो क्या; और उस में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण जिस में यह बतलाया गया है कि अभ्रक जाँच समिति की प्रत्येक सिपारिश पर क्या कार्यवाही की गई है सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४**

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सलेम जिले में अभ्रक पाया जाता है तथा यदि पाया जाता है, तो उस का और विकास करने के लिए क्या कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे ज्ञात नहीं, श्रीमान्।

अभ्रक

*८६९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-भौतिकीय परिमापन द्वारा अभ्रक का पता लगाया जाना सम्भव है ; तथा

(ख) क्या इस दिशा में कोई प्रयोग किये गये थे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री की सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी नहीं। भारत भू-तत्वीय परिमापन के संचालक का कथन है कि भू-भौतिकीय पूर्वेक्षण के वर्तमान तरीके अभ्रक का पता लगाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

(ख) जी हां। गत युद्ध के आरम्भ में बिहार के कोडर्मा क्षेत्र में भारत भूतत्वीय परिमापन के ज्यामिति विभाग ने, भारत भूतत्वीय परिमाप के सहयोग से एक प्रयोग किया था परन्तु वह सफल नहीं हुआ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या कोई प्रयोग हाल में किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं। सत्य तो यह है कि हमारे विशेषज्ञों को राय में अभ्रक का पता लगाने में भू-भौतिकोय तरीकों से काम लेना निरर्थक होगा।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा किसी अभ्रक की खान पर काम किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, परन्तु खानों से पदार्थ निकालने का काम राज्य सरकारों का होता है।

शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

***८७०. श्री मादिया गौडा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति संस्था) ने भारत में एक आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने का विचार प्रकट किया है; तथा

(ख) इस कार्य के लिए यूनेस्को भारत सरकार से क्या क्या सुविधायें चाहता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). यूनेस्को ने संसार के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में आधारभूत शिक्षा केन्द्रों का जाल फैलाने की जो मुल विशेष परियोजना तैयार की थी उस में भारत भी सम्मिलित था। उक्त परियोजना के अन्तर्गत यूनेस्को द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी थी। परन्तु उस योजना में फेरबदल कर दिया गया है और अब यूनेस्को विशेषज्ञों, पारिषद्यता तथा सीमित उपकरणों के रूप में केवल टैक्निकल सहायता दे सकता है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या ऐसा केन्द्र भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये।

श्री मादिया गौडा : इस सम्बन्ध में कोई निर्णय होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूनेस्को ने मूल योजना में कुछ फेरबदल किया है, हमें नये सिरे से यह फैसला करना है कि अब क्या किया जाये।

श्री मादिया गौडा : मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया। यूनेस्को भारत सरकार से क्या क्या सुविधायें मांगता है ?

श्री क० डी० मालवीय : यूनेस्को का इरादा पहले तो अपना स्वयं का केन्द्र स्थापित करने का था, परन्तु अब उसने अपनी योजना में फेरबदल कर दिया है तथा वह अपना स्वयं का केन्द्र स्थापित नहीं कर रहा है वह हमें सुविधायें देने के लिये तैयार है तथा अब हमें यह विचार करना है कि हम अपना केन्द्र स्थापित कर सकते हैं या नहीं।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि "आधारभूत शिक्षा" के अन्तर्गत किस किस प्रकार की योजनायें आयेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वह माननीय मंत्री से बाद में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। यह तो इतनी विस्तृत बात है कि एक प्रश्न पूछ कर ज्ञात नहीं की जा सकती।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह प्रशिक्षण केन्द्र यूनेस्को के सीधे नियंत्रण और देखरेख में होगा या इसके संचालन में भारत का भी हाथ होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय हमारे समक्ष इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रश्न प्रस्तुत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय। वह कह चुके हैं कि सम्पूर्ण विषय विचाराधीन हैं। अगला प्रश्न।

राष्ट्रमंडलीय सेनापति सम्मेलन

*८७१. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि दक्षिण इंगलैण्ड के लार्कहिल नामक स्थान में २५ जून १९५२ से २७ जून, १९५२ तक अंग्रेजी सेना और राष्ट्रमंडलीय सेनापतियों का सम्मेलन होगा ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या भारतीय सेना के प्रमुख उक्त सम्मेलन में भाग लेंगे;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उपरोक्त सम्मेलन में भाग लेने का उद्देश्य तथा आवश्यकता क्या हैं; तथा

(घ) क्या उक्त सम्मेलन में किये गये निर्णय भारत सरकार पर बाध्य होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय सेना के कमान्डर-इन-चीफ तथा प्रधान सेनापति जनरल करिअप्पा तथा पश्चिमी कमान के मुख्य महासेना संचालक लैफ्टिनेंट जनरल एस० एम० श्रीनगेश इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

(ग) सम्मेलन का उद्देश्य सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के सामान्य हित की व्यवसायिक समस्याओं पर चर्चा करना है। इन का महत्व इसलिये और भी है क्योंकि इन के द्वारा हमें सैनिक विचारों की प्रगति व प्रवृत्ति का आभास मिलता है।

(घ) ऐसे कोई निर्णय नहीं किये जायेंगे और इसलिये उनके भारत सरकार पर बाध्य होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है और उत्पन्न हो भी नहीं सकता है।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को ब्रिटिश युद्ध कार्यालय द्वारा गत २९ मई को की गई घोषणा का पता है जिस में यह बतलाया गया था कि यह सम्मेलन विश्वव्यापी युद्ध-विधि का पर्यालोकन करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा समस्याओं पर चर्चा करेगा ?

श्री गोपालस्वामी : जहां तक हमें ज्ञात है सम्मेलन द्वारा ऐसी किसी भी समस्या पर विचार नहीं किया जायेगा। जैसा कि हमारा अनुमान है, सम्मेलन में इन जैसी बातों पर चर्चा की जायेगी : लड़ाकू दस्तों का संगठन ; नये प्रकार के शस्त्र तथा उपकरण ; शस्त्रों तथा उपकरणों के नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप युद्ध के सिद्धान्तों को नये ढंग से लागू करना। अब तक तो हमें यही कुछ ज्ञात है।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि नये शस्त्रों तथा लड़ाकू दस्तों के संगठन आदि जैसे प्रश्नों पर चर्चा करने में भारत की क्या रुचि है ?

श्री गोपालस्वामी : व्यवसायिक रुचि।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री सेनापति के साथ कुछ वैज्ञानिकों के भेजे जाने की वांछनीयता पर विचार करेंगे क्योंकि नये शस्त्र बहुत जटिल हैं तथा उन के उपयोग को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनके साथ कुछ वैज्ञानिक भी जायें।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य अपने प्रश्न के साथ एक तर्क भी मिला रहे हैं। उन के प्रश्न का प्रथम भाग तो एक सुझाव है, परन्तु उस का उत्तर दिया जा सकता है : क्या सरकार प्रधान

सेनापति को किन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा परामर्श अथवा सहायता दिलाने का विचार रखती है ?

श्री गोपालस्वामी : यह एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन होगा, अर्थात्, इस में सभी सम्बन्धित देशों के प्रधान सेनापति भाग लेंगे। उन में से जिस किसी को भी वैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होगी वह अपने वैज्ञानिक परामर्शदाता से प्राप्त कर लेंगे। परन्तु इस प्रकार के सम्मेलन में वैज्ञानिक परामर्शदाता के रूप में कोई नहीं जायेगा।

श्री ईश्वर रेड्डी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ब्रिटिश युद्ध कार्यालय की इस घोषणा का खंडन करेगी जिस में यह कहा गया था कि यह सम्मेलन विश्वव्यापी युद्धविधि तथा अन्तर्राष्ट्रमंडलीय रक्षा समस्याओं पर चर्चा करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ ही मिनट पहले यह प्रश्न पूछा जा चुका है और उस का उत्तर भी दिया जा चुका है।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने राष्ट्रमंडलीय देशों की सामान्य रक्षा योजना में सम्मिलित होने का कोई बचन दे दिया है ?

श्री गोपालस्वामी : ऐसा कोई बचन नहीं दिया गया है।

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कर्मचारीवर्ग

*८७२. **श्री संगण्णा** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा राज्य के प्रत्येक जिले में समस्त श्रेणियो के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है ; तथा

(ख) क्या सब कर्मचारियों को प्रादेशिक भाषा का कामचलाऊ ज्ञान है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उत्तर यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री संगण्णा : इस में कितना समय लगेगा, श्रीमान् ?

श्री त्यागी : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस समय डिवीज़न भर में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यदि वह चाहें तो मैं यह तो बतला सकता हूं कि कितने कर्मचारियों के रखे जाने की मंजूरी है। वास्तव में, सारे उड़ीसा को कलकत्ते के उत्पाद-शुल्क समाहर्त्तालय के अधीन एक डिवीज़न माना गया है। कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या तो मेरे पास है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं पढ़ कर भी सुना सकता हूं।

तम्बाकू करारोपण सम्बन्धी जांच समिति

*८७३. **श्री संगण्णा** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्य उड़ीसा राज्य के आंशिक रूप से करमुक्त क्षेत्रों में तम्बाकू पर कर लगाने के लिए कोई करारोपण जांच समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम को आंशिक रूप से करमुक्त क्षेत्रों में भी लागू करने से पहले उड़ीसा की सरकार से विचार विमर्श किया गया था ; तथा

(ग) यदि हां, तो कब ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) उड़ीसा राज्य के आंशिक रूप से करमुक्त क्षेत्रों में तम्बाकू पर कर लगाने के लिए कोई करारोपण जांच समिति नियुक्त नहीं की गई थी।

(ख) तथा (ग). जी हां; इस विषय में भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार के साथ फरवरी १९४४ में बातचीत की थी तथा उड़ीसा सरकार ने, २१ मार्च, १९४४ को निर्गमित एक अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार अधिनियम, १९३५ की धारा ९२ की उपधारा (१) के अनुसार, यह आदेश दिया था कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम उड़ीसा के आंशिक रूप से करमुक्त सभी क्षेत्रों पर लागू होगा।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या निकट भविष्य में करारोपण जांच समिति नियुक्त करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री त्यागी : जी नहीं।

अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां

*८७४. **श्री रामानन्द दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए; तथा

(ख) उनमें से कितनों को छात्रवृत्तियां दी गईं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५**]

श्री रामानन्द दास : अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के रूप में कितना अनुदान दिया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ऊपर निर्दिष्ट तीनों समुदायों को एक समान माना जाता है या उन में कोई परस्पर भेद किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : इन उप-समुदायों में ऐसा कोई भेद नहीं किया जाता हैं ?

श्री वैलायुधन : क्या अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति पर्षद् की नियुक्ति मंत्री महोदय अपनी स्वेच्छा के अनुसार करते हैं या अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नियुक्ति के बारे में संसद् या किसी अन्य निकाय की राय भी ली जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : पर्षद् संसद् द्वारा नहीं बनाया जाता है। इस की रचना का उत्तरदायित्व मंत्रालय पर होता है।

श्री नानादास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या क़ानून की पढ़ाई के लिए भी कोई छात्रवृत्ति दी गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : इस विषय में मुझे इस समय जानकारी नहीं है।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह छात्रवृत्तियां राज्यवार दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ऐसा कोई विभाजन नहीं है।

श्री ई० इय्यानी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि १९५१-५२ में टैकनिकल (प्रविधिक) शिक्षा तथा उच्च शिक्षा, अर्थात् महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

अध्यक्ष महोदय : वह भारत में तथा विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, यह सब आंकड़े भारत में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री **वीरस्वामी** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की किन किन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किन विषयों की ? यह तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है।

ग्राम्य विश्वविद्यालय

*८७५. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट में ग्राम्य-विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस समय कितने ग्राम्य-विश्वविद्यालय मौजूद हैं ?

(ग) क्या बिहार में ऐसी संस्थाएं स्थापित करने की कोई योजना है, तथा

(घ) यदि है, तो कब और कहां ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६**]

श्री सी० एन० पी० सिन्हा : क्या भारत के वर्तमान विश्वविद्यालयों में से कुछ को ग्राम्य-विश्वविद्यालयों में परिणत करने की कोई योजना है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

श्री मादिया गौडा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ग्राम्य-विश्वविद्यालयों की स्थापना की कोई निश्चित योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

श्री मादिया गौडा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अलीपुर का जनता कालिज वैसा है जैसा कि विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट में निर्दिष्ट ग्राम्य-विश्वविद्यालय हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जी हां, गवर्नमेंट के सामने यह बात है। अगर फाइनैंशियल स्ट्रिंजेंसी (आर्थिक कठिनाईयां) न रहे तो जनता कालिज को यूनीवर्सिटी (विश्वविद्यालय) तक पहुंचाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सूची समाप्त हुई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वायु-चुम्बकीय पर्यालोकन

*८५१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५१-५२ में देश के किन्हीं भागों का वायु-चुम्बकीय पर्यालोकन किया गया था ;

(ख) क्या इस अवधि में पेट्रोलियम के किन्हीं नये क्षेत्रों का पता लगा है ; तथा

(ग) इसी अवधि में देश में कितना पेट्रोलियम निकाला गया ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पर्यालोकन से कुछ बातों का तो पता लगा है, परन्तु यह प्रमाणित करने के लिए कि वहां तेल है, धरातल पर विस्तृत खोज की जानी होगी जिसमें भू-भौतिकीय तरीके तथा प्रयोग रूप में बर्मे से छेद करने की कार्यवाहियां सम्मिलित हैं।

(ग) भारत में क्रूड आयल का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग २,५०,००० टन है । पेट्रोल के औसत वार्षिक उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है।

निर्वाचन

*८५२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में निर्वाचन के समय असैनिक प्राधिकारियों द्वारा सेना बुलानी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो कहां और सेना ने क्या योग दिया ; तथा

(ग) क्या हाल के सामान्य निर्वाचनों में देश के कुछ मतदान केन्द्रों में नेशनल कैडट कोर (राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय) का भी उपयोग किया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां, अजमेर में, मतदान केन्द्रों के आस पास व्यवस्था बनाये रखने के लिये ।

ब्रिटिश वाणिज्यक विनियोग

*८६१ **श्री वी० पी० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि (१) विश्व युद्ध २ से तथा (२) शक्ति हस्तान्तरण के पश्चात् भारत में ब्रिटिश वाणिज्यिक विनियोग का कितने प्रतिशत् भाग भारतीयों को बेचा गया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : ब्रिटिश विनियोग के भारतीयों को बेचे जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है । १५ जुलाई, १९४७ से ३१ दिसम्बर, १९५१ तक भारत के निवासियों (भारतीयों या गैर-भारतीयों को बेची गई व्यापार संस्थाओं से हुई आय के हिसाब में से संयुक्त राज्य ब्रिटेन को भेजी गई धनराशि १३·६८ करोड़ रुपये थी । इससे पहले के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य नहीं है । भारत में ब्रिटिश विनियोग, जैसा कि ३० जून, १९४८ को था, का अनुमान २३०·१४ करोड़ रुपये (पुस्त मूल्य) और ३७५·६१ करोड़ रुपये (विपणि मूल्य) लगाया गया था ।

राज्यों को वित्तीय सहायता

१७७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या वित्त मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बतलाया गया हो कि २२ अगस्त, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के भाग (ख), (ग) तथा (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट जानकारी देने वाले विवरणों से संलग्न टिप्पणियों के आधार पर सरकार द्वारा इन मदों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है :-

(क) विवरण संख्या १ के १, २; तथा विवरण २ में आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद दक्षिण, मैसूर, पैप्सू, त्रावनकोर तथा कोचीन, राजस्थान, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, त्रिपुरा, भोपाल, कच्छ, तथा अन्डमान शीर्षों के अन्तर्गत किये गये वायदे ;

(ख) सौराष्ट्र विन्ध्य प्रदेश की सिंचाई योजनायें, तथा

(ग) उपयुक्त, व्ययगत, तथा चालू आयव्ययक में उपबन्धित, स्वीकृत धन-राशियां ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) एक विवरण जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७।**]

(ग) जहां तक मध्य प्रदेश और उड़ीसा का सम्बन्ध है, स्वीकृत धनराशियों का उपयोग 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लिए पूर्ण रूप से किया गया था । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि वर्ष १९५२-५३ में भिन्न भिन्न योजनाओं पर व्यय किये जाने के लिए कितना कितना धन आबंटित किया जाये । जहां तक 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन तथा सिंचाई योजनाओं का प्रश्न है, राज्य सरकारें इन्हें जून १९५३, अर्थात् फ़स्ल वर्ष के अन्त तक, जारी रखेंगी । अतः राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई धनराशियों के सम्बन्ध में जानकारी उस अवाध के समाप्त होने पर ही प्राप्त हो सकेगी ; केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के लिए इकट्ठी व्यवस्था है, प्रयोजनवार नहीं अतएव यह कहना सम्भव नहीं है कि चालू आयव्ययक में अलग अलग योजनाओं के लिए कितने कितने धन की व्यवस्था कि गई है ।

राज्यों में निरक्षरता

१७८. **श्री मादिया गौडा :** क्या शिक्षा मंत्री नवीनतम जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य में निरक्षरता की प्रतिशतता बतलाने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलना आज़ाद) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है ; अतः आंकड़े अभी नहीं दिये जा सकते ।

राष्ट्रीय बचत योजना

१७९. **श्री आर० डी० मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ में, दिल्ली क्षेत्र में, राष्ट्रीय बचत योजना में ५ रुपये, १० रुपये, ५० रुपये, १०० रुपये, १००० रुपये और ५,००० रुपये के मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स) तथा १०० रुपये से लेकर ५,००० रुपये तक के मूल्य के राजकोष बचत निक्षेपों (ट्रेज़री सेविंग्स डिपोज़िट्स) के रूप में कुल कितनी धन राशि विनियोजित की गई ;

(ख) इन वर्षों में उक्त योजना पर कुल कितना धन व्यय हुआ ; तथा

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों तथा राजकोष बचत निक्षेपों में विनियोजित धन का अधिकांश भाग भविष्य निधि लेखों, सेविंग्स बैंक निक्षेपों, चालू खातों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के बड़े बड़े वाणिज्यिक साथों तथा संस्थाओं से निक्षेपों में बदले जाने से आता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में, दिल्ली क्षेत्र में, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में विनियोजन प्राय: इस प्रकार हुआ था :—

प्रमाणपत्रों का मूल्य रुपये	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२ अप्रैल १९५१ से जनवरी १९५२ तक
५	२८,६८५	१९,३८५	५,९९५
१०	९५,७६०	६०,८७०	३६,५१०
५०	१,४५,०५०	७९,९५०	९१,६५०
१००	१०,४३,६००	७,३४,३००	६,९०,६००
१,०००	५१,०१,०००	४५,१९,०००	३७,७१,०००
५,०००	७७,६०,०००	४९,५०,०००	३३,२५,०००
	१४१,७४,०९५	१०३,६३,५०५	७९,२०,७५५

दिल्ली लोक ऋण कार्यालय में १ फ़रवरी, १९५१ से जिस दिन से कि निक्षेप प्रारम्भ हुए, ३१ मार्च, १९५२ तक, १०० रुपये से लेकर ५,००० रुपये तक के मूल्य के दस-वर्षीय राजकोष बचत निक्षेपों (ट्रैज़री सेविंग्स डिपोज़िट्स) में कुल ६५,३३,५०० रुपये विनियोजित हुए।

दिल्ली क्षेत्र में, राजकोष बचत निक्षेपों (ट्रैज़री सेविंग्स डिपोज़िट्स) में विनियोजित धन के पृथक् आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। दिल्ली लोक-ऋण कार्यालय के अभिलेखों से अपेक्षित आंकड़े संकलित करने में जितना समय, श्रम और धन लगेगा वह उसके परिणाम के सममात्रिक नहीं होगा।

(ख) लघु बचत योजना पर कुल व्यय प्राय: इस भांति था :—

	(हजार रुपयों में)
१९४९-५०	.....२१,१७
१९५०-५१	.....२३,३८
१९५१-५२	.....३०,००

दिल्ली प्रान्तीय संघटन पर व्यय इस प्रकार हुआ :—

	(हजार रुपयों में)
१९४९-५०	.....८९
१९५०-५१	.....८०
१९५१-५२	.....८२

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह समझा जा सके कि यह ठीक है।

अनुसूचित आदिम जातियां

१८०. श्री देवगम : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत गणराज्य में अनुसूचित आदिम जातियों की पूर्ण जनसंख्या;

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा पर सरकार द्वारा गत वष व्यय की गई धनराशि ;

(ग) उनकी शिक्षा पर इस वर्ष के आयव्ययक में से व्यय की जाने वाली धन-राशि;

(घ) भारत में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय; तथा

(ङ) अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) सन् १९५१ की जनगणना के आंकड़े तो अभी प्राप्य नहीं हैं, किन्तु १९४१ की जनगणना के अनुसार भारत गणराज्य में अनुसूचित आदिमजातियों के व्यक्तियों की संख्या लगभग २,४७,४३,००० थी ।

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा पर राज्यों द्वारा, उन्हें शिक्षण शुल्क से मुक्त करने तथा उनकी प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देने के रूप में, किये गये व्यय के अलावा भारत सरकार ने सन् १९५१-५२ में २,८१,७८० रुपये अनुसूचित आदिम जातियों के मैट्रिक से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छत्रवृत्तियां देने में व्यय किये ।

(ग) ३,५०,००० रुपये ।

(घ) सन् १९४९-५० के आंकड़ों के अनुसार शिक्षा पर व्यय २·९ रुपये प्रति व्यक्ति था ।

(ङ) जानकारी प्राप्त नहीं है क्योंकि अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा पर होने वाले व्यय के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

तम्बाकू उत्पादन

१८१. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में सन् १९४७ से १९५१ तक प्रत्येक ज़िले में कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती हुई ;

(ख) उपरोक्त दो राज्यों में सन् १९४७ से १९५१ तक प्रत्येक जिले में कितने तम्बाकू उत्पादक थे ;

(ग) प्रत्येक जिले में उन तम्बाकू उत्पादकों की संख्या क्या थी जो तम्बाकू व्यक्तिगत उपभोग के लिए उत्पन्न करते हैं ; तथा

(घ) इन वर्षों में दोनों राज्यों के प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

बुनयादी शिक्षा की प्रगति

१८२. **श्री सी० ऐन० पी० सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बुनियादी शिक्षा की अब तक हुई प्रगति ; तथा

(ख) भारत में बुनियादी शिक्षा देने वाली शिक्षा संस्थाओं की संख्या ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) (क) माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक २९ मई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६६ तथा २७६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

(ख) भारत म बुनियादी शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या के सम्बन्ध में प्राप्य नवीनतम सूचना सन् १९५०-५१ के बारे में है तथा सदन पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या

राज्यों को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान

*१८३. **श्री एन० वी० चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४८-४९, १९४९-५०,

१९५०-५१ और १९५१-५२ में संघ सरकार द्वारा राज्यों को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान देने में कुल कितना धन व्यय किया गया ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : सन् १९४८-४९ तथा १९४९-५० में राज्य सरकारों को युद्धोत्तर विभाग कार्यों के लिए, जिन में उन की शिक्षा सम्बन्धी विकास योजनायें भी शामिल थीं, इकट्ठे विकास अनुदान दिये गये थे। शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों के पृथक् आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। सन् १९४९-५० में राज्य सरकारों को उनकी बुनयादी तथा सामाजिक शिक्षा योजनाओं के लिए, विशे अनुदान भी दिये गये थे। इकट्ठे अनुदानों तथा इन विशेष अनुदानों के बारे म यदि और जानकारी प्राप्त करनी हो तो श्री जांगड़े द्वारा १९ जून, १९५२ को पूछे गये प्रश्न संख्या ७०७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को देखा जाये।

उक्त योजना—भारत में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की अग्रेतर शिक्षा—के लिए राज्यों को दिये गये अनुदानों के हेतु यह व्यय किया गया :—

वर्ष	राशि
	रुपये आ० पा०
१९४८-४९ ..	८९९ ८ ०
१९४९-५० ..	१६,३७७ १० ०
१९५०-५१ ..	३०,०७९ ७ ०
१९५१-५२ ..	४२६ ० ०

वर्ष १९५०-५१ और १९५१-५२ में वैस्ट बंगाल इंजीनियरिंग कालिज, शिवपुर, के प्रिंसिपल को भवन निर्माण के लिए क्रमशः ४,५०,००० रुपये तथा ३,००,००० रुपये के पूंजी अनुदान भी दिये गये थे।

Monday, 16 June 1952

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, १६ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

(देखिये भाग १)

९-९ म० पू०

विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न

श्री दशरथ दव की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : हम सब से पहले विशेषाधिकार सम्बन्धी उस प्रश्न को लेंगे जो शुक्रवार को उठाया गया था। माननीय मंत्री इस विषय में क्या सूचना देंगे ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मेरे पास त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त का एक तार पहुंचा है जिस में बताया गया है कि एक विस्तृत चिट्ठी भेजी जा रही है। तार से यह पता चलता है कि पुलिस ने श्री दशरथ देब से पूछताछ की थी, और पुलिस की प्रार्थना पर वह इसी महीने के दिनांक १२ को प्रातः ८ बजे पुलिस के दफ्तर में उपस्थित हुये थे, जहां उन्हें अपहरण के एक मामले में, जिसमें पुलिस की जांच हो रही है और जिस में उनका (श्री दशरथ देब का) हाथ समझा जाता है, बुलाया गया था। प्रश्न पूछे जाने के बाद उन्हें पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ़तार किया और तत्काल सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट (उपविभागीय मजिस्ट्रेट)

के पास पहुंचाया, जहां से प्रातः साढ़े दस बजे उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। यही घटना हुई है : आठ बजे से एकाध घंटे तक प्रश्न पूछे गये ; औपचारिक रूप से पकड़ा गया, वहां से सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया गया, जहां से उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। बस, मेरे पास यही सूचना है।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व भावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) उठे—

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर मैं कोई लम्बी चौड़ी दलीलें नहीं सुनाना चाहता। क्या वह मुझे कोई सूचना देना चाहते हैं ?

श्री वैलायुधन : मैं मंत्री जी को कुछ सूचना देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अध्यक्ष की हैसियत से तथा सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रभारी एवं सदन में उत्तरदायी पदाधिकारी होने के नाते मैं सदस्यों के विशेषाधिकारों का अधिक ध्यान रखता हूं। मैं ने सभी तथ्य सुन लिये हैं, और अब यह स्पष्ट है कि श्री दशरथ देब जेल में नहीं हैं न ही नज़रबन्द हैं। इतना स्पष्ट है, किन्तु, मुझ इस समय इस बात का संदेह हो रहा है—यह गिरफ्तारी पांच-दस मिनट की ही क्यों न हो—कि अभी तक सम्बन्धित पदाधिकारी से मुझे इस बात की कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई संसद्-सदस्य गिरफ़तार किया गया था। और मैं इसी बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

डा० काटजू : श्रीमान्, मुझे आज्ञा हो तो इस विषय में एक बयान दूं। हम ने मुख्य आयुक्त से उस तार में यही पूछा था कि क्या उस ने आप को उस प्रसंग में निर्देश किया था, और उस के साथ ही हम ने उस साधारण परिपत्र की ओर जो गृह मंत्रालय द्वारा विगत वर्ष जारी किया गया था, निर्देश किया था। उस ने उत्तर में यही लिख भेजा है कि मुझे कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है; अतः त्रिपुरा में बैठे बैठे मुझे इस बात का पता नहीं चला कि आप (अध्यक्ष जी) को तत्काल सूचना भेजना आवश्यक एवं उचित था। तो यह हो सकता है कि चूंकि त्रिपुरा 'ग' भाग राज्य है, अतः उसे चिट्ठी भेजी नहीं गई हो, अथवा मिली न हो। किन्तु वह कहता है कि मुझे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। श्रीमान्, यदि सूचना नहीं मिली है तो मैं इसका उत्तरदायित्व लेता हूं। आप कृपया क्षमा करें।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिमी) उठे—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्पष्ट है, और यह भी माना जा चुका है कि कोई सूचना नहीं दी गई है। इतना कहा जाता है कि इस में एक प्राविधिक त्रुटि रही है, अतः यदि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय तो इस पर जांच की जा सकती है। इस जांच के बाद ही यह बताया जा सकता है कि गिरफ्तारी उचित थी अथवा नहीं। अतः, सभी बातों को ध्यान में रखते हुये मैं विशेषाधिकार समिति के समक्ष यह प्रश्न रखता हूं।

भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री ऐंल० बी० शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय पत्तन अधिनियम, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (रेल) संख्या २ विधेयक

रेंल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मेरा प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में रेलवे सेवा कार्य में व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि में से कतिपय अग्रेतर धन राशियों के शोधन तथा भुगतान को अधिकृत करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों के लिये मागें

अध्यक्ष महोदय : आज वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सिलसिले में प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों पर बहस होगी। इस समय मेरे पास उन कटौती प्रस्तावों की सूची है जिन पर सभी सहमत हैं; अतः उन के प्रस्तुत किये जाने से पहिले शिक्षा के प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे, बाद में उन पर बहस जारी रखी जायेगी.....

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : हम प्रति दिन मध्याह्न भोजन के बाद ही बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता जब तक सदन की सहमति न हो। इस प्रकार काम का बहुत बोझ पड़ जायेगा।

जब तक सदन के सभी सदस्य इस बात पर सहमत न हों, मेरा विचार है कि सभी सहमत नहीं होंगे, तब तक हम अपराह्न में बहस जारी नहीं रख सकते । इस स्थिति में यही होगा कि बैठक की निश्चित अवधि में जितना भी हो सके, किया जायेगा, और शेष कार्य अगले दिन पर छोड़ा जायेगा । आप लोग ऐसा चाहते भी हों कि देर तक सदन बैठे और इन मांगों पर बहस करे, किन्तु मैं नहीं चाहता कि समय में रोज़ ही वृद्धि की जा (**अन्तर्बाधा**) यह तो भिन्न बात है कि इस काम को पूरा किया जाय किन्तु हमें सदस्यों की सुविधाओं को भी देखना है जिन पर काम का काफ़ी बोझ है । मैं इसलिये आप से प्रार्थना कर रहा था कि, आप कम से कम समय में अधिक काम करने की आदत डालें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई अपव्यय न हो और सभी को बोलने का अवसर मिले । माननीय सदस्यों को चाहिये कि पूरी तैयारी कर के ही यथासंगत तथा तर्कसम्मत भाषण दिया करें, और केवल आलोचना के लिये आलोचना न किया करें बल्कि रचनात्मक सुझाव दें । जो भाषण जितना ही सुलझा और संगत हो वह उतना ही बढ़िया रहता है । मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य स्वतंत्रापूर्वक तथा स्पष्ट शब्दों में बोलें, ताकि सभी को उन का दृष्टिकोण जानने का मौका मिल सके और यदि सभी स्पष्ट और संगत शब्दों में बोलेंगे तो हमें हर एक सदस्य की बात सुनने का अवसर मिल सकेगा । अस्तु, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता । मैं समझता हूं कि आज दिन का सारा समय वाणिज्य तथा उद्योग की बहस में चला जायेगा, तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री अपना उत्तर कल ही दे सकेंगे ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : कल भी यही बात होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसीलिये कहता हूं कि हम बहस जारी रख सकते हैं किन्तु अंतिम दिन कालावधि-बृद्धि अथवा शाम को देर तक बैठने की बात मैं स्वीकार नहीं करूंगा । आखिर, हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिये । अब मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना उत्तर जारी रखें ।

श्री पोकर साहब (मलप्पुरम्) उठे—

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने प्रश्न के लिये मुझ से बाद में भी मिल सकते हैं । इस तरह सदन का समय नष्ट हो जाता है ।

श्री पोकर साहेब : मैं उस भाषण का अनुवाद चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास माननीय सदस्य की चिट्ठी भी पड़ी है । कालान्तर में उन्हें उस चिट्ठी का भाषान्तर भेजा जायेगा वह उन्हें कालान्तर में मिल जायेगा । वह भाषण संसद् सचिवालय की अनुवादक शाखा को भेजा गया है, वहां उसका अनुवाद होगा, और बाद में वह माननीय सदस्य के पास पहुंचाया जायेगा ।

श्री पोकर साहेब : मैं इसीलिये अनुवाद चाहता हूं कि वे माननीय सदस्य जो भाषण नहीं समझ सकते, उसके समाप्त होने से पहले ही उसे पढ़ लें, और भाषण की समाप्ति पर मत दे सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । इसीलिये मैं उसका अनुवाद करा रहा हूं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या माननीय सदस्य सचमुच हिन्दुस्तानी नहीं जानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि वह हिन्दुस्तानी नहीं जानते हैं ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जनाब परसों में चार घंटे तक उन तमाम दोस्तों की स्पीचें पूरे ग़ौर और दिलचस्पी के साथ सुनता रहा जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया था। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत हद तक मुझे मायूसी हुई। जिन साहबों ने बहस में हिस्सा लिया, सिवाय एक साहब के जिन्होंने शेड्यूल कास्ट स्कालरशिप के बारे में शिकायत की थी, और मैं आगे चलकर इस का जवाब दूंगा, उन सब की तक़रीरों का खुलासा (सार) यह था कि गवर्नमेंट तालीम के लिये जो कुछ इस वक्त (समय) कर रही है, वह ज़रूरत के मुक़ाबिले में बहुत कम है, काफ़ी नहीं है और ज़्यादा काम होना चाहिये। मेरे दोस्त डाक्टर मेघनाथ साहा ने कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) पेश किया। इस का सारा ज़ोर भी सिर्फ़ इस बात पर था कि तालीम के लिये जिस क़द्र रुपया निकालना चाहिये नहीं निकाला जाता।

बेसिक ऐजुकेशन (बुनियादी शिक्षा) की निस्बत (अपेक्षा) शिकायत की गई कि इसे तमाम मुल्क (देश) में फैलाने का कोई सामान नहीं किया गया। एडल्ट एजुकेशन (वयस्क शिक्षा) की निस्बत ख़ास तौर पर शिक्षा के लिये जो कुछ किया गया है, वह इस से बहुत कम है जितना करना चाहिये था। शेडयूल कास्ट (अनुसूचित जाति) की तालीमी तरक्क़ी (शिक्षासम्बन्धी उन्नति) के लिये जो स्कालरशिप दिये जा रहे हैं, वह बहुत कम हैं। इन के लिये कम से कम एक करोड़ रुपया हर वर्ष निकालना चाहिये। मेरे मित्र डाक्टर मेघनाथ साहा अफ़सोस करते हैं कि यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफ़ारिशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया। कमीशन की एक सिफारिश यह थी कि यूनिवर्सिटियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिये पांच करोड़ रुपये सालाना निकालना चाहिये। यह रक़म अभी तक नहीं निकाली गई है। उन्हें इस की भी शिकायत है कि खेर कमेटी की सिफ़ारिशों पर अमल नहीं किया गया। खेर कमेटी की सिफ़ारिश यह थी कि केन्द्रीय सरकार को अपने बहस की दस फ़ीसदी (प्रति शत) रक़म तालीम पर व्यय करनी चाहिये।

जनाब (महोदय)! जहां तक तालीम की समस्या का ताल्लुक (प्रश्न) है, पिछले पांच वर्षों के अन्दर बजट की बहस के लगातार पांच मौके निकले थे जिन में से हर मौके पर यही शिकायत दोहराई गई थी और हर मरतबा (बार) मुझे पूरी तफ़सील (विवरण) के साथ अपना दुखड़ा रोना पड़ा था। फिर इस के इलावा सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड आफ एजुकेशन है जिस का हर वर्ष इजलास (अधिवेशन) होता है, और हर इजलास में मिनिस्टर को बहैसियत चेयरमैन के मौक़ा मिलता है कि तालीम के कामों का पूरा नक़शा मुल्क के सामने रखें। चुनाचि मैं ने हर इजलास में एजूकेशन मिनिस्ट्री की मुश्किलों (कठिनाइयों) और रुकावटों की कहानी दुहराई है, और इस की रिपोर्टें तमाम मुल्क के सामने आ चुकी हैं। अभी पिछले मार्च में इस का सालाना इजलास हुआ था, और मैं ने अपने एड्रेस (भाषण) में तालीम के हर मसले (समस्या) की निस्बत सूरत हाल (स्थिति) साफ़ साफ़ बोर्ड के सामने रख दी थी। मुझे मालूम है कि इस नये हाऊस (सदन) में काफ़ी तादाद ऐसे मेम्बरों (सदस्यों) की है जो पिछले हाऊस में न थे, लेकिन पांच वर्षों के अन्दर हाउस में जो कुछ कहा गया है या सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड की रिपोर्ट में जो कुछ आ चुका है, वह सिर्फ़ हाऊस

के मेम्बरों के लिये नहीं था, तमाम मुल्क के लिये था और प्रेस के ज़रिये हर शख्स (व्यक्ति) के इल्म (ज्ञान) में आ चुका है।

ऐसी हालत में जनाब! आप अन्दाज़ा कर सकते हैं कि परसों जब एक के बाद एक अनरेबल मेम्बर उठे और उन्होंने वही पुरानी शिकायत दोहरानी शुरू कर दी, तो मेरे ताज्जुब और हैरानी का क्या हाल था, मैं हैरान था कि हर शख्स उसी पुरानी शिकायत को दोहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई साहब उस की ज़रूरत महसूस नहीं करते कि हमारी तालीम के प्रोग्राम में जो असली गिरह पड़ी हुई है उसे खोलने की कोई कोशिश करें? कोई क्रिटिसिज्म (समालोचना) एफेक्टिव (प्रभावोत्पादक) नहीं हो सकता जब तक उस के साथ कोई पाज़िटिव (स्थापनात्मक) पहलू भी न हो। साथ ही जो बात कही जाय, ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ कही जाय। लेकिन मैं हैरान हूं कि मेरे आनरेबिल दोस्तों ने जो कुछ कहा है उस में इन दोनों बातों की परछाइँ भी नज़र नहीं आती। डाक्टर राम सुभग सिंह ने ख्याल किया कि तालीम की एक एक बात के काम लेने की ज़हमत (दिक्क़त) क्यों गवारा की जाय? क्यों न एक ही सांस में सारा मामला खत्म कर दिया जाय। उन्होंने कहा तालीम के लिये कुछ भी नहीं हो रहा है और तालीम के लिये सब कुछ होना चाहिये! "तालीम के लिये कुछ नहीं हो रहा" यह डिकलेरेशन (विज्ञापन) सिर्फ़ यही कर सकते थे, और "तालीम के लिये सब कुछ होना चाहिये" इस फरमायश (आदेश) की भी सिर्फ़ इन्हीं से तवक़्क़ुअ (आशा) की जा सकती है, क्योंकि दोनों सूरतों में ज़िम्मेदारी के एहसास का कोई सवाल उन के लिये पैदा नहीं होता।

सवाल यह है कि क्या इस तरह की शिकायतों और फ़रमायशों से वह गिरह खुल सकती है जो तालीम के मसले में पड़ गई है, और जिस पर पांच वर्ष से बराबर मातम किया जा रहा है? मैं ने पिछले वर्ष बजट के मौके पर जो तक़रीर (भाषण) की थी, वह तक़रीर नहीं थी, मेरे दिल के ज़ख्मों की टीस थी जो ज़ुबान पर आ गई थी। मैं ने पूरी तफ़सील के साथ बतलाया था कि किस तरह पिछले पांच वर्षों के अन्दर गवर्नमेंट ने एक के बाद एक तालीम के हर मैदान में क़दम बढ़ाना चाहा, और किस तरह मजबूर और बे बस हो कर उसे रुक जाना पड़ा। अगर आप इस बुनियादी रुकावट का कोई हल बतलाने के लिये तैयार हैं, अगर आप इस के लिये तैयार हैं कि मुझे आज बतलायेंगे कि गवर्नमेंट यह हल निकाल सकती थी, लेकिन इस ने जान बूझ कर इस की कोशिश नहीं की, तो फिर आप की हर शिकायत के आगे मैं सिर झुका देने के लिये तैयार हो जाऊंगा और आप की हर शिकायत हक़ बजानिब (समुचित) होगी, लेकिन अगर आप उस बुनियादी सवाल को एकक़लम (एकदम) भुला देते हैं, और सिर्फ़ शिकायतों और फ़रमायशों पर उतर आते हैं, तो मैं आप से कहूंगा कि महज़ बातों के तोता मैना बनाने से मुल्क (देश) का कोई मसला हल नहीं हो सकता।

मैं आप को जिम्मेदारी के पूरे अहसास के साथ बार बार बतला चुका हूं और आज फिर बतलाता हूं कि मुल्क (देश) के तालीमी मसले का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पर गवर्नमेंट ने ग़ौर न किया हो, अ.र काम का पूरा नक़्शा तैयार न कर लिया हो। आज आपने तालीम के सिर्फ़ चन्द मामलों का जिक्र किया है, लेकिन गवनमेंट ने आज से चार वर्ष पहले न सिर्फ इन मामलों ही पर गौर किया था बल्कि इन के सिवाय

[मौलाना आज़ाद]

और तमाम बुनियादी और ज़रूरी मामलों पर भी आख़िरी नज़र डाल ली थी। गवर्नमेंट ने हर मसले के लिये कमेटियां बिठाईं, कमेटियों की सिफ़ारिशों पर गौर किया, और फिर एक आख़िरी फ़ैसला कर के काम का नक़्शा बना लिया। बेसिक एजुकेशन, टैकनिकल एजूकेशन, एडल्ट एजूकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फ़िज़ीकल एक्सरसाइज़ एजूकेशन (शारीरिक व्यायाम-शिक्षा), तालीम की कोई अहम (ज़रूरी) शाख़ (शाखा) ऐसी नहीं है जिसे नज़र अन्दाज़ कर दिया हो, और जिस के लिये एक तय की हुई तयार स्कीम मौजूद न हो। लेकिन जब यह तमाम स्कीमें तैयार हो गईं, एजूकेशन मिनिस्ट्री ने आख़िरी फ़सले भी कर दिये और वक़्त आया कि इन स्कीमों को अमल में लाया जाय तो मालूम हुआ कि आगे क़दम बढ़ाने का रास्ता बन्द है। एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों रास्ता बन्द है ? इस लिये कि हर स्कीम को अमल में लाने के लिये रुपये की ज़रूरत है और रुपया निकल नहीं सकता। अगर रुपया निकल नहीं सकता तो ज़ाहिर है कि काग़ज़ पर कितनी ही स्कीमें बनाई जायें लेकिन अमल में कुछ भी नहीं हो सकता। इस हाउस के पांच सौ मेम्बरों में से कोई आनरेबिल मेम्बर मुझे बतलायें कि इस रुकावट का इलाज क्या है ?

अभी चार दिन हुये कि डिफेन्स मिनिस्ट्री के बजट पर बहस हो रही थी। जहां तक मेरा हाफ़िज़ा (स्मरण शक्ति) काम देता है एक आनरेबिल मेम्बर के सिवाय जो आपोज़िट बेंच पर मेरे सामने बैठी हुई हैं और किसी मेम्बर ने यह राय ज़ाहिर नहीं की कि डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री (रक्षा मंत्रालय) का खर्च कम करना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि इस पर जोर दिया गया कि खर्च और बढ़ाना चाहिये। कई साहबों ने कहा कि यह ज़माना हवाई ताक़त का ज़माना है और हवाई ताक़त में हिन्दुस्तानी फ़ौज अभी तक कमज़ोर है। ज़रूरी है कि इसे ज़्यादा ताक़तवर बनाया जाय। गवर्नमट अगरचि इस के लिये तैयार नहीं है कि आदमी का ख़र्च और ज़्यादा बढ़ाये मगर वह भी मानती है कि आजकल के हालात में आदमी का ख़र्च और ज्यादा बढ़ाये, मगर वह भी मानती है कि आजकल के हालात में आदमी का ख़र्च कम नहीं किया जा सकता। यक़ीनन (निश्चय ही) यह खर्च बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की आमदनी का तक़रीबन आधा रुपया इस पर ख़र्च हो रहा है, लेकिन बदक़िस्मती से हालात ऐसे हैं कि इसे कम नहीं किया जा सकता। बहरहाल अगर आप ने यह राय क़ायम की है कि आदमी का ख़र्च कम नहीं करना चाहिये तो यह वही बात है जो गवर्नमेंट को भी मजबूरन माननी पड़ी है, लेकिन साथ ही यह बात भी नहीं भुलानी चाहिये कि आदमी के बारे में हमारा फ़सला क्या था जो हम ने मुल्क (देश) के बटवारे से पहले किया था ?

मुल्क (देश) की तक़सीम से पहले यह सवाल हमारे सामने आया कि हिन्दुस्तानी फौज का ख़र्च अब किस क़द्र होना चाहिये। लार्ड वेवल का ख़्याल था कि अगरचि हम अब वार टाइम (युद्धकाल) की फौज को घटाना चाहिये लेकिन बतद्रीज (क्रमशः) घटाना चाहिये। अचानक कम नहीं कर देना चाहिये। इस ख़्याल को सामने रखते हुये कैबिनेट ने फैसला किया था कि फौज की तीनों शाखों के खर्च का बजट ज्यादा से ज़्यादा सौ करोड़ रुपये के अन्दर होना चाहिये। इस से ज़्यादा किसी हाल में बढ़ाना नहीं चाहिये। उस के बाद मुल्क की तक़सीम हुई और तक़रीबन एक तिहाई

हिस्सा पाकिस्तान की शक्ल में अलग हो गया। साथ ही एक तिहाई फौज भी अलग हो गई। अब अगर उस सौ करोड़ की रक़म को सामने रखा जाय तो उस में से एक तिहाई रक़म कम कर देनी चाहिये यानी हिन्दुस्तान की फौज का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा सत्तर करोड़ होना चाहिये लेकिन आप देख रहे हैं कि हम सत्तर करोड़ की जगह आज एक सौ नब्बे करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं गोया (अर्थात्) तक़सीम (बटवारे) से पहले के तख़मीने से (अनुमान से) एक सौ बीस करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च किया जा रहा है और बदक़िस्मती से हालात की नवैय्यत (नवीनता) ऐसी है कि न तो गवर्नमेंट खर्च कम करने पर ज़ोर देना चाहती है और न आप खर्च की कमी को गवारा कर सकते हैं। पस जहां तक डिफ़ेन्स का ताल्लुक़ है गवर्नमेंट की आमदनी में से एक सौ नब्बे करोड़ की रक़म आप सब के इत्तिफ़ाक (संगठन) और ताईद (पैरवी—समर्थन) से इसी एक काम में खर्च हो गई।

तक़सीम के बाद अचानक गवर्नमेंट के सिर एक और बोझ आ पड़ा जिसका पहले इसे वहम व गुमान (संदेह) भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के लाखों बाशिन्दे अचानक घर से बे घर हो गये और इन्हें हिन्दुस्तान मे दोबारा बसाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को क़बूल करनी पड़ी। आपको मालूम है कि इस काम के लिये गवर्नमेंट को पिछले पांच वर्षों के अन्दर कितना रुपया निकालना पड़ा? श्री अजीत प्रसाद मेरे पीछे बैठे हुये हैं उन से यह कहानी सुनिये। इस वक़्त तक हम एक सौ चालीस करोड़ रुपये इस पर खर्च कर चुके हैं और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है।

फिर तीसरा नागहानी (अकस्मात्) बोझ गिज़ा (खाद्य) के मसले का आ पड़ा। मुल्क (देश) की बढ़ती हुई आबादी के लिये मुल्क की पैदावार काफ़ी नहीं और ज़रूरी है कि बाहर से ग़ल्ला (अनाज) मंगवाया जाय। हम दुनिया के बाज़ारों से ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दे कर गल्ला ख़रीदते हैं और उसे सस्ते दाम पर फ़रोख़्त करते हैं (बेचते हैं)। साथ ही मुल्क की क़ुव्वत-ए-पैदावार (उत्पादन-शक्ति) बढ़ाने के लिये मुख़तलिफ (भिन्न) प्रोजेक्टों (परियोजनाओं) का अमल में लाना ज़रूरी हो गया है। किसी तरह इन्हें पीछे नहीं डाला जा सकता। इन कामों के लिये भी करोड़ों रुपये खर्च हो चुके है और करोड़ों रुपयों की सालाना ज़रूरत पेश आ गई है। आबपाशी (सिंचाई) और हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर (जल-विद्युत् शक्ति) के प्रोजेक्ट मुल्क के लिये जिस दरजे ज़रूरी हैं वह हम को मालूम है। अगर उन के लिये रुपया नहीं निकाला जाता तो आयन्दा के तमाम बुनियादी कामों के लिये कोई राह नहीं निकल सकती। उनके लिये भी रुपया निकालना पड़ा अगरचि काफ़ी रुपया न होने की वजह से कामों की चाल सुस्त कर देनी पड़ी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

इन तमाम कामों के लिये रुपया निकालने का लाज़िमी (आवश्यक) नतीजा यह निकला कि तालीम के लिये रुपया निकालने की गुंजाइश बाक़ी नहीं रही। तालीम के लिये ज़्यादा रुपया जभी निकल सकता है कि दूसरे कामों से बचाया जा सके। दूसरे कामों के तक़ाज़े ऐसे हैं कि रुपया बचाया नहीं जा सकता। इसलिये ज़ाहिर है कि तालीम के लिये ज़्यादा रुपया नहीं निकल सकता।

मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि जिन आनरेबिल मेम्बरों ने बहस में जो हिस्सा लिया और तालीमी कामों के न

[मौलाना आज़ाद]

होने की शिकायत की, आख़िर इस बारे में उनकी मन्तक (लॉजिक (तर्क) क्या है ? तालीम के लिये ज़्यादा रुपया इसलिये नहीं निकल सकता कि दूसरे कामों पर ज़्यादा रुपया ख़र्च हो रहा है और इसे कम नहीं किया जा सकता । किन कामों पर ज़्यादा रुपया ख़र्च हो रहा है ? डिफ़ेन्स (रक्षा) पर, रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) पर, फूड (खाद्य) पर और आबपाशी (सिंचाई) वगैरा (आदि) की स्कीमों पर । अब आप ने जो तरज़े-अमल (नीति) इस मौक़े पर अख़्तियार किया है वह यह है कि इन तमाम कामों पर जिस क़द्र रुपया ख़र्च हो रहा है वह न केवल बदस्तूर (यथापूर्व) खर्च होना चाहिये बल्कि और ज़्यादा खर्च बढ़ाना चाहिये । डिफ़ेन्स मिनिस्ट्रज़ के बजट पर बहस हों चुकी है और एक मेम्बर के सिवाय और किसी ने यह राय ज़ाहिर नहीं की है कि डिफ़ेन्स का ख़र्च कम करना चाहिये । डिफ़ेन्स पर टोटल (कुल) बहस का तकरीबन आधा रुपया खर्च हो जाता है, एक सौ नब्बे करोड़, और आप ने इस से न केवल इत्तिफ़ाक़ किया है (सहमति प्रदर्शित की है) बल्कि इस पर ज़ोर दिया है कि और ज़्यादा खर्च होना चाहिये । अभी चन्द दिनों के बाद रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) मिनिस्ट्री के बजट पर बहस होगी और मेरे दिमाग (मस्तिष्क) में इस वक्त आपकी वह सदायें गूंज रही हैं जो उस वक़्त आप में से हर मेम्बर की ज़ुबान से निकलेंगी : आप यक़ीनन कहेंगे कि जिस क़द्र रुपया ख़र्च किया जा रहा है काफ़ी नहीं है और ज़्यादा ख़र्च करना चाहिये । एजुकेशन के बाद इन्डस्ट्री और कामर्स (वाणिज्य तथा उद्योग) मिनिस्ट्री का बजट बहस में आने वाला है । मुझे इस में कोई शुबह नहीं कि आपमें से हर शख़्स (व्यक्ति) इस पर ज़ोर देगा कि जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है काफ़ी नहीं है । इससे ज़्यादा जिम्मेदारियां उसे उठाना चाहिये, इसके बाद फुड मिनिस्ट्री (खाद्य मंत्रालय) का मामला आप के सामने आयेगा । यक़ीनन (निश्चय ही) आप में से हर शक़्स उठेगा और कहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवनमेंटों को जो कुछ मदद दे रही थी वह जारी रखनी चाहिये, बन्द नहीं करनी चाहिये ; जिसके मानी यह हैं कि कई करोड़ रुपया का बोझ सेन्ट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा उठाना चाहिये । फिर इसके बाद प्रोडक्शन (उत्पादन) मिनिस्ट्री और हाउसिंग (गृह व्यवस्था) मिनिस्ट्री के बजट भी बहस में आने वाले हैं और यक़ीनन आप तरह तरह की शिकायतें पेश करेंगे जिन सब का माहसल (सार) यह होगा कि और ज़्यादा रुपया ख़र्च करना चाहिये । अब सवाल यह है कि अगर आप की राय में इन तमाम कामों के ख़र्च में कमी नहीं की जा सकती बल्कि और ज़्यादा खर्च बढ़ाना चाहिये तो फिर एजुकेशन के लिये रुपया आये कहां से ? आख़िर आस्मान से नहीं बरस सकता । सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पूरी आमदनी (रेलवे को अलग कर के) चार सौ चालीस करोड़ से ज़्यादा नहीं है । जो कुछ रुपया निकाला जा सकता है इसी के अन्दर से निकाला जा सकता है । एक आनरेबिल मेम्बर ने फ़ायनेन्स (वित्त) मिनिस्ट्री (मंत्रालय) से अपील की है कि तालीम के लिये ज़्यादा रुपया निकालें । बिला शुबह (निस्संदेह) फायनेन्स मिनिस्ट्री वित्त मंत्रा लय) के पास रुपये की थैली रहती है लेकिन वह थैली से रुपया जभी निकाल सकते हैं जब इस के अन्दर रुपया हो । अगर रुपया न हो तो थैली के अन्दर हाथ डाल कर रुपया ढूंढ सकते हैं मगर रुपया निकाल नहीं सकते ।

अब ग़ौर कीजिये आपकी लाजिक इस बारे में क्या हुई ?

तालीम के लिये काफ़ी रुपया नहीं निकल सकता क्योंकि डिफ़ेन्स (रक्षा), रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास), फुड और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स (खाद्य तथा नदी घाटी परियोजनायें) आदि पर रुपया ख़र्च करना पड़ता है ।

आप एक ही सांस में यह भी कहते हैं कि इन तमाम मिनिस्ट्रियों का ख़र्च न घटाया जाय, फिर इसकी फ़रमायश करते हैं कि तालीम पर ज़्यादा ख़र्च किया जाय । अगर इन दोनों मुक़दमों का खुलासा (सार) निकाला जाय तो यह शक्ल बनेगी कि तालीम के लिये रुपया न निकाला जाय और तालीम पर रुपया ज़्यादा ख़र्च किया जाय ! खुदा (ईश्वर) के लिये मुझे बतलाइये कि इस "मेजर" (बड़े) और "मायनर" (छोटे) (किबरा और सग़रा) से जो नतीजा अब निकालना चाहते हैं वह क्या है ? आख़िर अरेस्टाटल (अरस्तू) ने यह कोई बेवक़ूफ़ी का काम नहीं किया था कि लाजिक (तर्क) की बुनियाद डाली ।

मैं इस हाउस के अन्दर भी और इस से बाहर भी बार बार यह कहानी सुना चुका हूं कि पिछले चार बरसों के अन्दर किस तरह यके बाद दीगरे (एक के बाद दूसरी) स्कीमें बनाई गईं और किस तरह रुपये के न मिलने की वजह से बेबस हो कर क़दम रोक लेना पड़ा । इब्तिदाई तालीम (बुनियादी शिक्षा) को आम और जबरी (अत्यावश्यक) करने का जो प्रोग्राम ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था और जो सार्जेण्ट रिपोर्ट के नाम से मशहूर है, चालीस वर्ष का था । मैं ने एजुकेशन मिनिस्ट्री का चार्ज लेते ह खेर कमेटी बिठाई और उस ने चालीस वर्ष की मुद्दत को घटा कर सोलह वर्ष का प्रोग्राम बनाया । दस वर्ष जूनियर बेसिक (छोटी बुनियादी) शिक्षा के लिये और छः वर्ष सीनियर बेसिक (वरेष्ठ–बड़ी बुनियादी) शिक्षा के लिये । इस प्रोग्राम में सत्तर फ़ी सदी (७० प्रति शत) ख़र्च स्टेट गवर्नमेंट के ज़िम्मे डाला गया है और तीस फ़ी सदी (प्रति शत) सेण्ट्रल गवर्नमेंट के ज़िम्मे। पहले वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट को चार करोड़ रुपया देना पड़ता । दूसरे वर्ष आठ करोड़ और इसी तरह रक़म बढ़ती जाती । गवर्नमेंट ने कमेटी की सिफारिशें मंजूर (स्वीकार) कर लीं, लेकिन वह इन्हें अमल में नहीं ला सकी क्योंकि रुपया निकाला नहीं जा सकता था । मैं दो साल तक अपने साथियों से लड़ता रहा कि अगर इसे इसकी पूरी शकल में शुरू नहीं किया जा सकता तो बहुत कुछ घटा कर और महदूद (सीमित) कर के ही शुरू की जाय, लेकिन बिलाख़िर (अन्ततः) मझे हार मान लेनी पड़ी क्योंकि माली शुमार व आदाद (राजस्व के तथ्य और आंकड़े) की बेरहम और बेपनाह हक़ीकत का (नग्न सत्य का) मेरे पास कोई जवाब नहीं था ।

मेरे दोस्त डाक्टर मेघनाद साहा ने शिक़ायत की है कि यूनिवर्सिटियों की दुरुस्तगी (सुधार) के लिये पांच करोड़ रुपया नहीं निकाला गया हालांकि यूनिवर्सिटी कमीशन ने इसकी सिफ़ारिश की थी । उन्हों ने यह बात एक ठंडे और कारोबारी लहजे में कही है जैसे कोई शक़्स (पुरुष) अपने घर के आदमियों से कहे कि अभी तक दोपहर का खाना तैयार नहीं हुआ है, लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री पांच वर्ष से किन मुश्किलों और रुकावटों के अन्दर काम कर रही है ? वह पांच करोड़ का जिक्र कर रहे हैं, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि पांच करोड़ की रक़म तो एक बड़ी रक़म है । एजुकेशन

[मौलाना आज़ाद]

मिनिस्ट्री के कितने ही ज़रूरी काम पचास साठ लाख के न मिल सकने की वजह से पड़े तड़फ रहे हैं और उन्हें उठाया नहीं जा सकता । अगर मैं इन तमाम वाक़ियात (घटनाओं) की कहानियां सुनाने पर आ जाउं तो आज का पूरा वक़्त ख़त्म हो जायेगा और मेरी कहानी ख़त्म होने पर नहीं आयेगी । आपको मालूम है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक मंजूर की हुई स्कीम सोशल एजुकेशन (सामाजिक शिक्षा) की है जो इस बुनियाद पर बनाई गई थी कि पचास फ़ी सदी ख़र्च सेन्टर (केन्द्र) उठाये और पचास फ़ी सदी स्टेट। सन् १९४९ में मैं ने लड़ झगड़ कर एक करोड़ रुपया निकाला कि सोशल एजुकेशन का काम शुरू किया जाय । तमाम मुल्क के लिये यह एक करोड़ आटे में नमक से ज़्यादा न था, लेकिन बहरहाल (कुछ भी हो) इस रुख़ (दिशा) पर एक क़दम उठता था । मिनिस्ट्री ने इस रुपये के बटवारे के लिये स्टेट मिनिस्ट्रियों की कान्फ्रेंस बुलवाई और तय किया कि एक ख़ास तरीक़े से यह रक़म स्टेट गवर्नमेंटों में तक़सीम (विभाजित) की जाय । अभी रुपया पूरी तरह तक़सीम नहीं हुआ था कि अचानक (सहसा) फायनेन्स मिनिस्ट्री (वित्त मंत्रालय) को मालूम हुआ कि चालीस करोड़ रुपया की कमी साल-ए-रवान (चालू वर्ष) के बजट में निकलने वाली है और इसे पूरा करने के लिये बचत की अज़-सरे-नव (नये सिरे से) कोशिश करनी चाहिये । उस वक़्त फ़ायनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) श्री देश मुख नहीं थे, श्री मथाई थे । बहर हाल (अस्तु), कैबीनेट (मंत्रिमंडल) को फ़ैसला करना पड़ा कि तमाम कैपिटल (मूलधन) ग्रांटें (अनुदान) रोक ली जायें; और शेष ग्रांटों में भी बीस फ़ी सदी कट किया जाय । अब देखिये कि इसका असर (प्रभाव) एजूकेशन मिनिस्ट्री पर क्या पड़ा ? एडल्ट एजूकेशन (प्रौढ़ शिक्षा) जैसे अहम (ज़रूरी) काम के लिये ब हज़ार मुश्किल (हज़ार कठिनाइयों बाद) एक करोड़ रुपया निकाला गया था और तमाम स्टेट गवर्नमेंटों से कह दिया गया था कि इतनी इतनी मिक़दार (मात्रा) में उस के हिस्से की रक़म उन्हें मिलेगी । इस रक़म में अपनी रक़म मिला कर काम शुरू कर दें । उन्होने अभी काम शुरू किया था कि अचानक एक करोड़ की रक़म बीस फ़ी सदी कट (कटौती) के बाद अस्सी लाख रह गई ! खैर, एजूकेशन मिनिस्ट्री ने इसी अस्सी लाख की गवर्नमेंटों में तक़सीम (विभाजित) किया, और ख्याल किया कि अब हम एक करोड़ की जगह अस्सी लाख हर साल निकालेंगे—लेकिन जब दूसरे साल के बजट का मौक़ा आया तो फ़ायनेनशल स्ट्रिंजिन्सी (वित्ताभाव) की हालत और ज़्यादा सख़्त हो गई और वह अस्सी लाख की रक़म भी बन्द कर देनी पड़ी । आप अन्दाज़ा कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंटों को इस की वजह से किस क़द्र दिक्क़तें पेश आई होंगी । उन्होंने एतिमाद (विश्वास) कर के काम का नक़शा बनाया था और यह समझ कर बनाया था कि कम से कम इतनी मदद इन्हें मिलती रहेगी । अचानक (सहसा) उन्हें मालूम हुआ कि

ख़्वाब (स्वप्न) था जो कुछ कि देखा,

जो सुना अफ़साना था !

आप ने परसों तालीम के मुख़्तलिफ़ (भिन्न) कामों के न होने की शिकायतें की हैं । मैं आप को यक़ीन दिलाता हूं, उन में से कोई काम ऐसा नहीं है जिस पर गवर्नमेंट ने पूरी तरह ग़ौर न किया हो, और इसका पूरा नक़्शा तैयार नहीं कर लिया हो ; अगर आप आज रुपये का इन्तिज़ाम

कर दें तो यक़ीन कीजिये कि गवर्नमेंट कल से काम शुरू कर दे सकती है; क्योंकि उसे जो कुछ सोचना था वह सोच चुकी ; उसका दिमाग़ खाली नहीं है । पाकेट (जेब) का है। आप उसे समझ बूझ देने की फ़िक्र (चिन्ता) न करें। इस की अभी तक उस ने कोई कमी महसूस नहीं की है। कमी जो कुछ है, रुपया की है। अगर आप फ़िक्र कर सकते हैं तो इस की फ़िक्र कीजिये ।

बहरहाल अगर्चे आप ने इस मामले पर ग़ौर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट आप के नक़शे-क़दम (रास्ते) पर नहीं चल सकती । उसे बातें नहीं करनी हैं, काम करना है । सवाल (प्रश्न) यह है कि इस मुश्किल को किस तरह हल किया जाय ? यह मुश्किल हमारे लिये अब किसी एक वर्ष या दो वर्षों की आरज़ी (अस्थायी) मुश्किल नहीं है बल्कि एक बड़ी मुद्दत के लिये, जो नहीं कहा जा सकता कब खत्म हो, हमारा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई है । अगर इस मुश्किल का कोई हल नहीं निकाला जाता, तो समझ लेना चाहिये कि एक बड़ी मुद्दत के लिये न सिर्फ़ (केवल) तालीम के लिये बल्कि नेशन-बिल्डिंग (राष्ट्र निर्माण) के तमाम कामों के लिये हमें मान लेना चाहिये कि हम कुछ नहीं कर सकते । यह ज़ाहिर (स्पष्ट) है कि किसी क़रीबी ज़माने में (निकट भविष्य में) कोई ऐसा इन्क़लाब (परिवर्तन-क्रान्ति) पैदा नहीं हो सकता कि अचानक गवर्नमेंट का रेवेन्यू (राजस्व) चार सौ करोड़ की जगह आठ सौ करोड़ का हो जाय। यह भी ज़ाहिर है कि दूसरी मिनिस्ट्रियों के कामों पर हम जो रुपया खर्च कर रहे हैं वह अभी काफ़ी अरसे (समय) तक खर्च होता रहेगा । उम्मीद नहीं कि वहां से कोई बड़ी रक़म निकाली जा सके । ऐसी हालत में कौनसी राह ऐसी निकल सकती है कि हमारे रास्ते से यह रुकावट दूर हो ?

फिर सवाल सिर्फ़ (केवल) तालीम ही का नहीं है। नेशन-बिल्डिंग के तमाम कामों की राह में यही रुकावट रास्ता रोके हुये है, और हमें ग़ौर करना है कि आगे बढ़ने की राह कैसे निकाली जाय ?

मैं बरसों से इस पर ग़ौर कर रहा हूं । मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि इस मुश्किल का हल सिर्फ़ एक ही है, और वह यह है कि एक ख़ास हद तक हम डिफिसेट फ़ायनेन्सिंग (घाटे भरे बजट) का रिस्क (ख़तरा) लेने के लिये तैयार हो जायं । बिला शुबह (निस्सन्देह) यह रिस्क एक ख़ास हद तक और खास शर्तों ही के साथ लिया जा सकता है, हम इस मैदान में तेज क़दम नहीं उठा सकते । हमें हर क़दम पर पूरी तरह इस की देखभाल करनी पड़ेगी कि मुल्क (देश) की इकोनामिक (आर्थिक) सूरते हाल (स्थिति) पर इस का क्या असर पड़ता है, और इंफ्लेशन (मुद्रास्फ़ीति) का खतरा नव (नया भय) नहीं पैदा हो जाता, ताहम (फिर भी) अगर हम चाहते हैं कि मुल्क की बुनियादी मांगों का जवाब दें, तो हमें यह रिस्क (ख़तरा) उठाना ही पड़ेगा । इस रिस्क के उठाने के लिये सिर्फ़ फ़िनान्शल (वित्तीय) समझ बूझ ही की ज़रूरत नहीं है बल्कि हिम्मत की भी ज़रूरत है । आप एक हाथ अपने दिल पर रख कर यह क़दम नहीं उठा सकते । आप को दोनों हाथ अपने दिल पर रखने होंगे ।

हमारी कोशिश अब तक यह रही है कि हम किसी न किसी तरह बैलेन्स्ड बजट (संतुलित आयव्ययक) बनायें। आमदनी (आय) और खर्च का आम असूल देखते हुये बिला शुबह हमारा तरीक़ा यही होना चाहिये, और मामूली हालात में इस असूल का पाबन्दी के बग़ैर चारा नहीं । अगर इस असूल की पाबन्दी न की जाय तो हमें प्रिंटिंग मनी (छपाई की लागत) की ज़्यादा

[मौलाना आज़ाद]

मक़दार (मात्रा) काम में लानी पड़ेगी, और अगर यह मक़दार एक खास हद से आगे बढ़ जाय तो इंफ्लेशन (मुद्रास्फीति) का फ़तरा हमारे सामने है, लेकिन आज जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, वह मामूली हालात नहीं है । इस तरह के ग़ैरमामूली हालात (असाधारण स्थिति) में इस के बग़ैर चारा नहीं कि ग़ैर मामूली (असाधारण) तरीक़ों से काम लिया जाय । डेफिसिट फ़ायनेन्सिग (घाटे भरे आर्थिक स्थिति) में सब से पहली बात उस के हद को मुक़र्रर (निश्चित) करने की है कि किस हद तक रिस्क उठाया जा सकता है ? दूसरी जरूरी बात यह है कि किन कामों पर यह मज़ीद रक़म खर्च की जायेगी । अगर यह इस तरह के शार्ट टर्म्ज़ प्रोजेक्ट (अल्पकालीन परियोजनायें) हैं जिन के नतायज (नतीजे) थोड़े असें के अन्दर हमें हासिल हो सकते हैं तो हमारा रास्ता माली खतरों से पाक रहता है, फिर यह भी जरूरी नहीं कि तमाम कमी प्रिंटिंग मनी ही के ज़रिया पूरी की जाय । हमें क़र्ज के तमाम इमकानात (संभावनाओं) को काम में लाना चाहिये, कम्पलसरी सेविंग (आवश्यक बचत) की स्कीम से पूरा फ़ायदा (लाभ) उठाना चाहिये । मज़दूरी की बहुत बड़ी मिक़दार (मात्रा) हमें बग़ैर नक़दी के मिल सकती है और यह एक सरमाया (पूंजी) की तरह काम में लाई जा सकती है । बहरहाल यह मसला ऐसा है जिस पर बहुत ग़ौर व फ़िक्र (विचार-विमर्श) करने की ज़रूरत है । हम प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) की सिफ़ारिशों पर आजकल बहस कर रहे हैं ताकि वह अपनी आखिरी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुरतिब कर सके (बना सके) । इस बहस में यह मसला भी हमारे सामने आया है और हम इसे हर पहल से जांच कर रहे हैं ।

तालीम का मसला भी अब प्लानिंग (योजना)के दायरे में आ गया है और आज हमें सिर्फ़ एक बरस के बजट का फैसला ही नहीं करना है । पांच बरस का नक़्शा बाहर है । मैं अभी इस पोज़ीशन (स्थिति) में नहीं हूं कि ज़िम्मेदारी के साथ पूरा नक़्शा आप के सामने रख सकूं लेकिन कई बुनियादी बातें जो इस सिलसिले में सामने आ चुकी हैं, वह आप को बतला सकता हूं । सब से पहली बात यह है कि इस बरस के बजट में जो रक़म तालीम के लिये रखी गई है, उस पर चन्द दिनों के बाद हम नज़र-ए-सानी करने का इरादा कर चुके हैं । मेरे रफ़ीक़ (मित्र) फायनेन्स मिनिस्टर ने इस से इत्तफ़ाक़ किया है (सहमति प्रकट की है) कि प्लानिंग कमीशन का पूरा नक्शा जब सामने आयेगा, तो हम उस पर ग़ौर करेंगे कि इस रक़म को क्योंकर और किस हद तक बढ़ाया जा सकता है । मैं समझता हूं ग़ालिबन (लगभग) एक महीने के अन्दर यह मौक़ा पैदा हो जायेगा ।

दूसरा सवाल हमारे सामने यह आया था कि पांच बरस के प्लानिंग में जो रुपया तालीम के लिये रखा जायेगा वह उस रक़म के इलावा होगा जो अभी तालीम पर खर्च की जा रही है, या उस में यह रक़म वज़ह कर (बढ़ा) दी जायेगी । आप यह सुन कर खुश होंगे कि गवर्नमेंट ने इस का फ़ैसला पहली शक़्ल में किया है यानी जो रक़म हर साल तालीम के लिये निकाली जा सकती है वह बदस्तूर (उसी तरह) निकाली जायेगी, और प्लानिंग के अन्दर जो रुपया रखा जायेगा, वह उस रक़म के इलावा होगा । आजकल एजुकेशन मिनिस्ट्री तक़रीबन (लगभग) छः करोड़ रुपये तालीम पर खर्च कर रही है । यह छः करोड़ बहर हाल (हर सूरत में) निकाला जायेगा, और इस के इलावा

वह रक़म भी निकाली जायेगी जो पांच साल के प्लानिंग के लिये मंज़ूर की जायेगी ।

तीसरा सवाल हमारे सामने यह आया है कि पांच बरस के प्लानिंग के लिये कितना रुपया मंज़ूर किया जाय ? मैं अभी कोई ख़ास रक़म आप को बतला नहीं सकता क्योंकि अभी उसका आख़िरी फ़ैसला नहीं हुआ है । लेकिन यह बतला दे सकता हूं कि कमीशन के सामने बत्तीस करोड़ से पचास करोड़ तक की रक़म आई है और उस पर ग़ौर किया जा रहा है ।

फ़र्ज़ कीजिये (मान लीजिये) कि आयन्दा पांच साल के लिये पचास करोड़ की रक़म रखी गई तो इस सूरत में दस करोड़ रुपया सालाना हमें तालीम के लिये मिलेगा । इस दस करोड़ पर वह छः करोड़ बढ़ाइये जो अभी हम ख़र्च कर रहे हैं, तो पूरी रक़म सोलह करोड़ की रक़म बनती है । सोलह करोड़ रुपये की हैसियत हमारे टोटल बजट में क्या होगी ? तक़रीबन चार फी सदी ज़ाहिर है कि यह इस से बहुत कम है जिस क़द्र होना चाहिये । खेर कमेटी की सिफ़ारिश का ज़िक्र परसों मेरे दोस्त डाक्टर साहा ने किया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अपने बजट का दस फ़ी सदी हिस्सा तालीम पर ख़र्च करना चाहिये । चार फ़ी सदी इस रक़म का आधा हिस्सा भी नही है । लेकिन बहरहाल अगर इतना रुपया भी हम निकाल सकें तो मौजूदा हालत के मुक़ाबले में एक बड़ी तरक्क़ी हो जायेगी, और कई बुनियादी स्कीमें फ़ौरन अमल में लाई जा सकेंगी । बाक़ी रहा तालीम और इसी तरह के दूसरे मसलों का असली हल, तो वह जभी निकल सकेगा कि हम हिम्मत (धैर्य्य) और जुर्रत (साहस) के साथ अपनी फायनेन्शियल पालिसी (आर्थिक नीति) पर नये नुक़्ता निगाह (दृष्टिकोण) से ग़ौर करने और फैसला करने पर आमादा (तैयार) होंगे ।

जनाब मैं ने इरादा किया था कि आध घंटे के अन्दर अपनी तक़रीर ख़त्म कर दूंगा । घड़ी मुझे मेरा इरादा याद दिला रही है । अब मैं मुख़्तसिर तौर पर उन शिकायतों का जवाब देना चाहता हूं जो शेड्यूल कास्ट स्कालरशिप (अनुसूचित जाति छात्र-वृत्ति) और यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफ़ारिशों की निस्बत की गई हैं ।

शेड्यूल्ड कास्ट स्कालरशिप के बारे में दो शिकायतें की गई हैं । एक यह कि जो रक़म इस के लिये निकाली जाती है कम है, इसे बढ़ाया जाय । दूसरी यह कि बाहर की तालीम के लिये भी इन्हें स्कालरशिप दिये जायें । मैं पहले दूसरी शिकायत की निस्बत कहूंगा । जिन को दोस्तों (मित्रों) ने इस शिकायत पर ज़ोर दिया है, उन्हें यह ग़लत-फ़हमी हुई है (ग़लत समझा है) कि शेड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों को बाहर के मुल्कों की तालीम के लिये स्कालरशिप नहीं दिये गये हैं । उन का यह ख़याल सही नहीं है । गवर्नमेंट की एक जनरल (साधारण) स्कीम ओवरसीज़ (समुद्र पार विद्या ग्रहण करने के हेतु दिये जाने वाले) स्कालरशिप की थी जिस के मातहत (अन्तर्गत) तमाम हिन्दुस्तानियों को स्कालरशिप दिये जाते थे । इस स्कीम के अन्दर शेड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी बराबर चुने गये और बाहर भेजे गये । चुनाचि चन्द दिन हुये हैं, इक्कीस विद्यार्थियों की फेहरिस्त (सूची) हाउस के टेबिल पर रख दी गई थी जिन्हें ओवर सीज़ स्कालरशिप स्कीम के अन्दर इंगलैंड और अमरीका में भेजा गया था । इस जनरल स्कीम के इलावा एक दूसरी स्कीम ख़ास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब (अनुसूचित जनजाति), और बैकवर्ड कम्यूनिटीज़ (पिछड़े वर्गों) के लिये है, जिसके लिये पहले सिर्फ़ तीन लाख रुपया रखा गया था । अब इसे बढ़ा कर सत्रह लाख पचास हज़ार

[मौलान आज़ाद]

कर दिया गया है । इस स्कीम के मातहत (अन्तर्गत) सिलेक्शन (चुनाव) का काम जो होता है, वह गवर्नमेंट ख़ुद नहीं करती, एक बोर्ड करता है जिस में शेड्यूल्ड कास्ट के नुमाइन्दे (प्रतिनिधि) मौजूद रहते हैं । इस बोर्ड की इब्तिदा (प्रारम्भ) से यही राय रही है कि स्कीम का रुपया यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिये मुल्क (देश) के अन्दर ख़र्च होना चाहिये । इस से कम्यूनिटी को ज़्यादा फायदा (लाभ) होगा क्योंकि इस की तालीमी तरक्क़ी के लिये सब से ज़्यादा ज़रूरत इसी की है । अब अगर इन दोस्तों की राय यह है कि इस स्कीम का कुछ रुपया बाहर की तालीम के लिये भी ख़र्च होना चाहिये, तो कोई वजह नहीं कि गवर्नमेंट उसकी मुख़ालिफ़ हो । गवर्नमेंट को उस के लिये नई रक़म नहीं निकालनी पड़ेगी जो फ़ंड निकाला जा चुका है, इसी में से इस काम पर भी ख़र्च होगा । गवर्नमेंट इस बारे में बोर्ड (पर्षद्) का मशवरा (सुझाव) तलब करेगी (मांगेगी) ।

बाक़ी रही यह शिकायत कि जो रुपया ख़र्च हो रहा है, उसे और बढ़ाना चाहिये, तो इस बारे में गवर्नमेंट की जो मुश्किलात हैं, उस की कहानी अभी अभी मैं आप को सुना चुका हूं । ताहम (फ़िर भी) मैं उन दोस्तों को यक़ीन दिलाऊंगा कि गवर्नमेंट की पूरी हमदर्दी इस काम में उन के साथ है । गवर्नमेंट के लिये इस से ज़्यादा ख़ुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि वह हरिजन भाइयों की तरक्क़ी के लिये ज़्यादा से ज़्यादा रुपया निकाले । ऐसा करना गवर्नमेंट का धर्म है । गवर्नमेंट उस की ज़िम्मेदारी पूरी तरह महसूस करती है, और वह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि इस बारे में जो कुछ कर सकती है करे ।

अब आख़िर में मैं उस कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) पर आता हूं जो मेरे दोस्त डाक्टर मेघनाद साहा ने पेश किया है । उनकी असली शिकायत यह है कि गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफ़ारिशों पर अमल नहीं किया । कमीशन की एक सिफ़ारिश यह थी कि इंगलैंड की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी (विश्वविद्यालय अनुदान समिति) के नमूने पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी एक कमेटी बनाये और कम से कम पांच करोड़ रुपये का एक फ़ंड उस के हवाले करे । यह फ़ंड मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों की दुरुस्ती (सुधार) और तरक्क़ी के कामों पर ख़र्च किया जायेगा । तक़रीर में उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि यूनिवर्सिटियों की तालीम में नई जान पैदा करनी चाहिये । उन का स्टैंडर्ड बलन्द होना चाहिये, उन का सरो सामान (उपकरण) अपटुडेड (नवीनतम) होना चाहिये । लेकिन गवर्नमेंट इस के लिये कुछ नहीं कर रही है ।

मैं सब से पहले अपने दोस्त की तवज्जुह दिलाऊंगा कि उन्होंने जो शिकायत की है वह सही नहीं है । डाक्टर साहा जैसे ज़िम्मेदार मेम्बर (सदस्य) को हाउस में मोशन पेश करते हुये अपनी ज़िम्मेदारी का इस से ज़्यादा अहसास होना था, जितना उन्होंने महसूस किया है । वह कहते हैं गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफ़ारिशों पर अमल नहीं किया । वह मेहरबानी (कृपा) करके कमीशन की रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे और मालूम करेंगे कि जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थीं ? मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कमीशन की तमाम सिफ़ारिशों पर ग़ौर किया, और बिला ताख़ीर (अविलम्ब) अमल किया । कमीशन ने सिफ़ारिश की थी कि बनारस हिन्दू यूनि-

वर्सिटी के एक्ट में तबदीलियां की जायें। गवर्नमेंट ने नया बिल पेश किया और महीनों से वह एक्ट बन चुका है। कमीशन ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक्ट में भी तबदीलियां चाही थीं। गवर्नमेंट ने इन तबदीलियों का बिल पेश किया और वह भी अब एक्ट (अधिनियम) बन कर नाफ़िज़ (लागू) हो चुका है। इसी तरह कमीशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिये भी सिफ़ारिश की थी। गवर्नमेंट ने इस सिफ़ारिश को भी मंज़ूर किया और नया एक्ट नाफ़िज़ कर दिया। कमीशन की एक सिफ़ारिश यह थी कि विश्वभारती इंस्टीट्यूशन को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया जाय, गवर्नमेंट उस सिफ़ारिश पर भी अमल कर चुकी है और एक साल हुआ, विश्वभारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। मेरे दोस्त मुझे बतलायें इन का यह बयान कि गवर्नमेंट ने कमीशन की सिफ़ारिशों पर अमल नहीं किया, कहां तक सही है।

अब उस **खास सिफारिश** पर ग़ौर कीजिये जिस **के लिये** आनरेबिल मेम्बर (माननीय सदस्य) ने कट मोशन पेश करना ज़रूरी समझा, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का बनाना। ताज्जुब है कि आनरेबिल मेम्बर के इल्म (ज्ञान) में यह वाक़िआ (घटना) नहीं आया। गवर्नमेंट ने पिछले वर्ष ही यह फैसला कर लिया था कि नये सिरे से एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाई जायेगी, चुनांचि कमेटी बनाई जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस का एलान (घोषणा) हो जायगा। अलबत्तः सर-ए-दस्त (इस समय) दो बातों के लिये गवर्नमेंट आमादा नहीं हो सकी है। एक यह कि कमेटी के काम के दायरे में मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों को दाख़िल कर दिया जाय। दूसरी यह कि पांच करोड़ या इस तरह की कोई रक़म उसके हवाले कर दी जाये। सरेदस्त (इस समय) उस कमेटी का ताल्लुक़ (सम्बन्ध) चार सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से होगा। अलबत्तः उन यूनिवर्सिटियों के कामों की भी वह देखभाल कर सकेगी जिस का मामला ख़ास तौर पर गवर्नमेंट उस के सिपुर्द करेगी। गवर्नमेंट अभी कोई फ़ंड उसके हवाले नहीं कर सकती। उस की असली वजह वही रुपया की कमी है जिस का रोना हम अभी रो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा यह बात भी है कि इंगलैंड का नमूना हिन्दुस्तान के लिये इस बारे में ज्यादा काम नहीं दे सकता। इंगलैंड एक छोटा जज़ीरा (टापू) है। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटों के दो अलग अलग दायरे (मंडल) नहीं हैं। पूरे मुल्क (देश) की गवर्नमेंट एक ही इन्तिज़ामी (प्रबन्ध) मरकज़ (केन्द्र) में है, वहां की यूनिवर्सिटियों के लिये एक ग्रांट कमेटी बनाई जा सकती है। लेकिन हिन्दुस्तान एक पूरा सब कांटीनेंट (प्रायद्वीप) है, यहां एक दायरा सेंटर (केन्द्र) ज़िम्मेदारियों का है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंटों का। चार सेंट्रल (केन्द्रीय) यूनिवर्सिटियों के अलावा और जिस क़द्र यूनिवर्सिटियां हैं, स्टेट गवर्नमेंटों से ताल्लुक़ रखती हैं, और उन की माली ज़िम्मेदारी (पैसा देने दिलान की व्यवस्था) भी उन ही के सर है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं इन सभी कटौती प्रस्तावों पर सदन का मत लूंगा।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये **गये** और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं एक साथ सभी मांगों को सदन के समक्ष मत के लिये प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रमपत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या १७,

[उपाध्यक्ष महोदय]

१८, १९, २०, २१, ७०, ७२, ७३, ७४ और १२४ के निमित्त जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिये उक्त क्रमपत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(निम्न मांगें सदन द्वारा स्वीकृत की गईं)

	रुपये
मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय	२३,६३,०००
मांग संख्या १८—पुरातत्व	२५,७५,०००
मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक विभाग	१,१३,४१,०००
मांग संख्या २०—शिक्षा	२,४९,३१,०००
मांग संख्या २१—शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय	१८,१६,०००
मांग संख्या ७०—प्राकृतिक संसाधन तथा वैहारिक अनुसन्धान मंत्रालय	७,५४,०००
मांग संख्या ७२—भूतत्वीय परिमाप	४२,३८,०००
मांग संख्या ७३—खानें	१२,९३,०००
मांग संख्या ७४—वैज्ञानिक अनुसन्धान	१,६०,०६,०००
मांग सख्या १२४—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय सम्बन्धी अन्य पूंजी व्यय	५४,३५,०००

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

	रुपये
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	४७,१३,०००
मांग संख्या २—उद्योग	९३,३०,०००
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा सर्मक	३०,४९,०००
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय	१४,४७,०००
मांग संख्या १०४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय सम्बनी पूंजी व्यय	२,२२,२३,०००

कुटीर उद्योग आदि के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति

श्री दामोदर मेनन (कोझीकोडि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय । "

निर्यात अभ्यंशों का निश्चय

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भ मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'वाणिज्य तथा उद्ल लय' सम्बन्धी मांग में की कटौती की जाय । "

नियंत्रण नीति

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय । "

(१) उद्योगीकरण की गति तथा विधि

(२) आधुनिक ढंग के कृषि-उपकरणों का निर्माण

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) "'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

(२) "'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

ग्राम तथा कुटीर उद्योगों का विकास

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलूरु) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

राष्ट्रीय उद्योगों तथा वाणिज्य की संरक्षा एवं विकास

श्री क० एस० राव (एलुरु—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

जूट के दाम, जूट निर्यात तथा श्रीकाकूलम्, मद्रास में जूट उगाने वालों की दयनीय दशा

श्री रामशेषय्या (पार्वतीपुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'उद्योग' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

(१) वस्त्र-उद्योग में बेकारी

(२) काम से निकाले जाने वाले काम करों को बेकारी की क्षतिपूर्ति

श्री के० सुब्रह्मण्यम (विज़ियानगरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) "'उद्योग' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

(२) "'उद्योग' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मामूली तथा मोटे कपड़े के मुल्यों पर नियंत्रण

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'उद्योग' सम्बन्धी मॉग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

औद्योगीकरण

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'उद्योग' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी अन्य माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों, प्रस्तुत करें।

(१) नारियल उत्पादन उद्योग तथा व्यापार, आदि

(२) नारियल की जटा तथा पत्तों से वस्तुयें बनाना

(३) खड्डी उद्योग

(४) चमड़ा कमाने का उद्योग

श्री पोकर साहब (मलप्पुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) "'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

(२) "'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटोती की जाये।"

(३) "'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

(४) "'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

कुटीर खड्डी उद्योग

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'उद्योग' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मांगों तथा कटौती प्रस्तावों दोनों पर बहस जारी की जायेगी ।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक सम्पन्न मुल्क है, और यहां पर जनता की गुंजाइश हर साल बढ़ती जा रही है और हम अपने मुल्क की संपत्ति को जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश करते हैं । कुदरत का दिया हुआ जो माल हमारे यहां भरा हुआ है उस को हम उद्योग धन्धों के ज़रिये काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं । एक ज़माना था जब हम समझते थे कि जैसे जैसे साइंटिफ़िक (वैज्ञानिक) ज़माना आता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी घरेलू दस्तकारियां ख़त्म होने को आ रही हैं । लेकिन यह बात ग़लत साबित होती है । घरेलू दस्तकारियों की तरफ़ जनता का रूझान ज़्यादा होता जा रहा है और इस का इमकान (संभावना) इतना बढ़ रहा है कि हम सिर्फ़ अपने रोज़ की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं बल्कि बाहर के मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा कर सकने का भी इमकान होता जा रहा है । मैं महात्मा गांधी को अपना हार्दिक धन्यवाद देना ज़रूरी समझता हूं जिन्होंने अपनी घरेलू दस्तकारियों के आउटलुक (दृष्टिकोण) को नये तरीक़े से और नई श्रद्धा से लोगों के दिल में पैदा कर दिया और लोगों को यह बतला दिया कि अगर हम भारतवर्ष के करोड़ों इन्सानों का जो कि बेरोज़गारी में जकड़े हुये हैं, उद्धार करना चाहते हैं तो हमें घरेलू दस्तकारियों की तरक्क़ी करनी चाहिये । मेरा जो No. 756 कट मोशन (संख्या ७५६ कटौती प्रस्ताव) है उसके द्वारा मैं घरेलू दस्तकारियों की तरक्क़ी की ताईद (समर्थन) करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस के लिये गवनमेंट की ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है । पहले बड़ी दस्तकारियों को छोटी के मुक़ाबले ज़्यादा मदद दी जाती थी, लेकिन तब यहां पर अंग्रेज़ हुकूमत थी, अब अख़्त्यार हमारे हाथ में है । आज इन घरेलू दस्तकारियों को कम्पीटीटिव (प्रतियोगितात्मक) न हो कर कम्पलीमेन्टरी (पूरक) होना चाहिये । लेकिन आज कम्पीटिटिव हो रही हैं । और आज ६ लाख इन्सान हैंड लूम्स (हाथ-करघे) पर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुये हैं । जो सनअती (औद्योगिक) तालीम (शिक्षा) थी वह रोज़ बरोज़ (दिन प्रति दिन) घटती जा रही है और वह लोग जो घरेलू दस्तकारियों में काम करते हैं वह अधमरे से हो गये हैं । लिहाज़ा (अतः) मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी दस्तकारियों पर इस वक़्त (समय) ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टैक्स (कर) लगाने चाहियें जिसकी आमदनी से छोटी घरेलू दस्तकारियों को इमदाद दी जा सके और उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई हो सके । घरेलू दस्तकारियां बड़ी दस्तकारियों के साथ मुक़ाबला करने के बजाय एक दूसरे की इमदाद पर चलें । मेरा यह मतलब नहीं है कि आप बड़ी सनअतों (उद्योगों) की हिम्मत अफ़ज़ाई (प्रोत्साहन) न करें, आप उन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दें । एक ज़माना था जब लोगों का ख़याल था कि अगर भारत वर्ष में दस्तकारियों को ज़्यादा चलाया गया तो यहां की ऐग्रीकल्चर (कृषि) पर असर पड़ेगा । लेकिन यह बात आज के ज़माने में ग़लत साबित हो चुकी है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि खेती पर ज़्यादा लोग अपनी ज़िन्दगी को मब्बनी (आधारित) करते हैं । लिहाज़ा अगर

हम अपने मुल्क के नैचुरल रिसोर्सेज़ (प्राकृतिक संसाधन) का अन्दाज़ा करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस को काम में ला सकते हैं और घरेलू दस्तकारियों को इमदाद दी जा सकती है। लेकिन मुझे यह देखकर अफ़सोस होता है कि जब कि हम दूसरी हुकूमत के अन्दर थे, उससे तो ज़रूर ज़्यादा ग़ौर हमारी हुकूमत कर रही है, उस के हम शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन फिर भी उसको इस में कामयाबी नहीं हो सकी है। आज घरेलू दस्तकारियों का बड़ी दस्तकारियों से मुक़ाबला करने से जो नुक़सान हो रहा है उसे हम आंखों से देख रहे हैं। लिहाज़ा मैं उन को सुधारने के लिये यह सुझाव पेश करता हूं।

पहली बात तो यह है कि आजकल के ज़माने के माफ़िक़ (अनुकूल) आज एक आम तालीम देने में इन्स्टिट्यूशन (संस्थायें) हर ज़िले और हर ताल्लुके में हों और उन को प्रोत्साहन दिया जाय। उन की शिक्षा के काम में काफ़ी इमदाद दी जाय और उन के तवस्सुत (विकास) से बड़े बड़े कैपिटल (पूंजिया) लाखों करोड़ों रुपये की फैक्टरियां चालू करने की बजाय छोटी छोटी मशीनरी की फ़ैक्टरियां खोलें। इससे हमारा काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरे मुल्कों से हम ऐसी ही छोटी मशीनरी की आमद (आयात) कर के अपनी टैक्सटाइल इण्डस्ट्री (कपड़े बुनने के उद्योग) को अच्छा बना सकते हैं और अपने मुल्क की दस्तकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा तरग़ीब (प्रोत्साहन) दे सकते हैं। और उनको सहकारी संघों में संगठित करें और वह प्रोडक्शन (उत्पादन) करते हैं उस के लिये मारकेट (बाज़ार) बनाने की ज़िम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही होगी। ऐसा करने से वह सनअतें (उद्योग) डिसेंट्रलाइज़ (विकेन्द्रित) हो जायेंगी और जिन चन्द सनअतों को आज कैपिटलिस्ट (पूंजीपति) जकड़े हुए हैं उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा को हम चन्द अशख़ास (व्यक्ति) मिल कर स्माल स्केल इंडस्ट्री (छोटे पैमाने के उद्योग) के तौर पर खोल सकते हैं और उन को इमदाद होनी चाहिये। उन की मौजूदा मुश्किलात यह हैं कि उन के पास धन नहीं है और उन का मारकेट नहीं है और इतनी ग़रीबी फैली हुई है कि जो वह आज पैदा करते हैं वह उन को कल ही बेचना पड़ता है और उन को जो ख़र्च होता है उतना भी नही मिलता है, इस से उनको नुक़सान होता है और उन में बेकारी फैली हुई है। और यह बेकारी रोज़ बरोज़ ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिये उन लोगों को आर्ट्स (शिल्प) की तालीम देने पर और इस तरह उन की तरक्क़ी करने पर ग़ौर करें।

दूसरी बात यह है कि मुल्क में जो खानें हैं, और नैचुरल रिसोर्सेज़ हैं उन पर हमारी नेशनल गवर्नमेंट (राष्ट्रीय सरकार) का पूरा क़ब्ज़ा (अधिकार) होना चाहिये। कभी उन पर ग़ैर मुल्कों (विदेशों) का हाथ नहीं होना चाहिये। आप उन की मदद लेना चाहें तो लें लेकिन जो रिसोर्सेज़ हम को परमात्मा ने दिये हैं उन को हम दूसरों को न बेचें। इन सम्पत्तियों को जिन को कि हम को परमात्मा ने दिया है मैं विदेशियों के हाथों बेचने का बिल्कुल विरोधी हूं। इस लिये इन माइन्स (खानों) में और इंडस्ट्रीज़ में चाहे हम ग़ैर मुल्क के कैपिटल (पूंजी) की और टैकनिकल ऐडवाइस (प्राविधिक परामर्श) की इमदाद ले लें, लेकिन उन पर क़ाबू हमारा ही होना चाहिये और इस तरह से उनकी तरक्क़ी करनी चाहिये।

लिहाज़ा हम इस तरह से इन छोटी छोटी सनअतों (उद्योगों) को काफ़ी बढायें और जो हमारा मुल्क (देश) और मुल्कों (देशों) पर इन चीज़ों के लिये मबनी (आधारित) है वह न रहे और जो इतने इम्पोर्टस् (आयात)

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

होते हैं वह बन्द हो जायें । हिन्दुस्तान में कपड़े की कमी है । हिन्दुस्तान में कपड़ा नहीं है और हज़ारों लोग नंगे हैं । उन को कपड़ा मुहय्या करने के लिये हमें चाहिये कि यह जो हैंडलूम्स के जुलाहे ह उन की हिम्मत अफ़ज़ाई (प्रोत्साहन) करें और उन के माल को मारकेट में जो ठीक तरह बेचने के तरीक़े काफ़ी नहीं हैं उन को बढ़ायें । अगर ऐसा होगा तो हम मुल्क में लोगों को बेकार बैठा हुआ नहीं देखेंगे ।

टैक्सेशन (करारोपण) की पालिसी (नीति) का बदलना ज़रूरी है । यह जो बड़ी बड़ी सनअतें (उद्योग) हैं इन पर ज़्यादा टैक्स लें और यह जो घरेलू सनअतें हैं उन को बिल्कुल माफ़ कर दीजिये । और इस तरह से इन को ऐनकरेज (प्रोत्साहित) कीजिये । और जो बड़ी सनअतों से आमदनी हो उस से उन छोटी घरेलू सनअतों की इमदाद की कीजिये ।

अब मुझे सिर्फ़ सरकार की तवज्जह (ध्यान) इस बात की तरफ़ दिलानी है कि हैदराबाद में जहां की नुमाइन्दगी (प्रतिनिधित्व) करने का मुझे फ़ख्र (गर्व) हासिल है मुल्क के किसी दूसरे हिस्से से सनअतें (उद्योग) कम नहीं हैं । वहां की चीज़ों के नमूने आप ने नुमायशों वग़ैरह में देखे होंगे । वहां के कारीगरों को हिम्मत दिलाने के लिये और उन को एनकरेज (प्रोत्साहित) करने के लिये भी एक यूनेनिमस पालिसी (एकमत नीति) होनी चाहिये । और इस काम के लिये एक आर्गेनाइज़्ड बाडी (सुसंस्थित निकाय) होनी चाहिये । जैसे कि आप ने और कई चीज़ों के लिये कमीशन और बोर्ड बनाये हैं इसी तरह से एक आल इंडिया स्टेट्स बोर्ड (अखिल भारतीय राज्य मंडल) इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिये बनाइये और यह बोर्ड यह जानने की कोशिश करे कि इन लोगों की मुश्किलात क्या हैं । बड़ी बड़ी सनअत वाले तो आप के पास आ कर अपनी मश्किलात बयान कर सकते हैं और यह छोटे लोग आप के पास अपनी मुश्किलात नहीं बयान कर सकते । लिहाज़ा आप इन की मुश्किलात को ग़ौर से देखें और इस पर गौर करें कि इन को किस तरह से दूर किया जा सकता है । बड़ी बड़ी सनअतें उद्योग तो अपनी शिकायतें आप के सामने पेश कर के बड़ी इमदाद ले लेती हैं लेकिन इन लोगों की तरफ़ आप ज़्यादा ग़ौर नहीं करते । यह छोटे और गरीब तबके के लोग हैं और अगर आप इन की हिम्मत अफ़ज़ाई करें तो एक दो साल में जो इन सनअतों (उद्योगों) की हम आज हालत देखते हैं वह नहीं देखेंगे ।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के लिये अनुदानों की मांगों का समर्थन करना चाहता हूं । इस विभाग ने बहुत उन्नति की है । महा युद्ध से पहले भारत कच्ची सामग्री का ही निर्यात करता था जिस के कारण इसे उद्योगप्रधान देश नहीं समझा जाता था किन्तु स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत ने वस्तुओं का निर्यात शुरू किया है । १९५१ में हमारे आयात का ४७·८% पूरी तैयार हुई वस्तुयें थीं और कच्ची सामग्री आयात का केवल २०% थी । शेष ३२·२% खाद्य, पेय, मद्य तथा तम्बाकू थे ।

प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट के तीसरे पृष्ठ को देखने से पता चलेगा कि भारत का औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ चुका है । १९५० से १९५१ तक के ही इस औद्योगिक उत्पादन में लग भग २०% वृद्धि हुई है । देशभर में "उत्पादन करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे" का नारा लगा था, और वह सफल रहा था । अब उत्पादन की कठिनाई नहीं रहा है बल्कि उत्पादित वस्तुओं के क्रय करने तथा उन को उपभोग करने की कठिनाई है ।

इस मंत्रालय ने विगत वर्ष में तटकर आयोग अधिनियम तथा उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम पारित किये । इन दो महत्वपूर्ण अधिनियमों में पहला अधिनियम फिस्कल आयोग की सिफारिशों के अनुसार पारित किया गया था । इसी के अनुसार अब उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। अब तदर्थ तटकर बोर्ड को एक स्थायी कमीशन में परिवर्तित किया गया है जिस से उद्योगों की स्थिति ठीक हो जायेगी । श्रीमान्, इन दोनों अधिनियमों में एक महत्वपूर्ण बात के जोड़े जाने से और भी खूबी पैदा हुई है । वह यह है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा गया है । जहां तक त्रिदलीय सम्मेलन का प्रश्न है इस में सरकार, पूंजीपति तथा श्रम के प्रतिनिधियों का सही प्रतिनिधित्व हुआ है जिस से जन साधारण की कठिनाइयां भी कम हो गई हैं—इस का श्रेय सरकार को मिलना चाहिये ।

राज्य उद्योग सम्बन्धी वित्त निगम अधिनियम पारित होने से और भी खूबी पैदा हो गई है । इस से राज्यों में उद्योगों का काम सही ढंग पर चलता रहेगा ।

हमारा निर्यात व्यापार भी बहुत हद तक बढ़ चुका है । १९५०मे हमारे निर्यात ५२७·८३ करोड़ रुपये तक पहुंच गये थे और १९५१ में यही निर्यात् ७३७·४५ करोड़ तक पहुंचा है । इस सदन में साम्राजीय वरेव्यता—ओटावा समझौता—का उल्लेख भी हुआ है । में सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कट्टर पन्थी न बनें, न तो पिटी-पिटाई बातों के डकौंसले में आय । भारत अब स्वतंत्र हो चुका है अतः ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो हमारे सम्बन्ध होगें वे १९४६ तक के सम्बन्धों के समान नहीं होंगे । हम अपना स्वतंत्र रास्ता चुन सकते हैं और देश की भलाई के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं: हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि ब्रिटेन भारतीय वस्तुओं का सब से बड़ा खरीदार है । १९५० में हमारे उत्पादन का २२ प्रतिशत से अधिक ग्रेट ब्रिटेन को निर्यात हुआ है, और १९५१ में उन्हों ने हमारे उत्पादन का २५ प्रतिशत आयात किया है । अतः यदि ऐसे देश के साथ हम व्यापार समझौता कर लें तो उस में देश का हित होगा ।

पहले हमारे देश की व्यापार नीति द्विपक्षीय थी और अब वह बहुपक्षीय बन गई है, इससे हमारे व्यापार की प्रगति मालूम देती है । भारत की एसी नीति वस्तुतः प्रशंसनीय है क्योंकि इस प्रकार वह प्रत्येक देश के साथ संधि करने से व्यापार बढ़ा रहा है, और यदि इस में किसी विशेष कारण से सफलता नहीं मिले तो उस में भारत का कोई भी दोष नहीं ।

इस बीच इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये । कि प्रजातन्त्रात्मक देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करना हमारे लिये सुगम रहेगा, और हमारे हित में होगा ।

तो इस प्रकार में पुनः यह दोहराना चाहता हूं कि हमारे देश में उत्पादन की कमी नहीं बल्कि क्रय शक्ति की कमी है, अतः हम अब लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा देना है ।

अब मैं जूट तथा चाय उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा । चाय उद्योग के सम्बन्ध में सरकार पूछताछ कर रही है मैं आशा करता हूं इस के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जायेगा, और इस उद्योग की कठिनाइयां दूर की जायेंगी ।

विभाजन के बाद से जूट के सम्बन्ध में सरकार की जो भी नीति रही है उस से पता चलता है कि जो भी परामर्शदाता नियुक्त किया गया था उस ने उचित परामर्श नहीं दिया । यह भी एक बड़ी भारी त्रुटि थी कि उक्त उद्योग के एक व्यक्ति को नियंत्रक नियुक्त किया गया यद्यपि कलकत्ता के उच्च न्यायालय

[श्री ए० सी० गुहा]

ने उस व्यक्ति के सम्बन्ध में अच्छी राय नहीं दी थी।

मैं समझता हूं कि अन्य देशों में चलने वाली प्रतियोगिता को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार को चाहिये कि जूट उद्योग की ओर अधिक ध्यान दे क्योंकि इस उद्योग पर सारे बंगाल तथा अन्य पूर्वीय राज्यों की खुशहाली निर्भर करती है। यहां मैं जूट मिल्ज एसोसियेशन के विगत वर्ष के अध्यक्ष के बयान का कुछ अंश उद्धृत करूंगा :—

> "हमारी मशीनें बहुत पुरानी हैं जिस के परिणामस्वरूप हमारा उत्पादन अन्य देशों के उत्पादन के साथ मुकाबिले में नहीं उतर सकता। यही कारण है कि हमारा उत्पादन व्यय भी अधिक है। अन्य देशों में प्रति करघे पर १·५ व्यक्ति लगाये जाते हैं जब कि भारत में ४·५ व्यक्ति लगाने पड़ते हैं—यही कारण है कि उन का कुल उत्पादन व्यय कम है।"

मैं नहीं समझता कि हम क्यों मशीनें नहीं बदल सकते। हमारे जूट उद्योगपतियों ने बहुत धन कमाया है। अतः उन्हें मशीनें बदलने में कोई भी कठिनाई नहीं आयेगी। अभी पहले हमें कच्ची जूट के निर्यात पर कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था किन्तु अब हमें पाकिस्तान से इस का आयात करना पड़ता है, और अन्य देशों के समान निर्यात शुल्क देना पड़ता है। उत्पादन भी घटिया पड़ गया है अतः मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह हैसियन टाट का भूरा रंग तथा खुरदरापन दूर करने के लिये पूछताछ एवं अनुसंधान करायें और इस तरह इस उद्योग को चलायें ताकि भारत को बढ़िया ढंग की जूट के लिये पाकिस्तान पर निर्भर नहीं करना पड़े!

कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में इतना ही कहना उचित समझता हूं कि सरकार ने इस के सम्बन्ध में अपनी नीति का स्पष्टीकरण नहीं किया है। माननीय मंत्री को इस बात का निश्चय करना चाहिये कि इस के सम्बन्ध में किस प्रकार की आर्थिक नीति रखी जाये क्या यह नीति विकेन्द्रित होगी अथवा केन्द्रित —ताकि इस उद्योग में भी विकास हो सके।

खड्डी उद्योग का भी थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का हूं जहां का (शान्तिपुर तथा फरासडंगा) हाथ की खड्डी का बुना कपड़ा देश भर में प्रसिद्ध है। इस उद्योग की दशा बहुत ही दयनीय है, अतः मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस उद्योग को बचाने का प्रयत्न करें, और इसे प्रोत्साहन दें ताकि यह उद्योग स्वयं अपने पैरों पर टिक सके।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मांग का समर्थन करता हूं।

श्री वी० पी० नायर : श्री शिवाराव ने कहा है कि हमारा आयव्ययक बहुत ही शानदार तथा उत्साह भरा है किन्तु मेरे विचार में इस जैसे कंगाल आयव्ययक देखने को नहीं मिलेगा। खेद है कि हमारी सरकार विदेशियों से यहां की अन्तर्निहित सम्पत्ति का शोषण करा रही है—यही कारण है कि करोड़ों भारत वासी मुसीबत के दिन काट रहे हैं। इस स्वतंत्रता ने हमें बर्बाद किया, गरीब बनाया, जायदाद लूटी और हमें खाक पर सुलाया। इंगलैंड और अमरीका को देखिये। वहां की आय का केवल ५ या ७ प्रतिशत कृषि से मिलता है किन्तु वहां के लोगों के पास खाने को बहुत कुछ है, और भारत को देखिये, यहां के बेचारे भारतीयों को युद्ध से पहले १,८०० कैलोरीज कम दैनिक खाद्य मिलता है और अब उस की हालत और भी गई बीती है।

इस वर्ष के बजट में उद्योगीकरण के लिये केवल १० करोड़ रुपये रखे गये हैं। आप में से हर एक व्यक्ति जानता है कि भारत की औद्योगिक आर्थिक नीति बहुत ही पिछड़ गई है— यहां मूल उद्योगों को विकसित नहीं किया जाता। हमारे देश में केवल वे उद्योग हैं जो उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, हमारे यहां भारी रसायनिक उद्योग नहीं, न ही मशीन बनाने के उद्योग हैं; यहां धातुनिर्माण अथवा बड़े पैमाने के इंजीनियरिंग उद्योग भी नहीं हैं। पंचवर्षीय योजना में उद्योगीकरण की उपेक्षा की गई है। प्रति वर्ष २० करोड़ रुपये के हिसाब से उद्योगीकरण पर कुल १०० करोड़ रुपये व्यय किये जाने का उपबन्ध रखा गया है। बम्बई की वस्त्र-निर्माण करने वाली मिलों पर केवल मशीनें बदलने के लिये २०० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। गांधीवादी अर्थशास्त्रज्ञ श्री जे० सी० कुमारप्पा का कहना है कि विदेशी पूंजी एक फंदे के समान भारत देश का गला घोट रही है। इन ही विशुद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्रज्ञ को श्री चेस्टर बोल्ज ने "एक महामूर्ख" व्यक्ति कहा है।

मैं आप को एक उद्धरण सुनाऊंगा। यह किसी साम्यवादी की पुस्तक से नहीं लिया गया है अपितु भारत सरकार के अर्थनीति सम्बन्धी परामर्शदाता डा० ज्ञान चन्द की रिपोर्ट से सुना रहा हूं :

> "लोग इस महत्वपूर्ण तथ्य को भूल रहे हैं कि विदेशी हितों ने जिन में ब्रिटिश हित प्रमुख है, हमारे राष्ट्रीय जीवन में अब भी बहुत ही प्रमुख स्थान ले रखा है। उन्हों ने जूट, तेल, कोयला, दियासलाई, अभ्रक, मैंगनीज़, ताम्बे तथा पोतनिर्माण उद्योगों पर नियंत्रण जमा रखा है। बैंकिंग आयात तथा निर्यात व्यापार उन्हीं के हाथों में है। यदि कहीं उन की न्यस्त निधि पहले से घट भी गई है, फिर भी उन का नियंत्रण पहले जैसा ही है।"

यह रिपोर्ट ८ दिसम्बर १९५१ के "लीडर" में छपी थी।

भारत के उद्योगों में इस समय वही फटी-पुरानी टूटी-टाटी मशीनें हैं, और वही श्रमिक पसीना बहा रहे हैं जो आज से कई वर्ष पहले थे, और शोषण भी उसी प्रकार से जारी है। रिज़र्व बैंक इंडिया का अनुमान है कि विदेशियों ने भारत में १,००० करोड़ रुपये की राशियां कारोबार में लगा रखी हैं। यह सारी पूंजी दस या बारह उद्योगों में बटी है। यहां के ८८ प्रतिशत मूल उद्योग, ९० प्रतिशत पोतनिर्माण उद्योग, ७९ प्रतिशत जूट उद्योग तथा ७१ प्रतिशत कोयला उद्योगों पर विदेशी पूंजी का नियंत्रण है। हमारी सरकार ने इन उद्योगों को विदेशियों के पंजे से छुड़ाने के लिये अभी कुछ भी नहीं किया है।

माननीय मंत्री ने पिछली अस्थायी संसद् में कहा था कि भारतीयों ने ८५ लाख पौंड दे कर विदेशी स्वामित्व के ४५ उद्योग खरीद लिये हैं किन्तु यह पैसा उचित दामों से बहुत ही अधिक दिया गया, और इस का यह परिणाम हुआ कि उन्हों ने वह धन पुनः भारतीय भूमि में ही न्यस्त कर दिया। युद्धकाल में जितने भी उद्योगों का विकास हुआ था वे सभी नष्ट हो गये और उन के स्थान पर विदेशी पूंजी से बहुत सी ऐसी कम्पनियां शुरू हुई हैं जो विदेशियों की हैं। अब तो बाटाज़, लीवर ब्रादर्स, विम्कोज आदि कम्पनियां हैं, जो सिगरेट, कोका-कोला, बूट, जूते, साबुन, रबड़ की वस्तुयें रसायन आदि का निर्माण करती हैं—किन्तु स्वदेशी उद्योगों को धाराशायी कर दिया गया है। अकेले लीवर ब्रादर्स ने साबुन-निर्माण करने वाले सारे उद्योगों को खाक पर बिठाया है, और बहुत ही धन कमाया है। किन्तु, क्या सरकार ने कभी इन बातों की ओर ध्यान दिया।

अभी कुछ समय पहले सीलोन से आने वाले खोपरा तथा नारियल की गिरी के तेल पर आयात-शुल्क घटाया गया है, जिस के परिणाम स्वरूप हज़ारों नारियल उगाने वालों को घाटा हुआ है ।

इतना ही नहीं, यह विदेशी पूंजी दिन प्रति दिन भारतीय जीवन के और पहलुओं में भी प्रवेश करती जाती है और यहां की अर्थ नीति पर बुरा प्रभाव जमाती है । ३ अप्रैल, १९५१ को उस समय के वाणिज्य मंत्री श्री हरे कृष्ण महताब ने कहा था कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद से ८८ औद्योगिक परियोजनायें चालू की गई हैं, जिन में से ४४ परियोजनाओं पर विदेशी पैसा लगा है । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक **'भारत किधर को'** —(**विदर इंडिया**) और उस के बाद राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष के नाते कहा है कि भारत की अर्थ नीति की रगों में विदेशी पूंजी ने घर कर लिया है, और यही कारण है कि हम स्वतंत्र रूप से अपना वाणिज्य व्यापार पनपा नहीं सकते।

भारत के विदेशी व्यापार में किसी भी प्रकार की योजना नहीं । सरकार से पूछिये तो वह कहेगी कि हम "निर्बाध विदेशी व्यापार" चाहते हैं। किन्तु व्यापार के आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि व्यापार के सम्बन्ध में भारत की विदेश नीति कितनी त्रुटिपूर्ण है। रूस ने कितने ही बार कहा कि वह भारत को इस की आवश्यकतानुसार कोई भी वस्तु भेज सकता है और वह भी किसी भी मुद्रा में, और वह हमारे देश से जो कुछ भी धन कमा लेगा वह वापिस इसी देश में और काम-धन्धों में लगा लेगा लेकिन हमारी सरकार ने उस की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया । हमारी सरकार चाहती है कि ब्रिटिश और अमरीकी देशों से ही हमारा सम्बन्ध रहे किन्तु ये दोनों देश युद्ध चाहते हैं और संसार के सभी प्रजातंत्रात्मक देशों में मानव की तबाही देखना चाहते हैं ।

वाल्कार्ट ब्रादर्स, लीवर ब्रादर्स, लुई ड्रेफस, इम्पीरियल कैमिकल्ज, आदि बड़ी बड़ी विदेशी कम्पनियां ही भारत का आयात-निर्यात व्यापार चलाती हैं। और इस का यही परिणाम हुआ है कि विदेशी पूंजीपतियों ने हमारे उद्योगों पर अपना हाथ जमाया और हमारे स्वदेशी उद्योग बर्बाद हो गये ।

इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा कि हमें सभी देशों के साथ व्यापार करना चाहिये; विशेषत: उन सभी देशों के साथ जो युद्धप्रिय न हों और जो हमारे देशवासियों की सहायता करना चाहते हों ।

कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री पत्रिका में छपे लेख से पता चलता है कि निर्यात को प्रोत्साहन देना तथा आयात को निर्बाध रखना ही सरकार की नीति रही है । तो क्या माननीय वाणिज्य मंत्री मुझे बतलायेंगे कि हमें इस प्रकार की नीति से क्या लाभ हुआ है ? क्या यही लाभ हुआ है कि गत दो वर्षों से हमारा व्यापार संतुलन घाटे से भरा है ।

हमारे कुल आयात में ६० प्रतिशत वस्तुयें ऐसी हैं जो हम बहुत ऊंचे दामों पर मंगाते हैं, किन्तु इन वस्तुओं में मूल मशीनें आदि नहीं हैं । हन में तेल, इन्जिन, रोले , सायकिल, कल-पुरज़े तथा मशीनी औज़ार हैं । अब भारत 'के नदी नालों' में २७ करोड़ अश्व बल की गुंजायश है, तो इसके लिये उद्योग सम्बन्धी सयंत्रों की आवश्यकता है इतनी सारी मूल मशीनें आनी चाहियें, और पुरानी मशीनों के बदले नई मशीनें होनी चाहियें । सरकार का यह सर्वप्रथम कार्य है कि इनकी व्यवस्था करे ।

अब निर्यात को लीजिये । जूट, मोनाजाइट, आदि जैसी आवश्यक वस्तुयें यहां से निर्यात की जाती हैं । यदि इन वस्तुओं से यहीं भारत में बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लिया जाता तो लाखों मनष्यों को भुखमरी से बचाया जा सकता था । पंचवर्षीय योजना में १,५०० करोड़ रुपये व्यय करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं जब हमारी दशा १९३९ की दशा से सुधरी नहीं है ।

सन् १९३९ में भारत सरकार ने डा० अयक्रोइड तथा डा० राजगोपाल द्वारा खाद्य पोषण पर जो रिपोर्ट तैयार करवाई थी उस से पता चलता है कि यहां ३३.४ प्रतिशत लोग अल्पपोषण के कारण विविध बीमारियों के शिकार हो रहे हैं । केवल उत्तर प्रदेश में ३६ लाख व्यक्ति इसी अल्पपोषण के कारण रतौंधी के शिकार हो गये हैं । यदि ऐसी ही हालत है तो इस प्रकार की देशभक्ति से दूर रहना ही अच्छा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब भाषण समाप्त करें। उन्हें और भी बहुत से अवसर मिल सकते हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : मैं विरोधी बैंचों पर बैठे हुए माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं और वाणिज्य तथा उद्योग सम्बन्धी मांगों का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी सरकारी नीति यही रही है कि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिले, देश की ओर से न्यूनतम खर्चा हो तथा अधिकतम सेवाओं से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिले । विगत दो वर्षों में दोनों घरेलू उत्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है ।

सन् १९५१ में १९५० की अपेक्षा हमारे आयात तथा निर्यात में वृद्धि हुई है । पहले ४३० करोड़ रुपये के आयात थे और ४९३ करोड़ रुपये के निर्यात थे, और अब इन दोनों में क्रमश: वृद्धि हुई है जिस से ६१४ करोड़ रुपये का आयात तथा ७०० करोड रुपये का निर्यात होने लगा है । हमारी सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं को ही सर्वप्रथम आयात किया है संसार के सभी देशों के साथ व्यापार, वस्तु विनिमय आदि का सम्बन्ध बनाया है । हमारे देश में अब बहुत सी वस्तुओं का निर्माण भी होने लगा है । यह सत्य है कि १९५२ में हमारा व्यापार-संतुलन हमारे पक्ष में नहीं रहा । इसका यही कारण है कि हम ने बहुत बड़ी मात्रा में अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात किया है, किन्तु सौभाग्य की बात है कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार-सम्बन्ध बहुत ही उत्साहवर्धक है। इस वर्ष हमें कई एक पहलुओं में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

जहां तक तटकर आयोग का प्रश्न है, जिसे अर्द्ध-न्यायिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, मैं आशा करता हूं कि अब वह हमारे नवजात उद्योगों को संरक्षण दे सकेगा ।

जूट उद्योग हमारे देश का सब से महत्व-पूर्ण उद्योग है । इस उद्योग का हमारी राष्ट्रीय अर्थनीति के साथ बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि इस से हमें दुर्लभ मुद्रा अर्थात् डालर आदि मिलते हैं । रुई की तरह जूट के भी दो पहलू हैं : कृषि-सम्बन्धी तथा निर्माण-सम्बन्धी । बिहार की जूट उगाने वालों की संस्था से सम्बन्ध होने के नाते मैं इस का कृषि-सम्बन्धी पहलू ही आपके सामने रखना चाहता हूं । मेरा विचार है कि देश की आर्थिक शक्तियों के संघर्ष तथा सरकार के सहनशील रवये ने जूट-

कृषकों की बुरी गति कर दी है। पिछले पांच महीनों में दाम बहुत ही ज्यादा घट गये हैं, यहां तक कि उन बेचारे कृषकों का उत्पादन-व्यय भी पूरा नहीं हो पाता। देश के विभाजन से जूट-उत्पादन भूमि का ७२.३ प्रतिशत और जूट-उत्पादन का ७३.४ प्रतिशत हमारे हाथ से चला गया। और हमारे पास केवल ११२ जूट मिलें बची रहीं। अत: जूट के अभाव की समस्या प्रस्तुत हुई, किन्तु फिर भी हमारे देश के कृषकों ने इस संकटकाल का सामना किया। परिणाम यह हुआ कि १९४९ से १९५१ तक जूट-उत्पादन में ३०० प्रतिशत वृधि हुई। पहले ६.५ लाख एकड़ों में जूट की काश्त होती थी और अब १९.५२ लाख एकड़ों में काश्त होने लगी है, और अब यदि उत्पादन में १५ लाख गांठों की वृद्धि होगी तो हम जूट में आत्म निर्भर हो जायेंगे।

११ म० पू०

यह है कृषकों के उत्साह और परिश्रम का फल, जो उन्होंने राष्ट्रीय सरकार के कहने पर दिखाया और किया। किन्तु भाग्य की विडम्बना देखिये कि इन ही जूट-कृषकों की उपेक्षा की जा रही है। अत: मेरी यह प्रार्थना है कि जूट उद्योग के मामले में सरकार हस्तक्षेप करे आजकल बिहार और बंगाल में जूट का दाम १८ से २५ रुपये प्रति मन है, जबकि प्रति मन उत्पादन-व्यय २६ से ३२ रुपये तक है। अत: कच्ची जूट का दाम उत्पादन-व्यय से बहुत ही कम है। हैसियन जूट पर निर्यात-शुल्क के कम होने तथा हटने के परिणाम-स्वरूप विदेशी खरीदारों के मन में विश्वास नहीं रहा। इस का बाजार इतना मन्दा पड़गया है कि वहां के लोग भी इसके खरीदने की कोई इच्छा प्रगट नहीं करते।

बिहार के जूट-कृषकों की दशा बहुत ही दयनीय है। कलकत्ता के बाजार में बिहारी जूट की लाखों गांठें पड़ी हैं और उनका ग्राहक नजर नहीं आता। बिहारी जूट को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कारण यह है कि बिहार में जूट से भिन्न वस्तुयें निर्माण करने का अपना कोई भी केन्द्र नहीं है और इसके लाने लेजाने पर भी बहुत अधिक लागत आती है। जूट के दाम पर जब इस के लाने लेजाने की लागत भी शुमार हो जाती है तो इसका दाम इतना ऊंचा हो जाता है कि कलकत्ता के बाजार में अन्य प्रकार की जूट के मुकाबले में उतर नहीं सकता। अवि-भाजित बंगाल में इस उद्योग के पनपने के कई एक रास्ते थे किन्तु अब महंगे यातायात की कठिनाई के कारण इस उद्योग का भविष्य उज्जवल नजर नहीं आ रहा। अत: मैं यह सुझाव दूंगा कि बिहार में कुछ एक जूट मिलों का निर्माण किया जाय तथा यातायात की सुविधायें देने के लिये बिहार के जूट-उत्पादन क्षेत्रों को छोटी छोटी रेलों से मिलाया जाये।

जूट के दामों के सम्बन्ध में मैं आशा-पूर्ण नहीं हूं। अब वहाँ यह स्थिति है कि जूट के कृष्क उस भूमि में और फसलें भी उगाना चाहते हैं। कोई भी आश्चर्य नहीं कि निकट भविष्य में ये लोग और किसी फसल की काश्त शुरू करें, क्योंकि इन्हें अपना उत्पादन-व्यय भी पूरा नहीं हो पाता। मैं यह नहीं चाहता कि इन्हें बहुत अधिक दाम मिल जायें क्यों कि उस तरह तो इस की खपत कम हो जायेगी, बल्कि मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उत्पादन-व्यय को दृष्टि में रखते हुये इसका न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाना चाहिये ताकि सट्टेबाजी नहीं हो सके और उद्योग को पनपने का मौका मिल सके। पाकिस्तान में भी इसी प्रकार

से न्यूनत्तम मूल्य निश्चित किया गया है, इससे जूट-उत्पादन पूरे विश्वास और निश्चय से इस की कृषि किया करेंगे। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि पाकिस्तान के साथ जूट सम्बन्धी नीति को बदला जाना चाहिये, और आज से भविष्य में, पाकिस्तान से जूट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि जूट उत्पादकों अथवा जूट-ग्राहकों का प्रश्न किसी एक विशेष वर्ग का प्रश्न नहीं अपितु राष्ट्र का प्रश्न है। अतः इस पर जो भी बात चीत होगी वह राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिये और भले ही इस से अधिक लाभ न मिले, इस को फ़िर भी चलाया जाना चाहिये।

श्री राजगोपाल राव (श्रीकाकुलम्) : मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे " वाणिज्य तथा उद्योग " शीर्ष के अन्तर्गत मांग पर बोलने का अवसर दिया है। वस्तु निर्माण तथा चीनी उद्योगों की तरह जूट उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है और सरकार को चाहिये कि इसे उसी तरह संरक्षण प्रदान करे जिस तरह कुटीर उद्योगियों तथा गन्ने का उत्पादन करने वालों को संरक्षण मिली है। जूट व्यापार के अनुसन्धान तथा सुधार के लिये कोई भी बोर्ड नियुक्त नहीं किया गया है। हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि जूट मिल वाले को कितना लाभ मिलता है, न तो हम यही जानते हैं कि क्या जूट का उत्पादन करने वाले व्यक्तियों को अपने उत्पादन से पूरा लाभ प्राप्त होता है या नहीं। इस जूट व्यापार के हित में सब से बड़ी बात यह होगी कि कच्ची सामग्रियों के क्रय को वह पद्धति जो आज तक चली आ रही बिल्कुल समाप्त की जाये। जूट मिलें संख्या में १२० ही है किन्तु जूट उगाने वालों की संख्या लाखों की है। मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के " अधिक जूट उपजाओ " आन्दोलन की सफ़लता की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। इस आन्दोलन ने मात्र ३ वर्षों में बहुत उन्नति कर दिखाई है, अतः 'अधिक जूट उपजाओ' की नीति को और भी चलाया जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि लाखों जूट उगाने वालों के बचाव के लिये कच्ची जूट का न्यूनतम दाम निश्चित करे और एक ऐसे बोर्ड की नियुक्ति करे जो इस उद्योग के हितों को सुरक्षित कर सके।

इस के साथ ही मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त के जूट उत्पादकों की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। वे मिलों के लिये १८ रुपये के हिसाब से कच्ची जूट खरीदते हैं, और पूर्ण रूप से तैयार की गयी जूट निर्मित वस्तुओं को १३० रुपये में बेचते हैं तो इस तरह वे लगभग ४० से ७० रुपये तक का मुनाफा कमाते हैं। क्या इस प्रकार जूट उगाने वालों के साथ धोका नहीं किया जाता ?

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : ब्रिटिश राज्य काल में हम प्रायः इस बात की शिकायत करते थे कि वाणिज्य तथा उद्योग का काम हमारे हित में नहीं किया जाता, और आज भी वैसी ही स्थिति है। ब्रिटिश राज्य में भारतीय जनता के श्रम, यहां की कच्ची सामग्री और यहां के धन का शोषण होता था, और शोषक विदेशी थे और आज अपना राज्य होते हुये भी शोषण मिटा नहीं जहां अंग्रेज़ और अन्य विदेशी शोषक होते थे वहां आज हमारे पूंजीपतियों ने उनका स्थान लिया है। किन्तु, संविधान के अन्तर्गत हम पर इस बात का उत्तरदायित्व आता है कि यहां की समृद्धि का बराबर बराबर वितरण हो और समाज में न्यायपूर्ण ढंग से हर किसी चीज़ का बटवारा हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।

सरकार को उद्योगों का केन्द्रीकरण नहीं अपितु विकेन्द्रीकरण करना चाहिये । आज कल केन्द्रीकरण हो रहा है जिस के परिणाम-स्वरूप पूंजीपति बहुत अधिक मुनाफा कमा रहा है किन्तु विकेन्द्रीकरण से उत्पादन के सभी साधन हमारे ग्रामों में, कृषकों के पास, दूर दूर कोनों में प्राप्त हो सकेंगे, जिस से उन को भी लाभ होगा । केन्द्रीकरण से इन बातों का लाभ नागरिक क्षेत्रों को ही मिलता रहा है ।

अभी कहा गया है कि देश के बड़े बड़े उद्योगों की मशीनें पुरानी पड़ चुकी हैं. और उनको बदलने के लिये करोड़ों रुपयों की आवश्याकता है । मेरा विचार है कि यह काम स्वयं उद्योगपतियों द्वारा ही कराया जाना चाहिये, अथवा सरकार को इस पर इतना सारा धन खर्चना पड़ेगा । इस समय वे यही सोचते हैं कि सरकार उन्हें प्रोत्साहन देगी अतः मशीनों के बदलने पर क्यों धन का व्यय किया जाये, और इसी बात के भरोसे वे मुंह मांगे दाम ले लेते हैं । सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को बदलाये और यह भी देख ले कि मशीनें आधुनिकतम और कुशल हों ताकि देश का उत्पादन सही हो ।

सरकार की **कामर्स** पत्रिका में इस बात का उल्लेख हुआ है कि कातने का एक छोटा चरखा आविष्कृत हुआ है । यदि इस प्रकार की छोटी छोटी मशीनों का, जो बिजली से चलाई जायें निर्माण हो सके तो गांव के घर घर में सूती धागे का निर्माण होगा और वस्त्र बनाये जा सकेंगे ।

कितनी दुर्व्यवस्था है कि स्वयं पूंजोपति के हाथ में वस्त्रों के नियंत्रण और अवनियंत्रण की चाबी है । यह जब भी चाहता है, बाजार को बना-बिगाड़ सकता है ।

इस अधिक उत्पादन की सब से बड़ी खराबी यह है कि हमें किसी अन्य आवश्यक वस्तु का बलिदान करना पड़ा है । आप गुड़ को लीजिये । उस के उत्पादन के लिये गन्ने की काश्त होगी और गन्ने की काश्त उस भूमि में होगी जहां अन्न की काश्त होती हो ! तो इस तरह खाद्य की बलि पर ही गन्ने का अधिक उत्पादन किया गया । अब बताइये कि यह आबादी बढ़ने के कारण हुआ अथवा विशेष वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि के परिणामस्वरूप इस प्रकार की गड़बड़ मच गई । और लीजिये, हम अपने देश के गुड़ या शक्कर से ही यहां की मांग को पूरा कर लेते थे, और अब हम ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि चीनी का अभाव होने लगा है, जिस के परिणामस्वरूप चीनी के दाम बढ़ गये हैं । और यह भी सोचिये कि हमारे देश में इस का उत्पादन भी काफी महंगा है । मुझे पता चला है कि यदि हम बाहर से चीनी का आयात करें तो हमें सस्ते दामों चीनी मिल सकेगी । किन्तु उस से यही होगा कि इस बेकारी और बेरोज़-गारी भरे देश में बेकारी और भुखमरी और भी बढ़ जायेगी और यहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी । हम ने इंजीनियरिंग उद्योग, बिजली का सामान. पंखे तथा और भी बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन किया है, किन्तु इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नागरिक जनसंख्या के ही काम आता है । साधारण ग्रामवासियों के लिये भला हम ने क्या किया है. और यदि ऐसी ही स्थिति रही तो देश में असंतोष की लहर और भी बढ़ जायेगी । कुटीर उद्योग आदि जैसे छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं हुआ है । पंचवर्षीय योजना में कठिनाइयों का ही उल्लेख हुआ है. उनके

हल के सुझाव प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मैं समझता हूं कि इन कठिनाइयों को इस तरह हल किया जा सकता है कि इन छोटे पैमाने के उद्योगों की एक संस्था हो और सरकार उस संस्था की सहायता करती रहे, और उन्हें इस योग्य बनाये कि वे अधिक उत्पादन कर सकें। मिलों और हाथ करघों के बीच का संघर्ष भी स्थिति को बिगाड़ रहा है। मैं नहीं समझ सकता कि क्यों मिलों को अधिक उत्पादन करने की सुविधा दी जा रही है? मिलों का उत्पादन कम क्यों नहीं किया जाता, और हाथ करघे वाले जुलाहों को उत्पादन का यह काम सौंपा क्यों नहीं जाता? लाखों देश वासी ऐसे भी हैं जो इसी उद्योग पर ज़िन्दा हैं। हमारी जनता का बारहवां भाग कताई बुनाई का काम करता है और जहां तक मेरे ज़िले का प्रश्न है, वहां प्रत्येक बड़े तालुक में ३,००० से ४,००० तक करघे हैं। किन्तु इस समय वे सभी बिल्कुल बेकार हैं।

ऊन उद्योग का भी यही हाल है। ऊन की बहुत बड़ी मात्रायें कच्ची सामग्री के रूप में विदेशों को भेजी जाती है। बताइये अनुसन्धान तथा अन्य साधन से उन की रंगाई करने और इसकी मुलायमी बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या काम किया है?

अब आप तेल निकालने की मशीनों को लीजिये। हमारे यहां तेल निकालने के कोल्हू वनस्पति की मशीनें, आदि हैं। किन्तु इन से हमारे यहां की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? यही हुआ है कि लोगों ने मूंगफ़ली का अधिक उत्पादन किया है जिस के परिणामस्वरूप खाद्य की कृषि कम हो गई है। और यह काम भी विशेष स्थानों में होता है।

हम मिट्टी के तेल का भी आयात करते हैं—कितना? यह मैं बता नहीं सकता। क्या सरकार ने कभी इस ओर भी ध्यान दिया है कि देहातों में प्रयोग के लिये एक ऐसा लैम्प अथवा दीया बनाया जाय जो साधारण तेल से जलाया जा सके? और जब अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संस्था ने इस प्रकार का एक आविष्कार किया था तो सरकार ने उन्हें क्या कोई सहायता दी थी? कहा जाता है कि खादी का प्रयोग और नहीं होगा। भला यह कैसे?

उपाध्य महोदय : माननीय सदस्य कृपया अन्य सदस्यों के प्रति कहें। मैं इन बातों के लिये उत्तरदायी नहीं हूं।

श्री राघवाचारी : श्रीमान्, आप को कह कर ही मैं औरों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। यह मैं औरों के लिये कहता हूं—उन के लिये जो कहते हैं कि खादी का प्रयोग हमारे लिये आर्थिक सिद्ध नहीं हो सकता। आखिर, अर्थशास्त्र अथवा देश की अर्थ नीति क्या है? किसी भी देश की अर्थ नीति तभी सफ़ल कही जा सकती है जब उस देश से बेकारी हट जाये और इस प्रकार उत्पादन हो कि वहां के हर एक बेकार अथवा सुस्त व्यक्ति को अपनी भलाई के लिये प्रति दिन थोड़े से समय में कुछ काम करने तथा धन कमाने की सुविधा प्राप्त हो। क्या यह अर्थशास्त्र अथवा अर्थनीति नहीं? यदि मंत्री महोदय इस बात का अनुभव करते हैं कि खदर से हमारी आर्थिक समस्यायें हल नहीं हो सकतीं तो वह अपनी नीति को बदलते क्यों नहीं वे इसका पहनना क्यों छोड़ नहीं देते? देखिये अखिल भारतीय चरखा संघ ने इस के प्रचार के लिये कितना प्रयत्न किया है, किन्तु उसे उस के बदले में सरकार की ओर से क्या मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की आज तक कोई भी नीति नहीं रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राघवाचारी : धन्यवाद !

अब आप आयात-निर्यात को लीजिये। ऐसी सैकड़ों वस्तुयें होंगी जिन के बिना भी हमारे देश का काम चल सकता है। जब ऐसी बात है तो बताइये, आप उन वस्तुओं का आयात ही क्यों करते हैं ? अभी कुछ दिन पहले मैं ने कनाट प्लेस में देखा कि कई लोग चित्र-छपे कपड़े पहन कर बाज़ार में घूम रहे हैं। मैं नहीं समझता कि चेहरे पर मलने के पाउडर आदि का क्यों आयात होता है। इन सड़ी गंदी चीज़ों का आयात कम किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : ये श्रृंगार-प्रसाधन पुरुषों के लिये नहीं हैं।

श्री राघवाचारी: हमारे देश की आबादी में स्त्रियां ही अधिक हैं, और यदि बाज़ारों में उन के लिये ही श्रृंगार-प्रसाधन की नुमाइश शुरू की जाये तो इस देश को धिक्कार है। आयात के सम्बन्ध में हमारी इस प्रकार की नीति होनी चाहिये कि जो भी वस्तुयें अनिवार्य हों उन ही का आयात हो।

अब और देखिये। हम साइकिलों का आयात करते हैं। आपके पास "संरक्षा" नाम का आयुध है जो आप जब चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में सायकिलें आयात किये जाने के बाद आप 'संरक्षा' प्रदान करने की बात सोचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति साईकिल बनाने की योजना शुरू करता है तो आप 'संरक्षा' को बीच में खड़ा कर देते हैं। क्या आप ने उस के सामान, के उत्पादन, प्रकार, अथवा स्तर पर कोई नियंत्रण बिठा रखा है ? यदि आप संरक्षा प्रदान करें, तो उस में आप की भलाई होगी, किन्तु क्या उस संरक्षा से देश को कोई सहायता मिलती है ? अतः एक आयात निर्यात तथा संरक्षा सम्बन्धी नीति को बहुत ध्यान से चलाया जाना चाहिये।

आज के पत्र में मैं ने पढ़ा है कि आयात तथा निर्यात की वस्तुओं के सम्बन्ध में अभी सरकार ने किसी भी नीति का प्रस्थापन नहीं किया है ? मुझे इस बात का पता चला है कि विगत वर्ष किसी सज्जन ने २,००० टन सल्फ्यूरिक एसिड का आयात किया था जब कि देश में कुल २०० टन की ही आवश्यकता थी। बताइये आप ने उस व्यक्ति को इतना सल्फ्यूरिक एसिड आयात करने की आज्ञा क्यों दी ? अब उस व्यक्ति ने यह सारा स्टाक अपने पास रखा और लोगों से मुंह मांगे दाम ले कर वह खूब मुनाफा कमा लेगा ? क्या इसी नीति से देश का भला हो सकता है ? अतः मैं प्रभारी मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह एक निश्चित नीति के अनुसार ही काम चलायें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर—पाली) : सदन में तथा सदन के बाहर इस बात की बहुत ही आलोचना की जा रही है कि भारतीय उद्योग अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं। इन बातों में कुछ एक तो अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और शेष आलोचनायें गलत सूचनाओं पर आधारित हैं। मैं मानता हूं कि उद्योगों की व्यवस्था में त्रुटियां भी हैं। मैं इस समय केवल इस बात की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि निजी उद्योगों के प्रबन्ध के अन्तर्गत जितने भी यह निजी उद्योग हैं उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में कितना साथ दिया है, और किस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है।

भारतीय उद्योगों ने बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद भी काफ़ी उन्नति की है। हमारे देश की ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों (संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों) के विकास का इतिहास बहुत पुराना नहीं है और हम देखते हैं कि

सन् १९०० में इन कम्पनियों की संख्या १३६० थी और १९४८ में इनकी संख्या २२,६७४ तक पहुंच गई । १९०० में अदा की गई पूंजी ३६ करोड़ रुपये थी और १९४८ में यही पूंजी ५६९ रुपये तक पहुंच गई । इस पूंजी में १७५ करोड़ रुपये की वह पूंजी शामिल नहीं है. जो १९१८ और १९४८ के बीच कुछ कम्पनियों के बन्द हो जाने से बट्टे खाते चली गई थी। एक प्राक्कलन के अनुसार १९४८ में औद्योगिक धन्धों में १,२०० करोड़ रुपये लगाये गये थे । यह भी अनुमान है कि १९४७ में भारतीय उद्योग के उत्पादन से राष्ट्र की सम्पत्ति में १२४३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी और इसी वर्ष की कुल मजूरी लगभग २५० करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी इन के अतिरिक्त यदि आप वस्त्र निर्माण इस्पात. सीमेंट. काग़ज़ और चीनी के उद्योगों की प्राप्तियों को देखें. तो आप को पता लगेगा कि हमारा देश न केवल सारभूत आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर हो चुका है अपितु हमारे बहुत से उद्योगों ने बहुत हद तक निर्यात व्यापार बढ़ा दिया है जिस से हमारे संतुलन पत्र में काफी लाभ नज़र आता है।

पंचवर्षीय योजना को देखने से पता चलेगा कि हमारी सरकार के संसाधन केवल कृषि. सिंचाई तथा विद्युत, के काम में लाये जाने वाले हैं और औद्योगिक विकास को निजी उद्योगों के हाथों सौंपा गया है, यद्यपि उन पर भी कुछ एक पाबन्दियां लगाई गई हैं जो देश के विकास के लिये आवश्यक हैं । इसलिये मैं आलोचकों का ध्यान इन सब बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आप सभी को भली भांति याद होगा कि विदेशी राज्यकाल में भारतीय उद्योगों के साथ किस तरह राष्ट्र-विरोधी और सौतेली मां का जैसा व्यवहार होता था। इस के अतिरिक्त तीसरे दशक में जो मंदी शुरू हुई थी और जो धीरेधीरे द्वितीय विश्वयुद्ध तक चलती रही, उस से हमारे उद्योगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा । इसके अलावा. यद्यपि युद्धकाल में उद्योगों पर इन बातों का अच्छा प्रभाव रहा है तथापि युद्धकाल एवं युद्धोत्तरकाल की कई एक पेचीदा समस्याओं ने भारतीय उद्योगों के रास्ते में रोड़े अटकाये। फिर भी यदि भारतीय उद्योग आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यात-व्यापार में भी आगे हैं, तो इस उद्योग की प्रशंसा की जानी चाहिये ।

अभी उस दिन महाराष्ट्र से आने वाले सदन के एक वरेण्य सदस्य ने पूछा था: "देश की लगभग ४०० कपड़ा मिलों को संभालने में भारत सरकार को क्या कठिनाइयां थीं ? मैं इस के उत्तर में सरकार की अक्षमता अथवा प्रबन्ध अव्यवस्था की ओर निर्देश नहीं करना चाहता, हां इतना उन्हें बताना चाहता हूं, जैसा कि वे स्वयं भी जानते हैं, कि एक ओर जहां योग्य, ईमानदार और कार्य-कुशल कर्मचारीवर्ग की कमी है वहां सरकार के समक्ष अनेक पेचीदा समस्यायें हैं यही कारण है कि राष्ट्रीयकरण की बात भी खटाई में पड़ गई है। मैं उन को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जिन दिनों वे मंत्रिमण्डल के सदस्य थे उन दिनों उन्होंने उस कपड़ा मिल की व्यवस्था एक प्राइवेट (निजी) उद्योगपति को सौंपी थी ।

माननीय सदस्य ने इस बात का भी समर्थन किया है कि नियंत्रणों को और भी कड़ा किया जाये तथा वाणिज्य एवं उद्योगों का सामूहीकरण हो । नियंत्रण की बात बहुत ही विवादास्पद है और मैं इन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता । इतना अवश्य कहूंगा कि मन्दे बाज़ार में नियंत्रण बहुत ही सहायता दिया करते हैं । एक जन-साधारण के नाते मैं यही कहूंगा कि माननीय

सदस्य ने ऐसे सुझाव दिये जिन में कोई भी यथार्थता नहीं और न जिन से कोई समस्या सफ़ल होती है।

माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान भी कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं नियंत्रित उद्योगों की वस्तुओं के समय समय पर दाम निश्चित करने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं सरकार से इस बात में सहमत हूं कि दाम इतने कम हों कि अन्य आवश्यक बातों का भी उन में समावेश हो सके। एक बनावटी निम्न स्तर पर दाम होने के कारण सभी को हानि होती है अतः मेरा यह सुझाव है कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये, जिस से समस्या हल हो सकेगी और उत्पादन में तभी वृद्धि हो सकती है जब सरकार की इस प्रकार की नीति हो कि उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं के दाम अधिक न हों। मैं एकाध उदाहरण दूंगा। १९४९ के उत्तरार्द्ध में वस्त्र उद्योग ने दामों में ४ प्रति शत ऐच्छिक कटौती करना स्वीकार किया था जब सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि खाद्य तथा अन्य सामग्री में कटौती होने से निर्माण-व्यय (उत्पादन-व्यय) में भी कमी हो जायेगी। यह आश्वासन कभी भी पूरा नहीं हो सका। यद्यपि इस प्रतिशत कटौती को और बातों से पूरा किया गया है तथापि बहुत से प्रकार के गाढ़े और बीच के कपड़ों और अति महीन कपड़ों के दामों में अभी कटौती होना बाक़ी है। इसी तरह इस्पात के दाम यथापूर्व रखने की बात पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा यह प्रतिपादन है कि भिन्न प्रकार की निर्मित नियंत्रित वस्तुओं के लिये मूल्य सम्बन्धी नीति बनाते समय समस्या के आर्थिक पहलू पर ध्यान देना चाहिये ताकि बहुत समय तक के उत्पादन के विचार से उत्पादन वहीं का वहीं न रहे बल्कि बढ़ता रहे---इसी से सरकार की यह सब से बड़ी समस्या हल हो सकती है।

इस सिलसिले में वित्त मंत्री की उस दिन की बहस की ओर निर्देश करना चाहता हूं उन्होंने कहा था कि चीजों की किस्म के नियंत्रण तथा अन्य प्राविधिक उपायों से निर्माण-व्यय में १० प्रति शत से १५ प्रति शत तक की कमी हो सकती है। मैं उनके इस सुझाव का स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि इन दस वर्षों में उद्योगों ने अनगिनत पैसा कमाया किन्तु कार्यकुशलता तथा प्रबन्धव्यवस्था ढीली पड गई है। उद्योगों को चाहिये कि वे अधिक अच्छी प्रबन्ध-व्यवस्था तथा अधिक कार्य कुशलता द्वारा उत्पादन व्यय कम करें और बढ़िया प्रकार का उत्पादन करें। इस के साथ साथ मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बात का आश्वासन देता हूं कि हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि उद्योगों के कार्य में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है जिस से उत्पादन व्यय निम्नतम स्तर पर पहुंच जाय।

भाषण समाप्त करने से पहले, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आर्थिक पुनःव्यवस्थापन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और चारुता के लिये विविध उद्योगों के आधुनीकरण की आवश्यकता है, और इस बात की भी आवश्यकता है कि इन उद्योगों में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाई जायें ताकि उत्पादित वस्तुयें मुकाबले में अच्छी तरह से उतर सकें। यह सही है कि हमारे वस्त्र उद्योग का विदेशी व्यापार इधर कई वर्षों में बिल्कुल स्थापित हो चुका है किन्तु फिर भी, जब तक मशीनें बदलाई नहीं जातीं और प्रबन्ध व्यवस्था ठीक नहीं होती

तब तक यह उद्योग न तो अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और न विदेशी प्रतियोगिता में उत्पादन कर सकते हैं।

जूट उद्योग की ओर भी माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान में १५,००० करघे तैयार किये गये हैं। अब देखिय कि हमारी सरकार ने इस दिशा में क्या कुछ किया है। भारत में पुराने ढंग के करघे हैं और कलकत्ता में इन की संख्या ६५,००० है। पाकिस्तान के १५,००० करघे जब तीन पारियों में काम चालू करेंगे अर्थात् ४५,००० के बराबर होंगे तो हमारे पुराने ढंग के ६५,००० करघे किस प्रकार उन की प्रतियोगिता में उतर सकते हैं। जूट से हमें डालर प्राप्त होते हैं और पाकिस्तान के साथ की प्रतियोगिता में हम किस प्रकार इस काम में सफल हो सकते हैं। विभिन्न उद्योगों के संयंत्रों और मशीनों का नवीकरण भी ध्यान में रखा जाना चहिये। इस के लिये दो उपाय हो सकते हैं : — नियंत्रित वस्तुओं वाले उद्योगों को सुधार के रूप में अधिक मूल्य लेने की छूट दी जाय। इस से दाम तो बढ़ जायेंगे लेकिन जब तक मशीनों का नवीकरण नहीं होता तब तक उपभोक्ता को अच्छी चीज नहीं मिल सकती, और नवीकरण तभी हो सकता है जब उन्हें अधिक मूल्य लेने की छूट दी जाये। दूसरा उपाय यह है कि मशीन बदलने के लिये अवमूल्यन किया जाय। जहां तक इस दूसरे उपाय का प्रश्न है ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमरीका तथा फ्रांस के विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि इस समय मूल मशीनों के दाम युद्धकाल के दामों से तीन गुना बढ़ गये हैं, अतः उद्योगों को मशीन संस्थापन के आधुनिक मूल्यों के आधार पर ही अवमूल्यन का हिसाब लगाने की छूट मिलनी चाहिये।

यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और इस में बहुत सी उलझनें हैं। इस के दो उपाय हो सकते हैं : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय एक विशारद समिति नियुक्त करे जो इस प्रश्न पर वैज्ञानिक ढंग से विचार करे, अथवा भिन्न औद्योगिक संस्थाओं से कहा जाये कि वे अपने विभागीय विशारदों से इस के समंक तैयार करने को कहें। युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाल में हमारे उद्योगों पर बहुत ही दबाव पड़ा है, अतः मशीनें बदलने में इन्हें कठिनाई आयेगी : इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे ताकि ये उद्योग चैन का सांस ले सकें।

मैं आयात तथा निर्यात के सम्बन्ध में भी कुछ एक शब्द कहना चाहता था। यह भी बहुत ही उलझा हुआ मामला है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार में जा सकूं। इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि मूल्य को निश्चित करने की नीति में भी तबदीली की जानी चाहिये, ताकि व्यापार एवं उद्योग पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनी रहे। आज तक इन उद्योगों ने सरकार की हर किसी बात में सहयोग दिया है, और भविष्य में भी ये राष्ट्रनिर्माण के हर किसी पहलू में सहयोग देते रहेंगे।

श्री जी० पी० सिन्हा (पालामऊ व हजारीबाग व रांची) : विरोधी दल के सदस्यों ने जो भी आलोचना की है वह रचनात्मक नहीं; उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया है और हमारी आधुनिक सरकार के कार्य का मुकाबला रूसी तथा चीनी सरकारों के कार्यों के साथ किया है, किन्तु ऐसा करते समय वे इस बात की उपेक्षा करते हैं कि यहां के निर्वाचकगण ने किसी भी स्थिति में वैसा राज्य नहीं चाहा। यहां के लोगों ने कभी भी इन विरोधी दल के सदस्यों की

विचार धारा का साथ नहीं दिया, अतः हम अपनी सामाजिक पद्धति अथवा अपनी आर्थिक पद्धति को कभी भी बदल नहीं सकते। हम इस प्रकार की सामूहिक प्रणाली पर अपने राज्य को आधारित नहीं कर सकते, जिस प्रकार की राज्य प्रणाली रूस अथवा चीन ने अपनाई है। हमारे हां व्यक्ति के अधिकारों को अधिक सम्मानपूर्वक देखा जाता है। हमारे व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखा है, अतः मैं सरकार को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकता कि निजी उद्यगों को समाप्त कर दिया जाय। इन निजी उद्योगों पर पूरा नियंत्रण बिठाने के लिये सरकार को देश के औद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। यही बात मैं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं, किन्तु उस में सरकार का कोई भी दोष नहीं। आज से दस वर्ष पहले जब भी कोई अर्थशास्त्रज्ञ योजना के सम्बन्ध में सोचा करता था तो वह यही सुझाव देता था कि औद्योगिक योजना होनी चाहिये किन्तु स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो हमारे सामने कई एक समस्यायें आईं, और उन के परिणामस्वरूप हमारे देश में कृषि का ही विकास हुआ। हमारे हां खाद्य का अभाव रहा, अतः हमें कृषि पर अधिक जोर देना पड़ा। किन्तु आज हमारी समस्या बिल्कुल भिन्न है, जिसे हम जर्मनी अथवा रूस के समान औद्योगिक विकास से नहीं सुलझा सकते। अभी हाल में शुरू किये गये हमारे उद्योग राज्य-स्वामित्व के हैं। जहां तक मूल वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों का प्रश्न है, सरकार को उन पर और अधिक कड़ा नियंत्रण रखना चाहिये।

श्री एस० एस० मोर: मैं विरोधी दल के कुछेक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अनेक कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। मैं ने सरकार की औद्योगिक नीति का अध्ययन किया है और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नीति निराशाजनक तथा दोषपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति न तो राष्ट्रीयता के अनुकूल है और न इस में किसी प्रकार का कोई तुक दिखाई देता है। मैं ठोस कारणों के आधार पर इस प्रकार की बात बता रहा हूं। मैं कांग्रेसवादियों की इस बात से सहमत हूं कि उद्योगीकरण पर राष्ट्र की सम्पत्ति निर्भर रहती है। अतः उद्योग बढ़ने चाहियें। लेनिन का कहना है कि वह देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता जो मुख्यतया कृषि पर निर्भर करता हो। अतः भारत सरीखे देश को इस हद तक उद्योगीकरण करना चाहिये कि एक ओर कृषि सम्बन्धी उत्पादन एवं कृषि सम्बन्धी विकास और दूसरी ओर औद्योगिक विकास के बीच संतुलन रह सके। किन्तु, दुर्भाग्यवश ब्रिटिश सरकार की नीति इसके विरुद्ध थी। ब्रिटिश राज्य से पहले भारत में कई उद्योग चलते थे, और वे कुटीर उद्योगों के ढंग पर उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते थे, किन्तु ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भ से भारतीय हितों और इंगलैंड के बढ़ते हुए उद्योग और व्यापार के बीच एक संघर्ष चला। इंगलैंड में औद्योगिक क्रान्ति हो रही थी और टनों के टन उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था। वह इसी धुन में थे कि उन्हें ऐसा देश मिले जहां उन का माल खप सके, अतः यहां आकर उन्हों ने यहां के उद्योगों को बर्बाद कर डाला। उन दिनों कांग्रेस के कर्मठ स्तम्भों ने १९१८ में उद्योग आयोग के समक्ष कई बातों का साक्ष्य दिया था कि यहां के उद्योगों को किस प्रकार पनपाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री दिवंगत पंडित मदन मोहन मालवीय की वह रिपोर्ट पढ़ें। किन्तु अंग्रेज़ों को कहां ऐसी बात भाती, उन्हों ने

हमारे उद्योगों को बर्बाद किया, और भारत के सारे उद्योग खंडहर बन गये। अंग्रेज़ों ने इस के अतिरिक्त एक और शरारत की। वह यह थी कि वे अपनी मशीनों के लिये कच्ची सामग्री चाहते थे, और इस के लिये उन्हों ने भारत को ही आधार बनाया। तो, इस तरह हम ने लंकाशायर और मांचेस्टर की मशीनों को चालू रखने के लिये बहुत बड़ी मात्राओं में कच्ची सामग्रियों का निर्माण एवं निर्यात करना प्रारम्भ किया, यद्यपि इस में हम ने अपना ही घाटा चाहा। और अब हमारी आज की सरकार ने इन दोषों को हटाने के लिये क्या किया है। मैं तो यही कहूंगा कि ब्रिटिश राज्य द्वारा की गई बातें ही यहां, दोहराई गई हैं।

अब आप आयव्ययक के आंकड़ों को देख लीजिये। मैं ने माननीय वित्त मंत्री से कहा था कि विविध विभागों पर व्यय किये जाने के लिये कुछ धन राशियां, दी जायें। उन्हों ने मेरे प्रश्न को टालते हुए कहा कि "यह सीधे हिसाब की बात है।" अब देखिये कि कुल खर्चे का ४९ प्रतिशत रक्षा विभाग के लिये रखा गया है और उद्योग एवं रसद विभाग को १.२५ प्रतिशत मिला है। प्रति व्यक्ति हिसाब लगाने से पता चलेगा कि ३५,६८,००,००० की आबादी के उद्योग तथा रसद के लिये जो कुल राशि मिली है उस से एक व्यक्ति की ०·१४ रुपये मिले हैं, जब कि रक्षा पर प्रति व्यक्ति ५·४६ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

विगत फरवरी में जो श्वेतपत्र दिया गया था उस में मूल उद्योगों की भी एक मद थी। अब इस आयव्ययक को देख कर हम ने रक्षा पर के व्यय में कोई कमी नहीं की है, इस से क्या होगा कि बड़े बड़े जरनेलों और फ़ौजी सरदारों को लाभ होगा। किन्तु इस रक्षा विभाग के सम्भरण के लिये हमें इस्पात तथा अन्य मूल उद्योगों को चलाने की आवश्यकता है। अब इस समय भारत में इस्पात तथा लोहा उत्पादन करने वाली कम्पनियों की संख्या केवल दो है— अर्थात् ताता आयरन एण्ड स्टील को० लि० जमशीदपुर, तथा आसन्सोल स्थित स्टील कारपोरेशन ऑव बंगाल। उन का कुल वार्षिक उत्पादन १० लाख टन इस्पात और दो लाख टन लोहा है। और अब देखिये कि भारत को प्रतिवर्ष २१ लाख टन इस्पात और ४ लाख टन कच्चा लोहा चाहिये। तो इस तरह हमारे देश में हमारी आवश्यकताओं का आधा भाग भी पूरा नहीं हो पाता। तो हमारी सरकार को चाहिये कि वह लोहा और इस्पात के उत्पादन में ज़ोरों से वृद्धि करे। अमरीका में प्रति वर्ष १० करोड़ टन और रूस में ५ करोड़ टन लोहे का उत्पादन होता है। यदि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें इस्पात उद्योग को बढ़ाना चाहिये।

बुनियादी उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था कितनी ही आवश्यक है। इस के लिये मैं मार्क्स, चीनी अथवा रूसी साहित्य का हवाला नहीं देना चाहता बल्कि प्रो० अग्रवाल द्वारा लिखित उसी 'गांधीवादी योजना' से उद्धृत करता हूं जिस पुस्तक को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आशीर्वाद प्राप्त थे। वे लिखते हैं :—

> "इस योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि अखण्ड राष्ट्र के हित में बुनियादी तथा प्रमुख उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिये। इन प्रमुख उद्योगों से सारे देश का भला होगा अतः इन्हें व्यक्तियों के हाथों नहीं सौंपा जाना चाहिये।"

किन्तु अब वह महात्मा जी भी पुरान पड़ गये हैं।

कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में आप ने क्या सोच रखा है? महात्मा जी ने इन के विस्तार पर बहुत ज़ोर दिया था, क्यों कि उन का यह विश्वास था कि ग्राम्य क्षेत्रों के उद्योगीकरण तथा ग्रामों में उद्योग बढ़ाने से ही भारत की जनता का भला हो सकता है। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, वहां मद्यनिषेध के

कारण अवैध शुंडा एक घरेलू उद्योग बना है, और काफ़ी ज़ोरों से बढ़ रहा है। (**एक माननीय सदस्य** : देशभर में ऐसा है।) खैर, मैं तो महाराष्ट्र के सम्बन्ध में ही कह सकता हूं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

ठीक है, जहां तक काग़ज़ी कार्यवाही का इन है, सरकार ने अनगिनत योजनायें बनाई। किन्तु, मेरी समझ में नहीं आता कि अब भन्न योजनाओं की आवश्यकता ही क्या है ? मैं उन दिनों का उल्लेख कर रहा हूं जिन दिनों पंडित जवाहरलाल राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष थे और हमारे देश के श्रेष्ठ और वरेण्य अर्थशास्त्र प्रो० के० टी० शाह उस की कार्यवाही, आदि संभाल रहे थे। उन्हों ने कई योजनायें बनाईं किन्तु सभी योजनायें ताक पर धरी पड़ी हैं। अब बताइये कि गांधीवादी ले खक प्रो० अग्रवाल की "**गांधीवादी योजना**" से भी सरकार बहुत लाभ उठा सकती थी, उसी में कुछ परिवर्तन अथवा रूपभेद किया जाता, किन्तु ऐसा भी नहीं किया गया। क्योंकि ब्रिटिश नीति में गांधीवादी बात कैसे समा सकती है। अंग्रेज़ों ने हमारे उद्योगों का विस्तार नहीं चाहा था किन्तु उनके जाने के बाद उनकी नीति भूमिगत हु ई और अब वह भी साम्यवादियों की तरह लुके-छिपे काम कर रही है। अतः मैं पूरी ईमानदारी से यही सुझाव दूंगा कि आप दलबन्धी और दलबन्धी के दारे छोड़ कर, एक हो जाइये और उद्योगों का निर्माण कीजिये।

महाराष्ट्री होने के नाते मुझ पर एक और बात का उत्तरदायित्व आता है, अतः भाषण समाप्त करने से पहले कुछ शब्द कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र प्रदेश युद्धवीरों और सैनिकों की एक खान है। हम में सैनिकता इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि जब हमें किसी समान शत्रु से टक्कर नहीं लेनी पड़ती तो हम आपस में ही लड़ पड़ते हैं, किन्तु हमारे इस युद्धवीर प्रदेश को अंग्रेज़ों ने किसानों का प्रदेश बना दिया। यहां की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है और यही कारण है कि दो जून रोटी पैदा करने के लिये हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो इस अभाव को दूर करने के लिये मैं आप से यह भी प्रार्थना करूंगा कि आप महाराष्ट्र प्रदेश में उद्योगीकरण करें, बम्बई तथा पास पड़ोस के मिल-क्षेत्रों से उद्योगों को विकेन्द्रित करके इस प्रान्त में उन की संस्थापना करें ताकि महाराष्ट्र की ग़रीबी दूर हो सके। महाराष्ट्र में कई एक उद्योग हैं किन्तु उन्हें कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। मैं कोयला परियोजना पर ज़ोर देते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस से महाराष्ट्र की औद्योगिक स्थिति बदल जायेगी, और वहां के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं इस समय कुछ और नहीं कहना चाहता, केवल इतने पर ही ज़ोर देना चाहता हूं कि बम्बई के उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाय, और उन्हें महाराष्ट्र में संस्थापित किया जाय, इस से महाराष्ट्र के लोगों को काफ़ी सहायता मिल सकेगी।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं आगामी व र्षों में भारत के निर्यात-व्यापार के स्तर को बनाये रखने के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। विगत वर्ष हम ने ७३३ करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया था जिस में से ५७ प्रतिशत तो निर्मित वस्तुयें थीं, कई बातों को दृष्टि में रखते हुए यह कदाचित संतोषजनक स्थिति कही जा सकती है, किन्तु ऐसी स्थिति सदा के लिये बनी नहीं रहेगी। भविष्य के सम्बन्ध में कई एक ऐसी बातें हैं जिन से चिन्तायें पैदा हो जाती हैं क्यों कि इधर पिछले वर्ष में कई एक बातें हमारे पक्ष में थीं किन्तु अब वह बातें भविष्य में नहीं रहेंगी। मेरा मतलब यह कहने का है कि हमारी मुद्रा अवमूल्यन

हुआ, कोरिया में युद्ध छिड़ गया, और पाश्चात्य देशों में स्टॉकबन्दी तथा पुनःशस्त्रीकरण के कार्यक्रम चले जिनके परिणामस्वरूप हमारा निर्यात बढ़ गया और हमारे देश ने निर्मित वस्तुओं का भी निर्यात किया। किन्तु अब स्थिति बदल रही है। अब तक हम विक्रेता रहे हैं किन्तु अब हमें क्रेता बनना होगा। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि विश्व-व्यापार में जापान ने भी प्रवेश किया है, और मैं अब उसी के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

आप को मालूम होगा कि जापान अपनी उन पुरानी मंडियों में अपना माल चालू करने के लिये निर्यात-व्यापार बढ़ा रहा है। अभी हाल तक एस० सी० ए० पी० प्रशासन ने जापानी व्यापार पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा रखे थे। किन्तु जापानी शान्ति समझौता होने के बाद उस पर से वे सभी पाबन्दियां हट गईं, और अब जापान विश्व के बाजार में होड़ लगा रहा है। जापान की घरेलू स्थिति भी ऐसी है कि यदि वह निर्यात नहीं करता तो उस की सत्ता समाप्त हो जाती है। और अब हमारे व्यापार पर उस के व्यापार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

अब देखिये कि प्रशासन रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों में जापानी निर्यात ७.५ करोड़ रुपये से २२.१७ करोड़ रुपये तक पहुंचा है। यानी ३०० प्रतिशत बढ़ गया है। जापानियों के वस्त्र निर्यात से हमारे उद्योग को बड़ा भारी धक्का लगने वाला है क्योंकि हम उन की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते।

सन् १९५१ में जापान ने लगभग १,०५,००,००,००० गज़ कपड़े का निर्यात किया था, और इस के मुकाबिले में ग्रेट ब्रिटेन ने ८६५,०००,००० गज और भारत ने ७७०,०००,००० गज कपड़े का निर्यात किया था। इस से हर किसी निर्यातक देश को चिन्तित होना चाहिये। मैं समझता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन ने जापान के साथ कोई समझौता किया है अतः उन्हें इस बात से कोई चिन्ता नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हों ने पश्चिमी अफ़्रीका तथा पूर्वी अफ़्रीका में उन्हें व्यापार करने की छूट दी है। मैं समझ ता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन ने जापान को कुछ सुविधायें दी हैं, किन्तु तटकर एवं व्यापार सम्बन्धी साधारण करार में यदि जापान को भी साथ रखा जाता है, तो भारत का क्या हाल होगा। अभी कुछ दिन हुए, कि **'मान्चेस्टर गार्डियन'** ने वस्त्र निर्माण एवं निर्यात करनेवाले चार देशों यानी भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन का एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था। मुझे मालूम नहीं कि हमारी सरकार ने इस सुझाव पर क्या विचार किया था। हो सकता है कि जापानी मिशन ने इस सम्बन्ध में हमारी सरकार से कोई बात चीत की हो। मैं तो सुझा व ही देना चाहता हूं कोई आलोचना नहीं करना चाहता

(एक माननीय सदस्य: दोनों में क्या अन्तर है) प्रशासन रिपोर्ट से मुझे पता चलता है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने सभी ओर उन्नति की है। इस के लिये वह बधाई के पात्र हैं।

अब मैं विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कुछ एक शब्द कहूंगा। मैं समझता हूं कि हमारे व्यापार आयुक्तों द्वार वाणिज्यिक महत्व के सभी देशों में सही प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। अब बताइये कि दो मंत्रणा दाताओं का क्या काम है,जो वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने भेजे हैं इन्हें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा भेजा जाना चाहिये था। मेरा यही सुझाव है कि हमारे मंत्रालय निर्यात-व्यापार का स्तर बना रहना चाहिये और वाणिज्य तथा उद्योग पर जो भी व्यय किया जाता है उसे व्यय नहीं, बल्कि व्यापार में धन-न्यास समझा जाना चाहिये।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय 'दि जनरल आव इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' नाम की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है, और इस में

सारणियां, तालिकायें, और अनुसूचियां दी गई होती हैं, मैं चाहता हूं कि इस में 'व्यापार की शर्तें' नाम का एक स्तम्भ और भी जोड़ा जाये ताकि उस अनुसूची अथवा सारणी को देख कर इस बात का पता चला करे कि व्यापार की शर्तों से हमें लाभ हो रहा है अथवा हानि।

एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट (प्रशासन रिपोर्ट) की कुछ एक त्रुटियों को भी आप के समक्ष रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार हैं : पृष्ठ १० पर 'स्पार्कलिंग प्लग्स' दिया गया है जबकि यह शब्द 'स्पार्क प्लग्' होना चाहिये इसी तरह जो आंकड़े दिये जाते हैं, वह बिल्कुल अस्त व्यस्त दशा में होते हैं—पृष्ठ ६७ पर देखिये जहां जापान से आयात की गई वस्तुओं की रिपोर्ट दी गई है, इस तरह पृष्ठ ७१ पर एक ही अनुसूची में दो भिन्न काम की चीजें—गजों में तथा रुपयों में—आई हैं, भला हम किस प्रकार इन का मुकाबला कर सकते हैं? १९४८-४९ में कहीं पर निर्यात किये गये कपड़े का मूल्य दिया गया है तो और कहीं गजों में उस की लम्बाई दी गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकाशन की यह त्रुटियां दूर की जायें ताकि एक ही नजर में हम भिन्न भिन्न देशों की व्यापार स्थिति का सही रूप जान सकें।

श्री मुरारका : (गंगानगर-झुंझनू) : सदन में तथा बाहर अन्य अन्य नीतियों की भांति सरकार की उद्योग तथा अर्थ-सम्बन्धी नीति की भी आलोचना की जाती है। कई सदस्य केवल इस लिये आलोचना करते कि उन की राजनीतिक विचारधारा हमारी सरकार की विचार धारा से मेल नहीं खाती यदि आप इस सभी विद्वेष को छोड़ कर तटस्थ हो कर इस सब को देख लें तो आप भी यही कहेंगे कि इन परिस्थितियों में हमारी सरकार की नीति जितनी गतिशील रही है उतनी शायद ही और किसी सरकार की रही होगी दोष नीति का नहीं बल्कि परिस्थितियों का है, अन्यथा और कोई भी नीति इतनी प्रगति शील नहीं रही है जितनी हमारी सरकार की है।

मैं सन् १९४८ के उद्योग सम्बन्धी संकल्प की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस संकल्प में सारा उद्योग सम्बन्धी विकास दो खण्डों में विभक्त हुआ है—अर्थात् निजी एवं सार्वजनिक। अतः कई एक बुनियादी उद्योग ऐसे हैं जो निजी प्रबन्ध व्यवस्था में लिये जाते हैं और शेष सार्वजनिक प्रबन्ध-व्यवस्था में। आलोचकों से मेरा यही निवेदन है कि वे १९४८ का संकल्प अच्छी तरह देख लें उन्हें पता चलेगा कि कई एक उद्योग राज्य द्वारा ही विकसित होंगे और कई एक निजी उद्यम द्वारा।

आलोचकों ने यह भी कहा है कि उद्योग के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हमारी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा जल विद्युत परियोजनाओं को वरेण्य माना गया है और इन के सम्बन्ध में प्राथमिकता बरती जायेगी। किन्तु तब तक हमारे औद्योगिक विकास से क्या लाभ है जब तक हम कृषि में विकास नहीं करते क्योंकि कृषि के विकास से ही हमारी अन्दर की दशा ठीक हो सकती है और लोगों की क्रय शक्ति भी उसी से बढ़ सकती है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारी कृषि का आधुनिकरण होगा और हमारे कृषकों के समक्ष आय-प्राप्ति के नये मार्ग खुल जायेंगे। इस से लोगों की क्रयशक्ति भी बढ़ जायेगी और हमारा देशीय बाजार भी ठीक ढंग पर चलने लगेगा। यदि हमारे देशीय बाजार की हालत ठीक नहीं होती, तो हम निर्यात भी नहीं कर सकते और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ठीक उतर भी नहीं सकते।

आलोचकों का यह भी कहना है कि हमारी सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती। इस के सम्बन्ध में मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि हमें बहुत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना है। यदि हम किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करें तो उपभोगकी वस्तुओं के उत्पादन में ही हमारे सारे साधन लग जायेंगे। और जब सरकार ने देश की कृषि का विकास करने का उत्तरदायित्व संभाला है तो हमें स्वयं अपने उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व लेना चाहिये। भारत जैसे निर्धन देश में दोनों काम सरकार से ही नहीं हो सकते। और यदि लोग निजी उत्तरदायित्व मान कर उद्योगों का विकास करने के लिये तैयार हैं तो इस में सरकार का क्या दोष है। इन व्यक्तियों के पास पूंजी है, इन्हें अनुभव है, और दूरदर्शिता भी है। अब रहा राष्ट्रीयकरण का प्रश्न। यह तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक हम कृषि का विकास नहीं करते और अपने बुनियादी उद्योगों की स्थापना नहीं करते। आर्थिक उन्नति के लिये हमें पंचवर्षीय योजना के अनुसार चलना होगा।

आलोचकों ने जो तीसरी बात कही है वह यह है कि हमारे औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में हमें विदेशी सहायता का मुंह देखना पड़ता है। इसके सम्बन्ध में मेरा यही उत्तर है कि यदि हमें राजनीतिक बन्धनों के बिना ही सहायता मिल जाती है तो वैसी सहायता लेने में हानि क्या है। हमारे राष्ट्रीय गौरव को धक्का पहुंचे बिना यदि हमें सहायता मिलती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। अब वही बतायें कि यदि विदेशों से सहायता नहीं मिलती तो हम किस तरह अपने उद्योगों का विकास कर सकते हैं। हमारे पास कोई धन नहीं, कोई बचत नहीं जिस से हम अपना कार्यक्रम पूर कर सकें। अपने देश के पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिये हमें लगभग २,३०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है और इतना धन हमें अपने देश से नहीं मिल सकता। तो अब दो ही रास्ते हो सकते हैं—ऋण मांगना या कार्यक्रम बन्द करना किन्तु यदि बिना किन्हीं बन्धनों अथवा शर्तों के हम ऋण मांग ला सकते हैं तो उस में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री सारंगधर दास (ढ़ेनकनाल—पश्चिम कटक) : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि ये शर्तें क्या हैं जिन का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री मुरारका : यदि आप इन लोगों की आलोचना पर ध्यान नहीं देते तो इन की चालबाज़ियां इस प्रजातन्त्रात्मक देश के लिये खतरनाक सिद्ध होंगी और आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पायेंगे। इस विदेशी सहायता को प्राप्त करने के लिये हमें विश्व के बाजार में एक प्रकार की सद्भावना और प्रसिद्धि को अर्जित करना पड़ता है और अपने आप को उस सहायता के योग्य सिद्ध करना पड़ता है, तथा लोगों का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है। लोगों को चाहिये था कि इस बात को प्रशंसनीय समझते कि चारों ओर से हमें सहायता मिल रही है किन्तु वे उल्टा हमारी निन्दा करते हैं। और मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर हमें हमारी शर्तों के अनुसार कोई भी देश या राष्ट्र ऋण दे, तो हम लेने को तैयार हैं।

मैं वाणिज्य मंत्रालय की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-नीति की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। आयात-नियंत्रण नीति बहुत ही आवश्यक है अन्यथा प्लास्टिक की वस्तुओं से हमारे बाजार भर जायेंगे। हमें कुछ एक निर्यात वस्तुओं पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। ताकि यहां की गरीब जनता पर उस का कोई

बोझ न पड़े । हां, इतना तो अवश्य बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐश्वर्य विलास की वस्तुओं का आयात रोक दिया जाना चाहिये । बड़ी बड़ी मूल मशीनों, अनाज, दवाई, साहित्यिक पुस्तकों तथा शिल्प एवं विज्ञान सम्बन्धी उपकरणों तक ही हमारा आयात सीमित रहना चाहिये और जब तक ये चीजें न हों तब तक व्यापार-संतुलन के लिये निर्यात को बढ़ा दिया जाना चाहिये ।

अदृश्य आयात के सम्बन्ध में एकाध बात कहना चाहता हूं । अभी उस रोज माननीय मंत्री ने सदन में बतलाया कि विगत वर्ष हम ने खाद्य के मात्र आयात करने के लिये ४० करोड़ रुपये का भाड़ा दिया । उसी प्रकार बीमे की किस्तों तथा बैंकिंग, आदि के रूप में हम कई करोड़ रुपया देते हैं । चूंकि हम इन चीजों को नहीं देखते अतः इन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता । १९४७ में जहाज पर सामान लादने के सम्बन्ध में (पोतवहन) समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि विदेशी व्यापार के लिये हमारे पास २० लाख टन सामान होना चाहिये । किन्तु खेद है कि हमारे यहां से जाने वाला सामान ४ लाख टन से अधिक नहीं है । तो मैं योजना मंत्री एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे जलयानों के विकास के निमित्त योजना में दिखाई गई १४.९ करोड़ रुपये की धनराशि में कुछ वृद्धि करें ।

सभापति महोदय : श्री मेघनाद साहा ।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : केवल कुछ एक मिनट के लिये ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान्, माननीय सदस्य कुछ झिझक रहे हैं— क्या मैं बोल सकता हूं ।

सभापति महोदय : हां ।

श्री आर० के० चौधरी : धन्यवाद, भला, हीरे जवाहरों की खान में मुझ जैसे तुच्छ आदमी का क्या काम, हां, इतना तो है ही कि मैं दो बातों पर बोलना चाहता था ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य प्रस्तुत विषय पर भाषण दें ।

श्री आर० के० चौधरी : कोयला निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के अन्तर्गत आता है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, कोयला वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री आर० के० चौधरी : जी नहीं, वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है ।

मैं जिन दो बातों के सम्बन्ध में कहना चाहता था वे इस प्रकार हैं :— हमारे प्रान्त में सूती धागे की कमी है अतः वहां के निवासी, विशेषतया वहां की स्त्रियां, बहुत ही क्रुद्ध हो रही हैं ।

माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि आसाम की हर एक लड़की, अथवा स्त्री बुनाई जानती है । यही कारण है कि स्त्री जो अच्छी बुनाई नहीं जानती उसे अच्छा वर भी नहीं मिल सकता ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य अपने चारों ओर क्यों देख रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं इसी लिये चारों ओर देख रहा था कि कोई अविवाहित कन्या तो नहीं । उसे मेरी इस बात से सीख मिल जाती । और दूसरी बात यह है कि आसाम में लोहे की नालीदार चादरों की कमी है । कुछ समय पहले आसामवासियों को सरकार ने अनाज के बदले में लोहे की चादरें दी थीं, किन्तु यह विनिमय भी बाद में बन्द हो गया ।

पिछले युद्ध ने बहुत से आसामवासियों के मकान बर्बाद कर दिये, और अब मकान बनाये जाने के बाद लोहे की चादरों की कमी पड़ी है, अतः लोगों में इस बात का असंतोष फैल रहा है कि सरकार चादरें मुहय्या करने की कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही है । बस, यही दो बातें मंत्री जी से कहना चाहता था ।

सभापति महोदय : माननीय वाणिज्य मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, क्या मैं अपना भाषण कल दे सकता हूं ?

सभापति महोदय : जी हां, सदन कल के ८-१५ म० पू० तक के लिये स्थगित होता है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार १७ जून, १९५२ के सवा आट बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।